माननीय वन मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, को वन विभाग/कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन), मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा नई सरकार के गठन के पश्चात् से वर्तमान अवधि तक जारी विभिन्न आदेश, निर्देश एवं परिपत्रों की सूची।

क्र.	विषय	दिनांक
1	कोविड 19 (कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू/लॉकडाउन अवधि में नीलाम/निविदाओं को स्थगन तथा उक्त अवधि को शून्य पीरियड मान्य करने बावत्।	20/05/2020
2	वनोपज घोष विक्रय के संबंध में निर्देश।	23/05/2020
3	वनोपज घोष विक्रय के संबंध में निर्देश।	28/05/2020
4	व्यक्तिगत जमा खाते पी डी खोलने की निरंतरता जारी रखने बावत्।	09/06/2020
5	याचिका क्रमांक/डब्लयू पी 7914/2020 मेसर्स टिम्बर मर्चेन्ट एण्ड शाह ऑनर्स ऐसोसिएशन एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य।	15/06/2020
6	Regarding the usage of online Certified copying software system and to consume the online copying fees with the help of module	08/07/2020
7	कोविड 19 (कोरोना वायरस/लॉकडाउन अवधि में नीलाम/निविदाओं स्थगित रखने तथा उक्त अवधि को जीरो पीरियड मान्य करने बावत्।	11/08/2020
8	केन्द्रीय प्रशासनिक करण जबलपुर में शासकीय अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार जैन की नियुक्ति बावत्।	24/08/2020
9	मांग संख्या 10-2406 आयोजनेत्तर के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 का बजट आवंटन करने बावत्।	24/08/2020
10	वर्ष 2020-21 में विदोहन किये जाने वाले कूपों में वृक्षों की कटाई की अनुमति बावत्।	11/09/2020
11	मांग संख्या 10-2406 आयोजनेत्तर के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट आवंटन करने बावत्।	18/09/2020
12	राज्य शासन मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में राज्य शासन का प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु अधिवक्ताओं का पैनल।	03/11/2020
13	माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में दिनांक 01.01.2014 से 30.06.2020 तक के वन विभाग 800 प्रकरणों में जबावदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के संबंध में।	04/11/2020
14	विभागीय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन "कॉन्ट्रेक्टर पंजीयन" में ईमारती काष्ठ के क्रेताओं के स्वीकृत प्रकरणों के सर्टिफिकेट हस्ताक्षर उपरांत अपलोड किये जाने में वनमंडल स्तर से की जा रही देरी के संबंध में।	06/11/2020
15	मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के अनुसार मध्यप्रदेश में स्थित केन्द्र/राज्यों के शासकीय विभागों, शासकीय संस्थानों, शासकीय एजेंसियों तथा स्थानीय प्राधिकारियों (Local Authorities) द्वारा स्त्रोत पर की जाने वाली कर की कटौती (TDS) के संबंध में।	18/11/2020
16	न्यायालयीन प्रकरणों के प्रभारी अधिकारियों के आचरण संबंधी दिशा-निर्देश।	18/11/2020
17	मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, 2017।	19/11/2020
18	मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी म.प्र. कराधान अधिनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश 2020 हेतु बजट आवंटन करने बावत्।	01/12/2020
19	माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा के लिये दिये गये निर्देश बावत्।	15/12/2020
20	वर्ष 2021 के लिये निस्तार/बरोड़ों की आपूर्ति हेतु बांसो का अंर्तवृत्तीय आवंटन।	22/12/2020
21	मालिक मकबूजा लकडी/लोकवानिकी के लिये बजट आवंटन बावत।	28/12/2020
22	माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों के संबंध में।	26/12/2020
23	वर्ष 2021 की निस्तार पत्रिका का प्रकाशन।	02/01/2021

क्र.	विषय	दिनांक
24	प्रदेश के कृषकों को खुदरा बिक्री के जरिये औद्योगिक बांस का प्रदाय हेतु दर निर्धारण करने बावत।	05/01/2021
25	न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में।	05/01/2021
26	प्रदेश के कृषकों को खुदरा बिक्री के लिए औद्योगिक बांस की दर निर्धारण करने बावत।	06/02/2021
27	औद्योगिक बांस के टुकडें/अगरबत्ती काड़ी/आईसक्रीम काड़ी उद्योग तथा कामन फेसेलिटी सेंटर के अंतर्गत अन्य उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने बावत।	18/02/2021
28	अत्यंत कम उत्पादन वाले/अलाभकारी कूपो में विदोहन कार्य के संबंध में दिशा निर्देश बाबत।	05/03/2021
29	नेशनल लोक अदालत दिनांक 10.04.2021 में विभाग से संबंधित शासकीय प्रकरणों को रखे जाने पर विचार बावत्।	01/04/2021
30	Covid-19 संक्रमण काल में शमशान घाटों को जलाऊ चट्टों का प्रदाय।	15/04/2021
31	कैम्पा निधि के तहत आगामी वर्ष 2022-23 का ए.पी.ओ. तैयार करने बावत्।	28/06/2021
32	कैम्पा मद में किये जाने वाले कार्यों के मानकीकरण के संबंध में।	28/06/2021
33	एरियर कूपों में विदोहन की अनुमति बावत्।	08/07/2021
34	उच्च न्यायालय की ई-फाईलिंग 3.0 सॉफ्टवेयर की सुविधा का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने बावत्।	08/07/2021
35	माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल, भोपाल खण्डपीठ में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति बावत्।	13/07/2021
36	ई-नीलामी हेतु तैयारी बावत्।	23/07/2021
37	कैम्पा निधि के तहत आगामी वर्ष 2022-23 का ए.पी.ओ. तैयार करने बावत्।	29/07/2021
38	स्थापित डिपो से वनोपज (ईमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/बांस) की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में विक्रय की शर्तों का विनियमित करने वाले नियम।	02/08/2021
39	7781 मालिक मकबूजा लकड़ी क्रय मद में बजट आवंटन करने बावत्।	02/08/2021
40	कैम्पा निधि के तहत आगामी वर्ष 2022-23 का ए.पी.ओ. तैयार करने बावत्।	09/08/2021

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
सतपुड़ा भवन , मध्यप्रदेश, भोपाल – 462004

Email- pcccfprod@mp.gov.in दूरभाष : 0755-2674354

क्रमांक / उत्पा. / निर्वतन / 915 भोपाल, दिनांक : 20-5-20

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश

विषय :- COVID-19 (कोरोना वायरस) के कारण कर्फ्यू / लॉकडाउन अवधि में नीलाम / निविदाओं को स्थगन तथा उक्त अवधि को जीरो पीरियड मान्य करने बावत।

संदर्भ :- पदेन सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक / समिति / 454 / 45 दिनांक 19.05.2020(संलग्न)

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

20/05/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक / उत्पा. / निर्वतन / 916 भोपाल, दिनांक : 20-5-20

प्रतिलिपि :-

समस्त वन मंडल अधिकारी, उत्पादन एवं सामान्य वन मंडल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

म0प्र0 शासन वन विभाग

क्र./समिति/454/ 45 भोपाल, दिनांक 19/5/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
म.प्र. भोपाल

विषय :- COVID-19(कोरोना वायरस) के कारण कर्फ्यू/लाकडाउन अवधि में नीलाम/ निविदाओं को स्थगन तथा उक्त अवधि को जीरो पीरियेड मान्य करने बाबत।

—00—

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 454 वीं बैठक दिनांक 11.05.2020 (प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन के विषय कमांक—01) में चर्चा की गई कि कोविड—19 के कारण माह मार्च के तृतीय सप्ताह से वर्तमान तक कर्फ्यू /लाकडाउन की स्थिति में बनी हुई है, जिसके आदेश समय—समय पर केन्द्र शासन/राज्य शासन/जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये है। परिणामस्वरुप दिनांक [illegible].03.2020 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा समस्त नीलाम स्थगित करने के निर्देश जारी [illegible]। परिस्थितियों के दृष्टिगत, तथा कार्यालय बंद होने के कारण दिनांक 23.03.2020 तथा 29.03.2020 को ई— मेल के माध्यम से समस्त नीलाम तथा निविदायें स्थगित करने के निर्देश जारी किये जा चुके है।

अतः शासन द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैः—

1. कर्फ्यू/लाकडाउन अवधि के भविष्य में समाप्त होने के उपरांत नीलाम/निविदा पुनः आरंभ करने की तिथि के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को अधिकृत किया जाता है।
2. लाकडाउन की वर्तमान घोषित अवधि दिनांक 17.05.2020 तक ही व्यापारियों की देनदारियों हेतु शून्य पीरियड माना जाए। लाकडाउन अवधि के कारण प्रभावित दिवसों की संख्या तक ही क्रेताओं को शून्य पीरियड का लाभ मिलेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एच.सी.गुप्ता)
पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, वन विभाग

पृ0क0/समिति/454/ भोपाल, दिनांक /2020

प्रतिलिपिः—

1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग ।

2/ महालेखाकार (कमांक एक) म.प्र.ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 11.05.2020 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, वन विभाग

E-mail किया

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 **E-mail: pccfprod@mp.gov.in**

क्रमांक / उत्पा. / निर्वर्तन / 950 भोपाल, दिनांक 23 / 05 / 2020

प्रति,

समस्त
मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :– वनोपज घोष विक्रय के संबंध में निर्देश ।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रमांक /940 दिनांक 22.05.2020

—::00::—

उपरोक्त संदर्भित पत्र से माह जून 2020 में होने वाले समस्त निर्धारित नीलाम की विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु प्रेषित की गई है, जिसकी प्रति आपको भी इ–मेल द्वारा प्रेषित की गई है । कृपया निम्न बिन्दुओं पर पालन सुनिश्चित करते हुये नीलाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करें :–

1. कृपया टीप करें कि नीलाम की कार्यवाही संबंधित जिलाधिकारी / पुलिस अधीक्षक के संज्ञान एवं अनुमति से ही की जाये ।
2. नीलाम की कार्यवाही यथा संभव खुले स्थान पर ही की जाये, तथा प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी / क्रेता के मध्य आवश्यक दूरी सुनिश्चित की जाये ।
3. नीलाम स्थल पर साबून / हेण्डवाश / स्वच्छ पानी एवं सेनेटाइजर की समुचित व्यवस्था की जाये।
4. जिला प्रशासन के सहयोग से नीलाम स्थल पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच (थर्मल स्केनिंग आदि) करवाने के प्रयास किये जाये ।
5. जिला प्रशासन के परामर्श पर क्रेताओं हेतु सूक्ष्म जलपान / भोजन आदि की व्यवस्था(यदि आवश्यक हो तो) इस प्रकार से की जावे कि संक्रमण की आशंका न रहें ।

(डॉ. पी.सी.दुबे)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृक्रमांक / उत्पा. / निर्वर्तन / 951 भोपाल, दिनांक 23/05/2020

प्रतिलिपि :– समस्त वनमंडलाधिकारी(क्षेत्रीय) एवं (उत्पादन) की ओर पालनार्थ प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल
Tel&Fax0755-2674354 Email- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/निवर्तन/उत्पादन/-191 भोपाल, दिनांक 28/5/20
प्रति,

समस्त मुख्य वनसंरक्षक,
मध्यप्रदेश

विषयः- वनोपज धोष विक्रय के संबंध में निर्देश।
संदर्भः- कार्यालयीन पत्र कमांक/950 दिनांक 23.05.2020

विषयांकित संदर्भित पत्र व्दारा आपको आगामी नीलामों में कोरोना संक्रमण से बचने हेतु आवश्यक सावधानियों बरतने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। इसी तारतमय में निर्देशित किया जाता है, कि नीलाम में भाग लेने वाले व्यापारियों/कर्मचारियों हेतु आवश्यकता पडने पर पर्याप्त मात्रा में फेस मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करें। कर्मचारियों को कम से कम दो Washable मास्क प्रदान करें, ताकि वे इनका नियमित प्रयोग कर सकें। फेस मास्क बाजार से क्रय न किये जा कर विभाग की समितियों/ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों से ही कय किये जाये। इस हेतु आवश्यक राशि योजना 0535 अथवा 2901 के अंतर्गत 51 अन्य प्रभार उद्देश्य शीर्ष से व्यय की जा सकती है।

28/05/2020
(एस पी शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन),
म.प्र.भोपाल

पृ. क्रमांक/निवर्तन/उत्पादन/992 भोपाल, दिनांक 28/05/2020
प्रतिलिपिः-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (ग्रीन इंडिया मिशन) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. समस्त वन मण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय /उत्पादन मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन),
म.प्र.भोपाल

G.F

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

Tel & Fax No. 0755-2674354, E-Mail add- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पादन/बजट/254/ 1126 भोपाल,दिनांक : 9 .06.2020

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एंव पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

समस्त मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार)

समस्त वन मंडलाधिकारी (उत्पादन/क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश

विषयः— व्यक्तिगत जमा खाते (पी.डी.) खोलने की निरंतरता जारी रखने बाबत्।

संदर्भः— मध्यप्रदेश शासन वन विभाग वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ —3—17/2018/10—2 दिनांक 05.06.2020

—::00::—

उपरोक्त विषय के संबंध संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए जिसमें शासन द्वारा पी.डी. खाते की निरन्तरता रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

9/6/2020

(एस.पी. शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/बजट उत्पादन/2020/1127 भोपाल,दिनांक 9-6-2020

प्रतिलिपिः—

1. उप वन संरक्षक (रोकड़) ,मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

File No.2/1/18/0002/2020-O/o SECY-10(FOR)

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
//आदेश//
---00---
भोपाल, दिनांक 05 जून 2020

क्रमांक-एफ-3-17/2018/10-2: राज्य शासन एतद् द्वारा वन विभाग के अंतर्गत वित्त विभाग की अनुमति उपरांत, काष्ट के विक्रय से प्राप्त राजस्व आय को दृष्टिगत रखते हुये संलग्न सूची अनुसार 74 वन मंडलों में कार्यालय प्रमुख के नाम से खोले गये पी.डी. खाते तथा अनुसंधान विस्तार शाखा के अंतर्गत कार्यालय प्रमुख बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, जबलपुर, खण्डवा, रतलाम, रीवा, सागर एवं सिवनी में खोले गये 11 पी.डी. खाते एवं मुख्यालय स्तर पर खाते, इस तरह कुल 86 पी.डी. खातों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में निरंतर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2/ यह आदेश वित्त विभाग की ई-आफिस दिनांक 30.05.2020 के द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसरण में जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.एन.मिश्रा)
वित्तीय सलाहकार
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठ क्रमांक-एफ-3-17/2018/10-2
भोपाल, दिनांक 05 जून 2020

प्रतिलिपि-

1. महालेखाकार एवं हकदारी, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन वित्त विभाग।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)म.प्र.भोपाल।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वित्त एवं बजट/उत्पादन/अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी म.प्र. भोपाल
5. आयुक्त कोष एवं लेखा पर्यावास भवन, भोपाल।
6. समस्त कोषालय अधिकारी, म.प्र.भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

7. गार्ड फाईल।

Signature Not Verified

Digitally signed by R N MISHRA
Date: 2020.06.05 17:06:31 IST

वित्तीय सलाहकार
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

PCCF (Prod/RE&LV)
APCCF (F/B)
2825
05-6-2020

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल

Tel&Fax0755-2674354 Email- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/निवर्तन/उत्पादन/ 1185 भोपाल, दिनांक 15/6/20

प्रति,

समस्त मुख्य वनसंरक्षक,
समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/उत्पादन)
मध्यप्रदेश

विषयः– याचिका क्रमांक/WP 7914/2020 मेसर्स टिम्बर मर्चेंट एण्ड शा. ओनर्स एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य ।

विषयांकित प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर व्दारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2020 की छायाप्रति सलग्न है। कृपया माननीय न्यायालय व्दारा जारी आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।

15/06/2020

(एस पी शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

G.F.

The High Court Of Madhya Pradesh

WP-7914-2020

(TIMBER MERCHANTS AND SAW OWNERS ASSOCIATION AND OTHERS Vs THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS)

1

Jabalpur, Dated : 11-06-2020(through video conferencing)

Shri Sushant Ranjan, learned counsel for the petitioners.

Shri Swapnil Ganguly, learned Dy. Advocate General for the respondents/ State.

Counsel for the petitioners submit that the petitioners had participated in the tender of timber. The sanction letter was issued to them and they were required to make deposit of remaining 75% of total purchase made within a period of 45 days from the date of issuance of sanction letter.

It is submitted that due to lockdown the said amount could not be deposited. Therefore, a letter was issued treating the lockdown period from 25.3.2020 to 17.5.2020 to be 'zero' period, however, the entire lockdown period after 17.5.2020 has not been declared as 'zero' period. According to him the said period ought to have been treated as 'zero' period so that time may be granted to the petitioners to deposit remaining 75% of the purchase amount.

Counsel for the petitioners submit that action is being taken by the respondents against the petitioners for not depositing th amount within the said period.

Issue notice to the respondents.

Shri Swapnil Ganguly, learned Dy. Advocate General accepts notice on behalf of respondents/ State and prays for time to seek instructions in the matter.

As an interim measure, it is directed that in case if the respondents takes any action against the petitioners No.2, 3 and 4, the said action shall be taken in accordance with law after giving opportunity to the petitioners and the said action taken by the respondents shall be subject to final outcome of the petition.

List this matter on **22.6.2020.**

(VIJAY KUMAR SHUKLA)
JUDGE

mrs. mishra

(1)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल,

Telephone & Fax No.- (0755) 2674354, E-Mail- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / उत्पा. / न्या.प्र. / 2017 / 680 भोपाल, दिनांक 8/7/20

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक
   क्षेत्रीय / अनुसंधान विस्तार / कार्य आयोजना वृत्त
   मध्यप्रदेश
2. समस्त क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
   मध्यप्रदेश
3. समस्त वन मंडल अधिकारी(क्षेत्रीय / उत्पादन),
   मध्यप्रदेश

विषय:— **RegardingRegarding the usage of online certified copying software system and to consume the online copying fees with the help of module.e**

संदर्भ:— म.प्र.शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग का पत्र क्रमांक / 1259 / 21—ब(एक) / 2020 दिनांक 15.05.2020 एवं म.प्र. उच्च न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक / Reg.(IT)(SA) / 2020 / 537 दिनांक 17.03.2020

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है)। संदर्भित ज्ञापन एवं संलग्न विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित करते हुए निवेदन है कि **online certified copying software system** का उपयोग कर कॉपिंग फीस का कन्ज्यूम करने संबंधि कार्यवाही विभागीय स्तर पर करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक / उत्पा. / न्या.प्र. / 2017 / 681 भोपाल, दिनांक 8/7/20

प्रतिलिपि:

समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(मुख्यालय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

(9) (20) 2

विषयः—विभिन्न माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर निराकरण करने बाबत।

संदर्भः—मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 3—03/2020/ 10—1
दिनांक 11.06.2020

—00—

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के संदर्भित पत्र के सरल कमांक 20 एवं पंजी क्रमांक 1084 दि. 21.05.2020 से प्राप्त आवेदन पत्र मूलतः आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

कृपया प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर शासन निर्देशानुसार प्रकरण में की गई कार्यवाही की जानकारी शासन, वन विभाग को उपलब्ध कराते हुए संबंधित/ आवेदक को सूचित करें एवं जिन पत्रों पर शासन, वन विभाग स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है, उन प्रकरणों में परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव शासन, वन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख के ज्ञाप क्र.706 दिनांक 06.02.2020 के पालन में अनुरोध है कि प्रचलित कार्यवाही एवं की गई कार्यवाही की सूचनार्थ प्रति समन्वय शाखा को प्रेषित करने की प्रथा को बन्द करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

1/7/2020
(एम. कालीदुरई)
मुख्य वन संरक्षक (समन्वय)
मध्यप्रदेश, भोपाल

यू.ओ./सम./ज.शि./...1082...
दिनांकः- 1/7/2020

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

4616
6/7/20

प्रभारी श्री

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 1259 /21-ब(एक)/2020 भोपाल, दिनांक 15.05.2020

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग, मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल.

विषय :- Regarding the usage of online certified copying software system and to consume the online copying fees with the help of the module.

संदर्भ :- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का ज्ञापन क्रं. Reg.(IT)(SA)/2020/537 जबलपुर दिनांक 17.03.2020.

---------00---------

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि उच्च न्यायालय संदर्भित पत्र के माध्यम से ऑनलाईन कॉपिंग फीस को उच्च न्यायालय के ऑनलाईन सर्टिफाईड कॉपिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम के माध्यम से कन्ज्यूम करने के विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए है।

संदर्भित ज्ञापन एवं संलग्न विस्तृत दिशा निर्देश (Manual) की छायाप्रति प्रेषित करते हुए निवेदन है कि उपरोक्तानुसार कॉपिंग फीस को कन्ज्यूम करने संबंधी कार्यवाही अपने विभाग में करने का कष्ट करे साथ ही आपके विभाग के अधीनस्थ आने वाले अन्य शासीकीय कार्यालयों / एजेंसीयों / ट्रिब्यूनल्स आदि को अपने स्तर से यह दिशा निर्देश उपलब्ध करावे।

सर्वसुविधा हेतु उक्त दिशा निर्देश की प्रति विधि विभाग की वेबसाईट www.law.mp.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है।

अत: कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार.

15.05.2020

(रूपम वेदी)
सचिव,
म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

19 MAY 2020

19.05.2020

Letters 2020

(4)

1259/21-ब (व) 7
03/5/B-1

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SEAT – JABALPUR

17 MAR 2020

No. Reg(IT)(SA)/2020/ 537 Jabalpur, Dated:-............

:: MEMO::

To,

The Principal Secretary,
Law & Legislative Affairs Department,
Government of Madhya Pradesh Vindyachal Bhawan,
Bhopal- 462011

Sub:- Regarding online certifying copying software system.

As directed, under the subject cited above, it is to inform that Hon'ble the Chief Justice vide order dated: 03.03.2020 has been pleased to permit to communicate all the respective Departments of State Government / State Government undertaking cooperation / State Government Agencies and Public Tribunals regarding the usage of online certified copying software system and to consume the online copying fees with the help of the module.

The detailed manual for use of online certifying copying software system is enclosed for kind perusal and further necessary action.

Therefore, please circulate the same to all respective Departments of State Government / State Government undertaking cooperation / State Government Agencies and Public Tribunals accordingly.

17 MAR 2020

(F.H. QAZI)
SPSA(SA)

Encl: As above.

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग
Sec (B-1)
5/5/20

सचिव, विधि
A.S. (B-1)
06/05/2020

9795

e-mail: mphc@nic.in Ph:-0761-2623358

Scheme for implementation of online certified copying software at High Court and Sub-ordinate courts of Madhya Pradesh.

The procedure for accepting online application for certified copy is as follows:-

A. **Procedure for disposed of cases**

1. The online application page on the official website can be access by anyone.
2. On access for online application for certified copy at the main page of the official website, the user will have to apply by using his mobile number.
3. After authentication through OTP, application form will be open for the litigant to complete the required details for certified copy.
4. After log-in the information will show the details of case i.e. parties name, name of the counsel, details of the ready scanned documents available in particular case. In case any document which litigant desires to get certified copy and not already scanned, then litigant can submit their requirement in highlighted box.

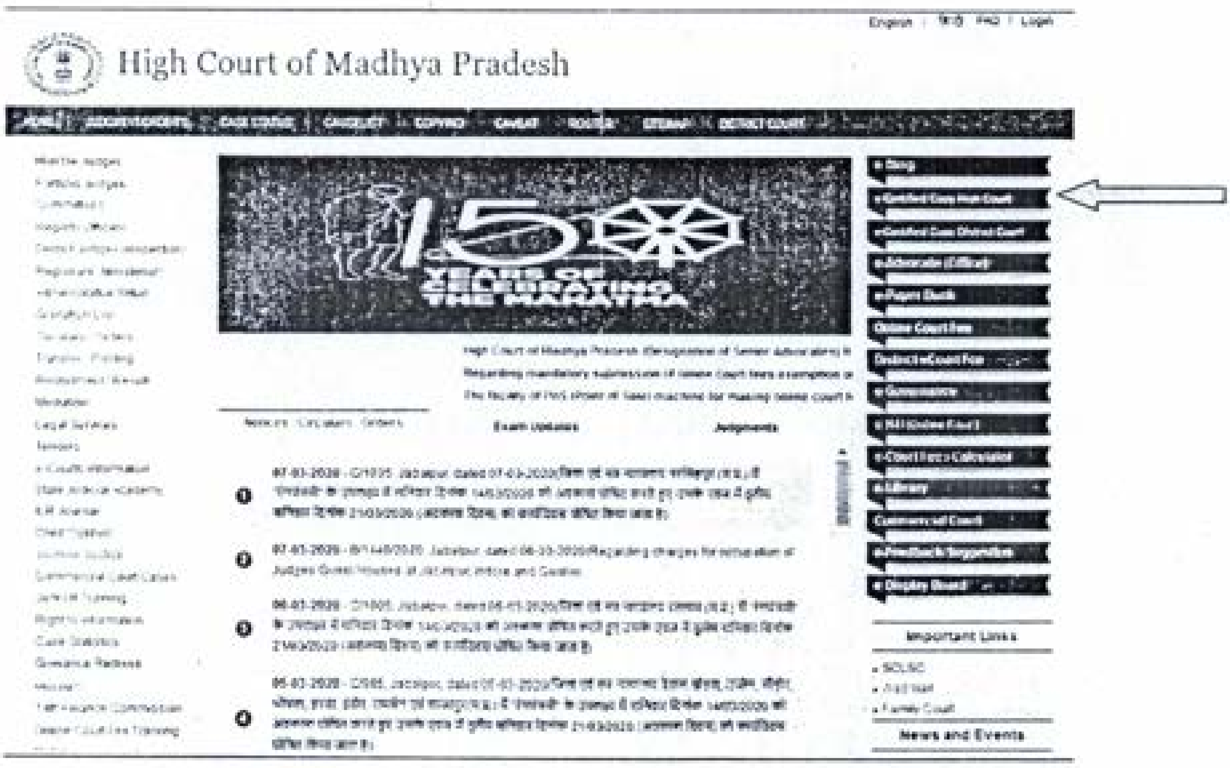

6

(6)

For Litigant

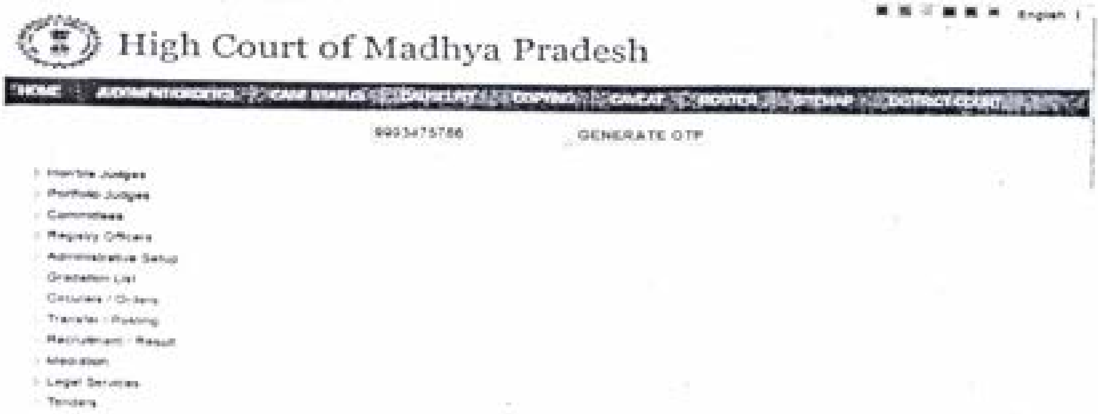

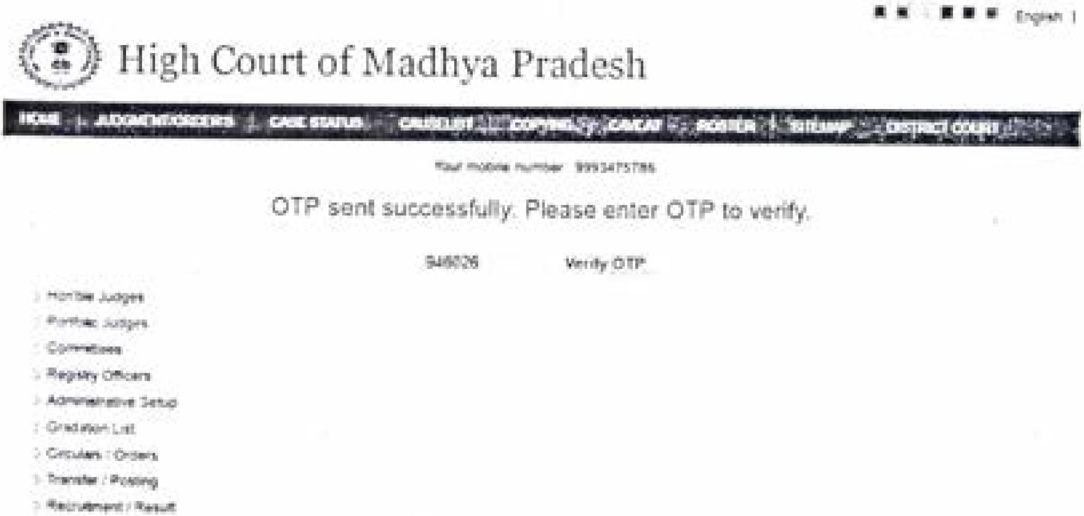

For Advocates

5. The authentication mechanism for lawyer is login password given to him for getting the certified copy on the basis of enrollment number provided in the Vakalatnama.
6. All the cases in which mobile number is available on Vakalatnama the option will be available to apply. After log-in the information will show the details of case i.e. parties name, name of the counsel.

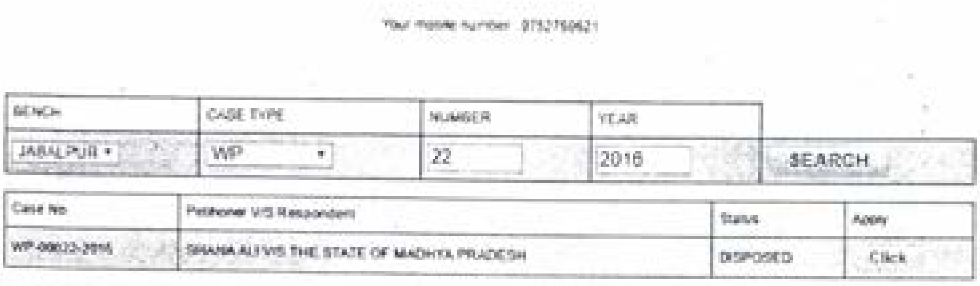

7. The user will need to click Button under **"Apply"** column for required documents.

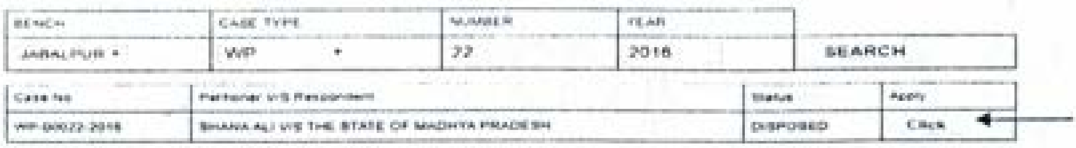

8. On this page the user have to update the following information;
   i. Update the email ID, Postal address, Pin code etc.
   ii. The user will have to select required document in the "apply" tab to get the certified copy.
   iii. The user will have to select purpose for which document is required i.e. either personal or for official use.
   iv. The user will have to select the mode of delivery of certified copy i.e. through counter or by post or on email / official website (this option will be implemented in phase-II)
   v. After filling the such information applicant will have to accept the terms as follows *"I have read and verified above content and I know that above amount will not be refunded."*, after that the user will have to click the payment button.

Postal Address	Postal address of Litigant/ Advocate to get Certified Copy.
Landmark	Place nearby
Pincode	Pincode number
Application Type	Application Type * Express Ordinary **Express** - Certified Copy will be completed within 3 days from request **Ordinary** - Certified Copy will be completed within 7 days from request
Applied For	 It will show list of documents available in the case. User can select as per their requirement one or more documents with one or more number of copies and charges as per selection will be shown next to number of copies. No. of Copies : 1 11-Jan-2016 (Pages : 1) X 04-Feb-2016 (Pages : 1) X
APPLICATION FORM :	Additional charge shall be payable for the Application Form as per rule.
Application purpose	Purpose to be entered by Litigant/Advocate
Copy Desired Mode	User can choose method of delivery. Delivered Mode * Counter Princial Seat Jabalpur Indore Bench Gwalior Bench By Post Note : On delivery through counter there will be no additional

	charge, whereas through Post, postal charges as per weight of the copy shall be applicable.

9. Once user clicks on "**Payment**" Button, the treasury portal for payment will be open.

10. Now the user will need to select the payment option
    a. For internet banking user will have to select the name of the bank from the list.
    b. If user wants to pay by using **Debit / Credit Card**, user has to choose "**Other Banks and Debit / Credit Card**" option from the list.

11. Once user clicks on **"Submit"** Button, following page will appear, in which user will have to verify the details. For security reasons CAPTCHA characters to be entered by the user.

12. After submitting the confirmation option, a unique number will be generated for future reference. On clicking **"OK"** button, the option of mode of payment will be open for the user.

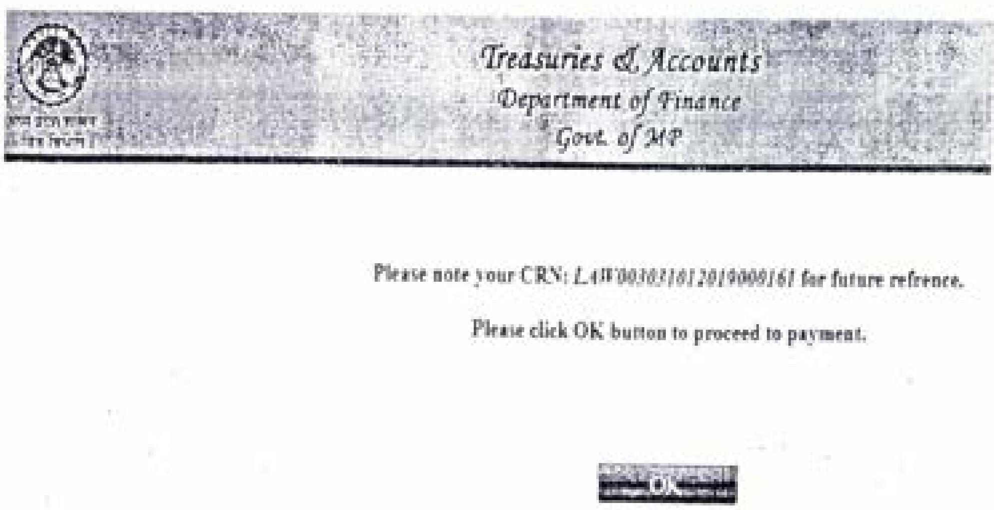

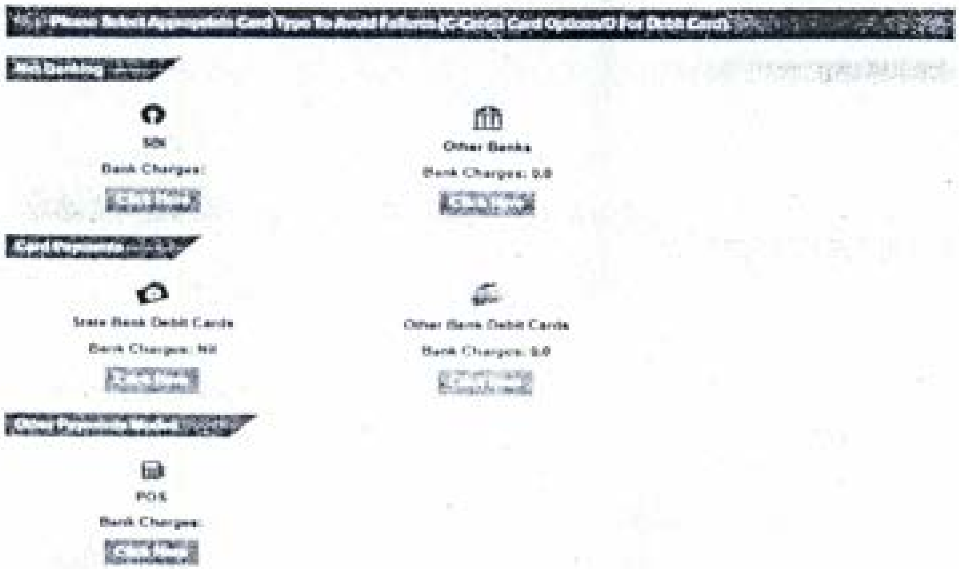

13. After successful payment, the user will get a payment receipt on the High Court of Madhya Pradesh website. After the payment is completed, the user does not have to click anywhere else the application number will not be generated.

High Court of Madhya Prades...

e-Copying Application Receipt

Application No.:	1 / 2019		
Case No.:	WP/16366/2018		
Petitioner V/S Respondent	AABID HUSSAIN V/S THE UNION OF INDIA		
Online Application Fees Received:	Rs. 35/-		
Cyber Receipt No. (CRN):	LAWSG2031012019000198	Bank Scroll Number:	25193
Date & time of Transaction:	31/01/2019 15:08:01	Challan Identification No. (CIN):	SBIN000615900303101201925193
Bank Reference No. (BRN):	CPM9805416	Treasury Challan No.:	001095135
Applicant Name:	eee	Address:	testing, TESTING, 482002
Mobile:	9993475786	Email:	abc@gmail.com
Application Type:	Express	Desired Mode:	post
Applied for:	Annexure P1 (Pages : 5 | Qty 1	Purpose:	test
Tentative Delivery Date:	04-02-2019	Received Date	31-01-2019

B. Procedure for pending cases

1. The online application page on the official website can be access only by the advocate / litigant who has already provided enrollment number / mobile number on the Vakalatnama or if, he provides required details on affidavit. This will ensure that in the pending cases certified copies will be made available to the authorized user, as per Madhya Pradesh High Court Rules, 2008.
2. User can search the case by entering the case type, number and year of Principal Seat or the bench (Jabalpur, Indore, Gwalior). In pending cases, the same information will display as shown at point No. 6 for disposed cases and further steps will be same as in case of the certified copy of pending case.
3. **In Pending case, if your mobile number is not registered, then you have to register the mobile number for that case, only then you can apply for the copy online.**

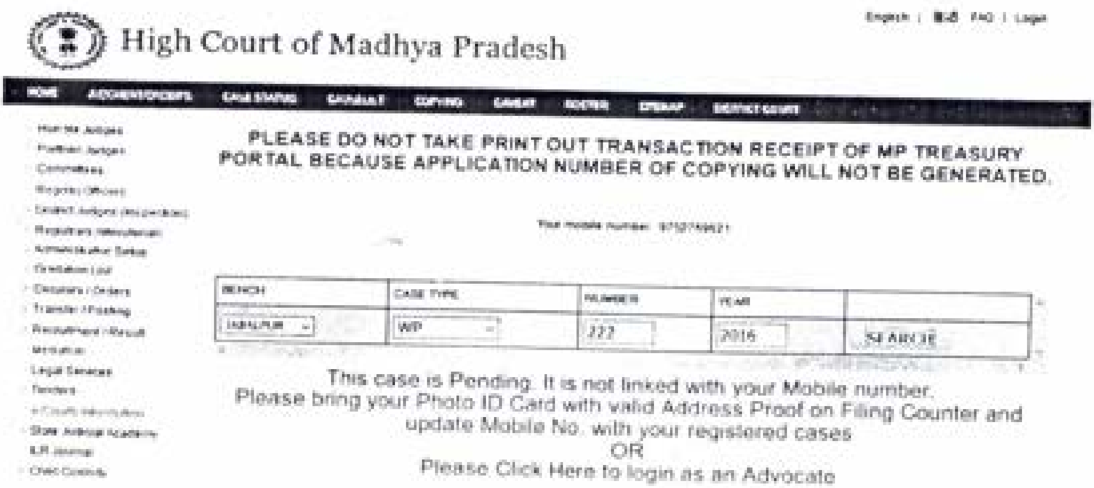

The above procedure is for receiving online application for certified copy in which payment has been made electronically through cyber treasury which includes application charges, preparation charges and courier charges.

PROCEDURE TO CONSUME THE ONLINE CERTIFIED COPY IN HIGH COURT AND SUB ORDINATE COURTS OF MADHYA PRADESH AND OTHER STATE GOVERNMENT DEPARTMENT

1. The certified copy will be consumed through the official website of High Court of Madhya Pradesh (https://mphc.gov.in/cocc)

2. To consume the online certified copy user will have to input their mobile number to generate the OTP for authentication and user gets the OTP through SMS.

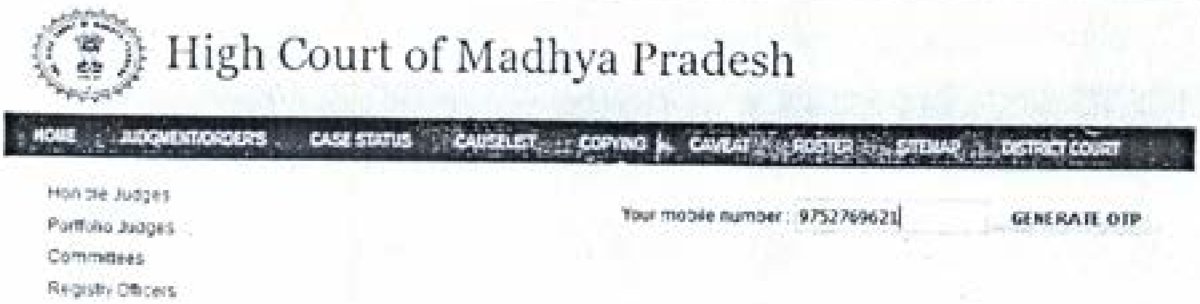

3. The generated OTP will be verified as shown below. After 3 wrong attempts the user's mobile number will be "**BLOCKED**" for 30 minutes.

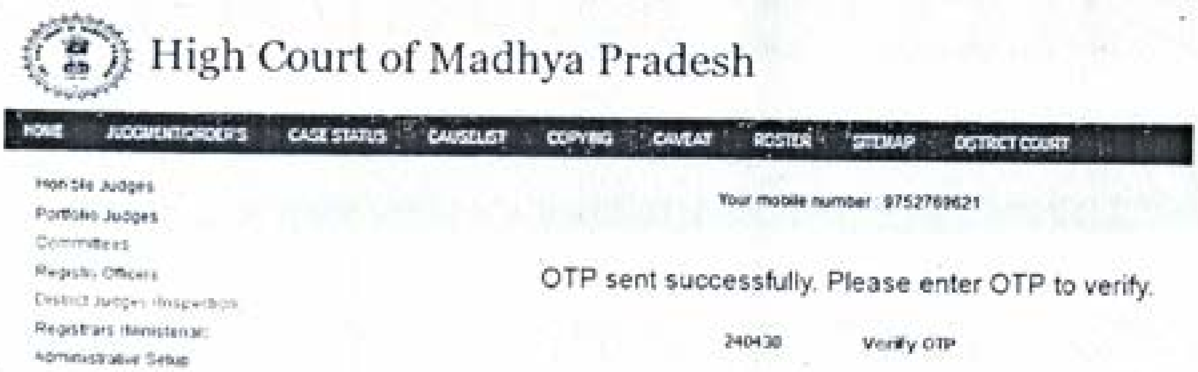

4. After verifying the OTP, the user will be redirected to the below screen.

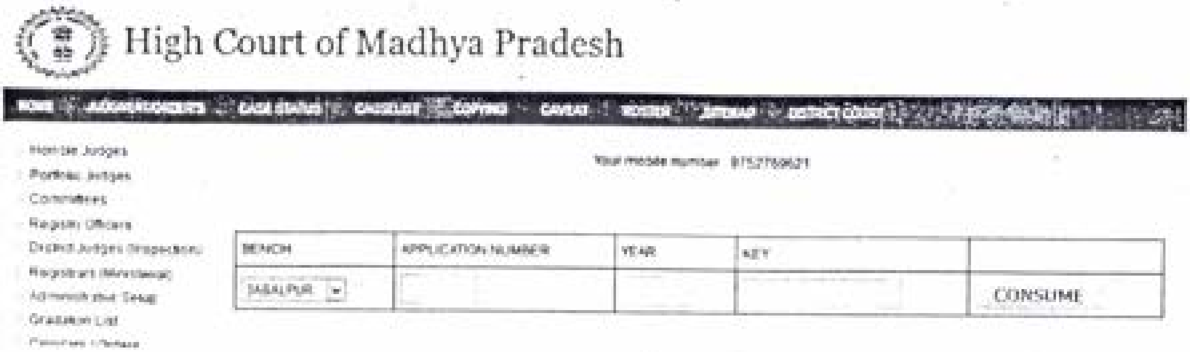

The user will enter the required details [**High Court Bench, Application Number, Year and unique Key**] to process further which was already mentioned on the top right corner of the submitted certified copy.

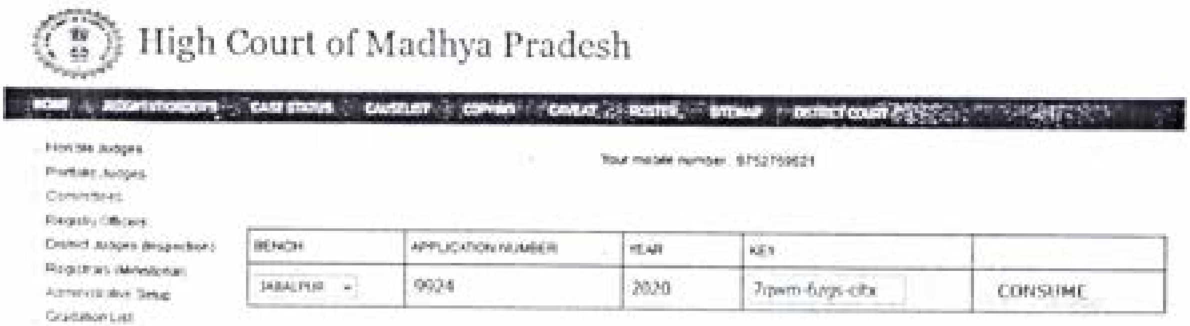

User has to click on the "**CONSUME**" button to consume the certified copy.

5. If user entered the correct details along with the unique Key then the certified copy will be consumed successfully as shown in the below screenshot.

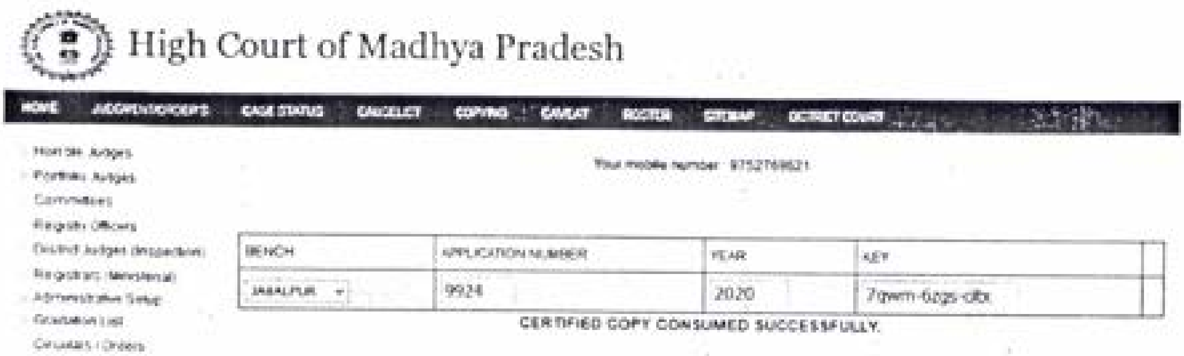

6. If user entered the wrong details then message for the wrong details will be displayed as shown in below screenshot. In this case wrong Unique Key will be entered so that **"INVALID KEY"** message will be shown.

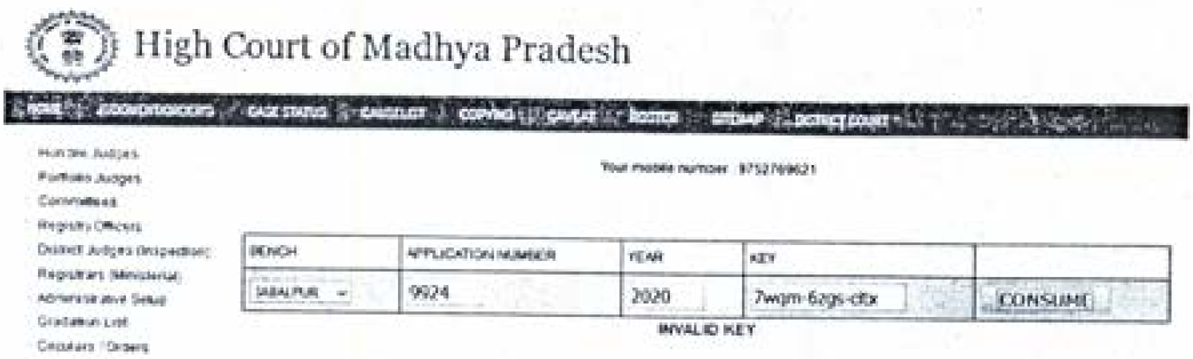

The user's mobile will be **BLOCKED** for 30 minutes, if he entered wrong details more than 3 times.

7. It is noted that unique key will be consumed **only once**, after that it will be nullified and cannot be used further for consumption of certified copy. If the Unique key used anywhere after consumption then "**Key Already Consumed**" message will be displayed and cannot processed anyway.

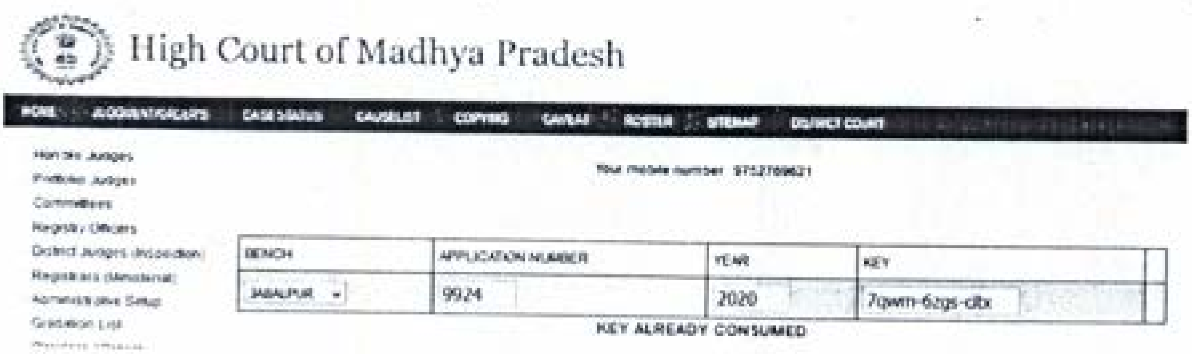

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / उत्पा. / निर्वतन / 1850 भोपाल, दिनांक 11 / 08 / 2020

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश

विषय :– COVID-19 (कोरोना वायरस) के कारण कर्फ्यू/लॉकडाउन अवधि में नीलाम/ निविदाओं को स्थगित रखने तथा उक्त अवधि को जीरो पीरियड मान्य करने बावत्।

संदर्भ :– पदेन सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/समिति/ 455/52 दिनांक 06.08. 2020 (संलग्न)।

—::0::—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

11/8/2020

(एस. पी. शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक/उत्पा./निर्वतन/ 1851 भोपाल, दिनांक : 11/08/2020

प्रतिलिपि :–

1.) पदेन सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग, भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।

2.) समस्त वन मंडल अधिकारी, उत्पादन एवं सामान्य वन मंडल की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

विधायी

म0प्र0 शासन वन विभाग

क्रमांक/समिति/455/ 52 भोपाल, दिनांक 6/8/2020

प्रति,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
म.प्र. भोपाल

विषयः– COVID-19 (कोरोना वायरस) के कारण कर्फ्यू/लाकडाउन अवधि में नीलाम/निविदाओं को स्थगित रखने तथा उक्त अवधि को जीरो पीरियड मान्य करने बाबत् ।

–00–

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 455 वीं बैठक दिनांक 15.07.2020 (प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन के विषय क्रमांक–01) में चर्चा की गई कि म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक समिति/454/45 दिनांक 19.05.2020 द्वारा COVID-19 के कारण लॉकडाउन की दिनांक 17.05.2020 तक की अवधि को ही व्यापारियों की देनदारियों हेतु शून्य पीरियड माना जाए। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन के प्रस्ताव के अनुसार टिम्बर मर्चेंट संघ द्वारा प्रार्थना की गई है कि शासन उपरोक्त संदर्भित आदेश पर पुर्नविचार कर जीरो पीरियड की सुविधा को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन की अवधि तक जारी रखने की कृपा करें ।

वनोपज अन्तर्विभागीय समिति की अनुशंसा पर निर्देशित किया जाता है कि COVID-19 (कोरोना वायरस) के कारण म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञापन क्रमांक /समिति 454/45 दिनांक 19.05.2020 से निर्धारित शून्य पीरियड की अवधि को दिनांक 31.05.2020 तक बढ़ाया जाए । लॉकडाउन अवधि के कारण उक्त दिनांक तक प्रभावित दिवसों की संख्या तक ही क्रेताओं को शून्य पीरियड का लाभ मिलेगा। यदि 31.05.2020 तक शून्य पीरियड की अवधि के उपरान्त किसी केता को स्थानीय परिस्थितियों के कारण लॉकडाउन/कर्फ्यू होने से क्रय की गई वनोपज की राशि के समय पर भुगतान में असुविधा हुई है, अथवा भविष्य में होती है, तो इस संबंध में संबंधित मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा पर प्रकरण विशेष में शून्य पीरियड को बढ़ाने हेतु माननीय वन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन को अधिकृत किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एच.सी.गुप्ता)
पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, वन विभाग

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्य प्रदेश 5542 क्रमांक दिनांक 10-8-20

पृ0क0/समिति/455/ भोपाल, दिनांक /2020

प्रतिलिपिः–

1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग ।

2/ महालेखाकार (कमांक एक) म.प्र.ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 15.07.2020 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

हस्ता/
पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, वन विभाग

विधायी
प्रभारी श्री उत्पादन

Pl. circulate to all
07/8/2020
7/8/2020

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं० 0755&2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / उत्पा. / आई.डी.सी. / 833 भोपाल, दिनांक 24 / 08 / 2020

प्रति,

1.) समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक,
2.) समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय / उत्पादन)
मध्यप्रदेश

विषय :— केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर में शासकीय अधिवक्ता श्री दिवेश कुमार जैन की नियुक्ति बावत्।

—::00::—

विषयांकित प्रकरण में लेख है कि सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1306/738/2019/5/एक दिनांक 16.06.2020 द्वारा सूचित किया है कि श्री दिवेश कुमार जैन के केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर के शासन पक्ष समर्थन हेतु शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किया है। (छायाप्रति संलग्न

अतः माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के प्रकरणों में संबंधित शासकीय अधिवक्ता से संपर्क स्थापित करने का कष्ट करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

24/8/20

मुख्य वन संरक्षक(विपणन)
मध्यप्रदेश भोपाल

O/F

5. श्री दिवेश कुमार जैन, स्थायी अधिवक्ता, (केट) मध्यप्रदेश शासन, 282, नेपियर टाउन, जबलपुर । कृपया आपने उक्त पद हेतु अपनी उपस्थिति एवं अपने बैंक खाते का डिटेल आईएफसी कोड सहित, पेन नंबर आदि की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।
6. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल।
7. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय

अवर सचिव 'कार्मिक'
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

क्रमांक 1306 /738/2019/5/एक, भोपाल, दिनांक 16 जून, 2020

विधि एवं विधायी विभाग के आदेश क्रमांक 2345–ए/21–ब(दो) 20120 दिनांक 03 जून, 2020 द्वारा श्री दिवेश कुमार जैन, अधिवक्ता को माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में राज्य शासन से संबंधित प्रकरणों में शासन के पक्ष समर्थन हेतु रूपये 57,500/– (रूपये सत्तावन हजार पॉच सौ केवल) मासिक पारिश्रमिक वास्तविक अन्य व्यय एवं यात्रा व्यय पर स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया गया है।

2/ विधि एवं विधायी विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2345–ए/21–ब(दो) 20120 दिनांक 03 जून, 2020 के अनुक्रम में श्री आकाश चौधरी की नियुक्ति निरंतर करते हुए श्री दिवेश कुमार जैन, स्थायी अधिवक्ता, मध्यप्रदेश को वित्तीय वर्ष 2020–2021 में रूपये 57,500/– (रूपये सत्तावन हजार पॉच सौ केवल) मासिक पारिश्रमिक वास्तविक अन्य व्यय एवं यात्रा व्यय भुगतान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति मांग संख्या–01–मुख्य शीर्ष 2052 सचिवालय सामान्य सेवाएं–090–सचिवालय (4327) सचिवालय–31 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियॉ –003– अभिभाषकों की फीस के अंतर्गत विकलनीय होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
16/6/2020

(फजल मोहम्मद)
अवर सचिव 'कार्मिक'
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

18 JUN 2020

पृ. क्रमांक 1307 /738/2019/5/एक, भोपाल, दिनांक 16 जून, 2020

प्रतिलिपि–

1. महालेखाकार, मप्र ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन/वन विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग/गृह विभाग।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

Tel & Fax No. 0755-2674354, E-Mail add- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / उत्पादन / बजट / 309 / 2020 / 1557 भोपाल,दिनांक : 24.08.2020

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

विषय :- मांग संख्या 10–2406 आयोजनेत्तर के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 का बजट आवंटन करने बाबत्।

---::00::---

उपरोक्त विषयांतर्गत के संबंध में लेख है कि, तीन माह से अधिक समय से श्रमिकों के भुगतान लंबित होने के दृष्टिगत श्रमिकों को और अधिक असुविधा न हो, इस दृष्टिकोण से यह निर्णय किया गया है कि बजट मद 0535 के अंतर्गत 12 मजदूरी में आवंटित बजट राशि से बजट मद 0534 (वन संरक्षण अधिनियम) एवं 2901(बांस के राजकीय व्यापार) के अंतर्गत लंबित श्रमिको की मजदूरी का भुगतान किया जाए। कृपया आपके अधीनस्थ वनमंडलाधिकारियों को तत्काल श्रमिकों के लंबित देयको की राशि के भुगतान करने हेतु निर्देशित करें।

(सी. के. पाटिल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक / उत्पादन / बजट / 2020 / 309 / 1558 भोपाल,दिनांक 25-8-20

प्रतिलिपि:-

1. समस्त वनमंडलाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। अगर आपके पास 0535 इमारती लकड़ी के राजकीय व्यापार के अंतर्गत राशि उपलब्ध है तो भुगतान करें यदि नही है तो मांग करें।

24/8/20

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

G/F

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल –462004

दूरभाष एवं फैक्स न0 0755-2674364 E-mail: pccfprod@mp.gov.in.

क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/भाग–6/192/2161 भोपाल,दिनांक 11-9-20

प्रति,

समस्त

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

(म0प्र0)

विषयः– वर्ष 2020–21 में विदोहन किये जाने वाले कूपों में वृक्षों की कटाई की अनुमति बाबत।

—:: 0 ::—

विषयांकित के संबंध में लेख है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 में विदोहन किये जाने वाले कूपों में वृक्षों के विदोहन की अनुमति कुछ वन मंडलो हेतु जारी की जा चुकी है, तथा शेष हेतु प्रक्रियाधीन है। जिन वन मंडलों को विदोहन की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, वे 15 सितम्बर 2020 से विदोहन कार्य आवश्यक रूप से आरंभ करें, तथा शीघ्र विदोहित वनोपज डिपो परिवहन कर नीलाम में प्रस्तावित करें। इस हेतु परिवहन निविदाओ की प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व विभागीय ट्रकों से अथवा आवश्यकतानुसार खुली दर पर परिवहन करवाऐं। यह भी ध्यान रखा जाये कि परिवहन निविदाओं में वनोपज की मात्रा दर्शित करते हुए विभागीय ट्रकों/खुली दर पर परिवहन कराये जाने योग्य वनोपज की मात्रा घटा कर ही निविदाये आमंत्रित की जाये।

जिन वन मंडलो को अभी विदोहन की स्वीकृति प्राप्त नही हुई है, किन्तु उनके प्रस्ताव केन्द्र शासन के पास लंबित है, वह स्वीकृति प्राप्त होने की प्रत्याशा में समस्त तैयारियाँ पूर्ण रखें तथा स्वीकृति प्राप्त होते ही विदोहन कार्य आरंभ करें।

(सी0के0पाटिल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

म0प्र0 भोपाल

पृ0क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/भाग–6/192/2162 भोपाल,दिनांक 11-9-20

प्रतिलिपिः–

समस्त वन मंडलाधिकारी (उत्पादन/क्षेत्रीय) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11/09/20

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

म0प्र0 भोपाल

E:\E\Production Kasht.doc

9/F.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

Tel & Fax No. 0755-2674354, E-Mail add- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / उत्पादन / बजट / 309 / 2020 / 2218 भोपाल,दिनांक : 18.09.2020

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

विषय :- मांग संख्या 10-2406 आयोजनेत्तर के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट आवंटन करने बाबत्।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1957 दिनांक 24.08.2020 एवं 2147 दिनांक 10.09.2020

—::00::—

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचनार्थ लेख है कि, शासन द्वारा बजट मद 1093 (खैर का राजकीय व्यापार), 0534 (वन संरक्षण अधिनियम) एवं 2901(बांस के राजकीय व्यापार) मद को बजट मद योजना 0535 वनोपज का विदोहन एवं निर्वर्तन (इमारती लकड़ी का उत्पादन) में समाहित कर दिया गया है। अतः उक्त योजनाओं का समस्त व्यय अब लघुशीर्ष 203 योजना 0535 वनोपज का विदोहन एवं निर्वर्तन (इमारती लकड़ी का उत्पादन) में विकलनीय होगा।

(सी.के. पाटिल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक / उत्पादन / बजट / 2020 / 309 / 2219 भोपाल,दिनांक 18/09/2020

प्रतिलिपिः-

1. समस्त वनमंडलाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करें।

18/09/20
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

G/F.

Secy (F)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 19/10/2020

फा0क्रमांक 4101/21–ब(दो), 2019, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में आवश्यकतानुसार राज्य का प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु निम्नलिखित कनिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल इस विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.08.2020 के अतिरिक्त एतद्द्वारा अनुमोदित करता है :–

कनिष्ठ अधिवक्तागण

1. Pratima N. Lakra
2. Mr. Joydeep Mukherjee
3. Mr. Padmesh Mishra

उक्त कनिष्ठ अधिवक्ताओं को जब किसी प्रकरण में नियुक्त किया जाये तब उन्हें राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर से फीस देय होगी :–

कनिष्ठ अधिवक्ता हेतु वर्तमान में देय फीस

1/	नियमित प्रकरण में पैरवी हेतु उपसंजात एवं तर्क प्रस्तुत करने के लिए	रूपये 2,500/–(रू दो हजार पांच सौ) प्रतिदिन प्रतिप्रकरण अथवा अधिकतम रूपये. 7500/–(रूपये सात हजार पांच सौ)
2/	नियमित सुनवाई के लिए प्रकरण अनुज्ञात करने के लिए	रूपये 1,500/– (रू एक हजार पांच सौ) प्रतिदिन प्रति प्रकरण अथवा अधिकतम रूपये 3000/–(रूपये तीन हजार)
3/	(स्थानांतरण के लिये या) एक ही तथ्य से उद्भूत अनेक प्रकरणों के लिए	रूपये 1,500/– (रू एक हजार पांच सौ) प्रतिदिन प्रति प्रकरण अथवा अधिकतम रूपये 3000/–(रूपये तीन हजार)

कनिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति आवश्यकता अनुसार विधि विभाग की पूर्वानुमति से ही की जा सकेगी।

उक्त व्यय मांग संख्या–29–न्याय प्रशासन (2014) न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता (6251) उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के अभिभाषकों को फीस एवं अन्य भुगतान की मद–31–व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां–003–अभिभाषकों की फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

PCCF (Prod)
PCCF (HoFF)
6521 23-10-20
285 21/10/20
24/10

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल,
Telephone & Fax No.- (0755) 2674354, E-Mail- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/ली.से./उत्पादन/न्या.प्र./2020/ 2609 भोपाल दिनांक 03/11/2020

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक
   क्षेत्रीय/अनुसंधान विस्तार/कार्य आयोजना वृत्त
   मध्यप्रदेश
2. समस्त क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
   मध्यप्रदेश
3. समस्त वन मंडल अधिकारी(क्षेत्रीय/उत्पादन),
   मध्यप्रदेश

विषयः- राज्य शासन, मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में राज्य शासन का प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु अधिवक्ताओं का पैनल।

संदर्भः- म.प्र.शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग का आदेश पृ.क्रमांक/4101/21-ब(दो),2019 दिनांक 19.10.2020

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत म.प्र.शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग से प्राप्त राज्य शासन, मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में राज्य शासन का प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु अधिवक्ताओं का पैनल हेतु आदेश संलग्न कर आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

03/11/2020
मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/ली.से./उत्पादन/न्या.प्र./2020/ 2610 भोपाल दिनांक 03/11/2020

प्रतिलिपिः

1) समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(जनसंपर्क) एवं नोडल अधिकारी, न्यायालयीन प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03/11/2020
मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक 4101/21–ब(दो), 2019 भोपाल, दिनांक 19/10/2020

प्रतिलिपि:–

1. सेक्रेटरी जनरल/रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल), उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली,
2. रजिस्ट्रार , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर,
3. महाधिवक्ता म.प्र. जबलपुर की ओर भेजकर अनुरोध है कि, कनिष्ठ अधिवक्ताओं को सूचित करने का कष्ट करें,
4. समस्त विभाग, म0प्र0 शासन, मंत्रालय भोपाल
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (टी/एन) म0प्र0 ग्वालियर,
6. श्री अर्जुन गर्ग, स्थायी अधिवक्ता, ई–28 ग्राउंड फ्लोर, लाजपत नगर–III मूलचंद अस्पताल के पीछे, नई दिल्ली–24,
7. श्री पशुपतिनाथ राजदान, स्थायी अधिवक्ता, हाउस नं 18, श्याम इंक्लेव, दिल्ली –110092
8. श्री सन्नी चौधरी, स्थायी अधिवक्ता S–222, एलजीएफ, ग्रेटर कैलाश, पार्ट–1, नई दिल्ली–48,
9. श्री गोपाल झा, स्थायी अधिवक्ता, सी–47 साउथ एक्सटेंशन, पार्ट–2, नई दिल्ली–110092,
10. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
11. निज सचिव, माननीय विधि मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
12. आपराधिक शाखा, याचिका शाखा, सिविल शाखा, बजट शाखा, स्थापना शाखा विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
13. आई.टी. शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बावत।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

19.10.20

(श्रीमती प्रीति सिंह)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) एवं वन बल प्रमुख सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल

Tel&Fax0755-2674354 Email- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/वनिस/ 2020/ 2616 भोपाल, दिनांक 04/11/2020

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक,
क्षेत्रीय वन वृत्त,
मध्य प्रदेश

विषयः– माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में दिनांक 01.01. 2014 से 30.06. 2020 तक के वन विभाग 800 प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– 1. संयुक्त आयुक्त, लिटीगेशन एवं समन्वय, जबलपुर का पत्र क्रमांक 3955 दिनांक 31.08.2020

2.प्रमुख सचिव (वन) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख) की अध्यक्षता में ली गयी विडियो कांफ्रेंस दिनांक 16.10.2020 में दिये गये निर्देश।

3.मध्य प्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 की कण्डिका 20 के अनुसार सभी विभागों में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली सक्रिय किये जाने के संबंध में म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग का पत्र क्रमांक 3228 दिनांक 3.10.2020

4. न्यायालयीन प्रकरणों के प्रभारी अधिकारियों के आचरण संबंधी निर्देश के संबंध में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 5–5/2020/1/8 दिनांक 23.10.2020

---0---

संयुक्त आयुक्त, लिटीगेशन एवं समन्वय, जबलपुर द्वारा प्रथम संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रमुख सचिव(वन) को यह लेख किया गया है कि वर्ष 2014 से जून 2020 तक 800 प्रकरणों में वन विभाग द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करवाने हेतु लेख किया गया है। प्रमुख सचिव (वन) द्वारा समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा में यह प्रकरण लिया गया है एवं उनके द्वारा प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक मंगलवार को इसकी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

2. इन 800 प्रकरणों की सूची सभी वन वृत्तों को प्रेषित कर प्रकरणवार जानकारी मंगवायी गयी थी। यद्यपि कुछ वन वृत्तों से अभी पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर दर्शित प्रकरणों की स्थिति एवं आपके द्वारा प्रषित जानकारियों के आधार पर इनमें से 58 अवमानना प्रकरणों, 30 रिट अपील प्रकरणों एवं 388 रिट पिटीशन प्रकरणों की वृत्तवार सूची सहपत्र 01 पर संलग्न है। उक्त जानकारी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अवमानना के 58 प्रकरणों में से 04

टाईप आईटम

प्रकरण अन्य विभाग के हैं तथा 54 प्रकरणों में से 48 प्रकरण वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित हैं। इसी प्रकार रिट अपील के 30 प्रकरणों में से 23 प्रकरण वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित हैं। रिट पिटीशन के 388 प्रकरणों में से 229 प्रकरण वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित हैं। इस प्रकार इन तीन श्रेणियों में कुल 422 प्रकरणों में 300 प्रकरण अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित हैं, जो 71 प्रतिशत हैं।

3. सहपत्र 01 में दर्शित तालिका में कर्मचारियों के अधिकांश प्रकरणों में विभागीय जांच, पेंशन से कटौती, वसूली, नियमितीकरण, पदोन्नति, स्थानांतरण, वरीयता, पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण तथा सेवा निवृत्ति के लाभ से संबंधित प्रकरण शामिल हैं।उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समस्याओं का क्षेत्रीय स्तर पर निराकरण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उन्हें न्यायालय में प्रकरण दायर करना पड़ रहा है।

4. मध्य प्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 की कण्डिका 20.3 के अनुसार अपनी सेवा संबंधी शिकायतों के लिये न्यायालय में जाने के पूर्व शिकायत निवारण समिति के माध्यम से कर्मचारियों को अपनी शिकायतों के निवारण के संबंध में कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया है कि अभी तक एक भी प्रकरण में किसी भी विभाग की आंतरिक शिकायत निवारण समिति के द्वारा पारित आदेश को चुनौती नहीं दी गयी है तथा शासकीय सेवक न्यायालय में सीधे प्रकरण दायर कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 की कण्डिका 14 के अनुसार वन विभाग में सचिव (वन) की अध्यक्षता में विभाग स्तरीय सशक्त कमेटी का गठन किया जा चुका है। इस नीति की कण्डिका 20 के अनुसार सभी विभागों को आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को सक्रिय करने के सबंध में संदर्भ क्रमांक 03 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं। दिनांक 16.10.2020 को आयोजित विडियो कांफ्रेंस में भी इस संबंध में आपको यह निर्देश दिये गये थे कि वृत्त स्तर पर आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन कर इस समिति की प्रत्येक माह बैठक आयोजित करें जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रकरणों की समीक्षा की जाए एवं जिन प्रकरणों में वृत्त स्तर पर निराकरण संभव है, उनमें समुचित आदेश पारित किये जाएं। जिन प्रकरणों में मुख्यालय या शासन स्तर से निराकरण होना है, उनकी जानकारी भी प्रतिमाह मुख्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल वृत्त स्तर पर आंतरिक शिकायत निवारण समिति गठित कर लें एवं आपके वृत्त से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरणों की समीक्षा इसी माह से प्रारंभ कर लें। इस संबंध में आंतरिक शिकायत निवारण समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण प्रतिमाह इस कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें, ताकि अधिकारियों एवं

कर्मचारियों की शिकायतों का समय पर निवारण हो सके एवं उनके द्वारा दायर किये जा रहे न्यायालयीन प्रकरणों में कमी आ सके।

5. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिन 800 प्रकरणों की सूची के आधार पर यह जानकारी तैयार की गयी है, उसके अतिरिक्त इस अवधि के पूर्व एवं पश्चात के अन्य प्रकरण भी आपके वृत्तों में हो सकते हैं। आंतरिक शिकायत निवारण समिति की बैठक में इन सभी प्रकरणों को भी शामिल कर उन पर भी यथोचित निर्णय लिया जाए। चूंकि यह सूची माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त हुई है, अतः इसमें माननीय उच्च न्यायालय की ग्वालियर एवं इंदौर बेंच के प्रकरण शामिल नहीं हैं। वहां भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है। अतः ग्वालियर एवं इंदौर बेंच के अंतर्गत आने वाले वन वृत्तों में भी इसी प्रकार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

6. कई प्रकरणों में यह जानकारी दी गयी है कि प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण जवाबदावा फाईल नहीं हुआ है। अतः आपके वन वृत्तों के ऐसे प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के प्रस्ताव संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से नोडल अधिकारी, न्यायालयीन प्रकरण को शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफ 5–5/2020/1/8 दिनांक 23.10.2020 से न्यायालयीन प्रकरणों के प्रभारी अधिकारियों के आचरण के संबंधी दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, उनकी छाया प्रति भी संलग्न है। इसे समस्त अधिकारियों के ध्यान में लायें।

संलग्नः (1)सहपत्र 01

(2) संदर्भ पत्र क. 03 की छाया प्रति

(3)संदर्भ पत्र क. 04 की छाया प्रति

04/11/2020

(राजेश श्रीवास्तव),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/वनिस/ 2020/ 2617 भोपाल, दिनांक 04/11/2020

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–प्रशासन–1/प्रशासन–2/सतर्कता एवं शिकायत/अनुसंधान एवं प्रशिक्षण/संरक्षण/भू–प्रबंधन/वन भू–अभिलेख/वन्य प्राणी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपनी शाखा से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में समय पर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति एवं जवाबदावा प्रस्तुत कराने की कार्यवाही की निरंतर समीक्षा सुनिश्चित करें।

2. मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) एवं नोडल अधिकारी न्यायालयीन प्रकरण, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण सुनिश्चित कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नः— (1)सहपत्र 01

(2) संदर्भ पत्र क. 03 की छाया प्रति

(3)संदर्भ पत्र क. 04 की छाया प्रति

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्य प्रदेश भोपाल

२०६४५-०१

71. Status of Court Cases in MP High Court (3033/15.09.2020)

A: Contempt Cases: 58

S. No.	Circle	Disciplinary Proceedings	Withholding Pension	Recovery	Regularisation	Reinstate	Compassionate Appointment	Appointment	Transfer	Seniority	Promotion	Pay Fixation	Retirement Benefits	Others	Remarks	Total
1	Balaghat	1			1										Suspension	2
2	Betul					1									Industrial Disputes Act, Labour	1
3	Bhopal												1		GPF, Pension	1
4	Chhatarpur	1	1	1	1	1	1		1						Industrial Disputes Act, Labour	7
5	Chhindwara							1	1			1				3
6	Hoshangabad	1						1				2				4
7	Jabalpur		1				1	1	1	4		2	2			12
8	Rewa	1		1						1						3
9	Sagar							2			1	1	1			5
10	Seoni		1		1		1						1		Family pension	4
11	Shahdol			1	1					1			1		Pension	4
12	Wildlife											1				1
13	MPFDC				1										Labour	1
	Sub-total	4	3	3	5	2	3	5	3	6	1	7	6			48
															Land Acquisition	1
															Protection	3
															Land Records	1
															PIL	1
	Sub-total															6
	Total Forest Dt															54
	Other Dept													3	School Educatioon	3
														1	OBC & Minoroties Deptt.	1
	Sub-total															4

B: Writ Appeals: 30

S. No	Circle	Disciplinary Proceedings	Withholding Pension	Recovery	Regularisation	Reinstate	Compassionate Appointment	Appointment	Transfer	Seniority	Promotion	Pay Fixation	Retirement Benefits	Others	Remarks	Total
1	Balaghat	1													Dismissal	2
2	Betul								1							0
3	Bhopal				2										Industrial Disputes Act, Labour	2
4	Chhatarpur	1			1										Dismissal	2
5	Chhindwara															0
6	Hoshangabad															0
7	Jabalpur							1		1		6	1	1	PEB, 1 Disposed	10
8	Rewa			1	1										Industrial Disputes Act, Labour	2
9	Sagar							1			1					2
10	Seoni															0
11	Shahdol			1												1
12	HQ	1			1					1					dismissal	2
	Sub-total	3	0	2	5	0	0	2	0	2	1	6	1	1		23
															Protection	6
															MFP Fed	1
	Sub-total															7
	Total Forest Dt															30

C: Writ Petitions: 338

S. No	Circle	Disciplinary Proceedings	Withholding Pension	Recovery	Regularisation	Reinstate	Compassionate Appointment	Appointment	Transfer	Seniority	Promotion	Pay Fixation	Retirement Benefits	Others	Remarks	Total
1	Balaghat	3	2	1	2	0	0	2	1	0	1	8	3	0		23
2	Betul	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0		6
3	Bhopal	2	0	2	4	0	1	7	1	0	0	6	3	0		26
4	Chhatarpur	2	1	3	7	0	2	1	3	0	0	5	2	0		26
5	Chhindwara	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0		5
6	Hoshangabad	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0		7
7	Indore	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0		2
8	Jabalpur	3	3	3	4	0	3	1	2	1	1	6	4	1		32
9	Khandwa	2	0	0	1	0	1	1	0	0	2	1	1	0		9
8	Rewa	7	0	2	9	2	0	1	1	2	0	10	5	3		42
9	Sagar	4	0	2	6	0	1	1	2	0	1	0	2	1		20
10	Seoni	3	0	0	2	1	0	0	2	1	0	1	2	1		13
11	Shahdol	0	2	2	1	0	2	0	1	5	0	0	3	1		17
12	HQ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		1
	Sub-total	30	8	15	38	3	10	18	16	12	5	38	29	7		229
															Protection	39
															Land Mgmt	7
															MFP Fed	25
															MPFDC	8
															Wildlife	5
															Biodiversity Board	2
															MPPSC	11
															PEB	3
															PIL	9
	Sub-total															109
	Total Forest Dt															338
															Revenue Dt	24
															Home Dept	1
															Western Coalfields	1
															Horticulture	2
															Env & Hsg	2
															Urban Admn	2
															NVD Deptt	2
															District Treasury Off	1

															Income Tax	1
															New India Assurance	1
															JNKVV	1
															RTI	1
															Civil case	1
															Rajya Sahkari Vipanan Sangh	1
															PWD	2
															ICDS	1
															Mining	3
															Municipal Act	1
															MP Tourism	1
															Rural Liveli-hood mission	1
	Sub-total															50

135

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 3228-2/21-ब(दो) भोपाल, दिनांक 03.10.2020

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विषयः म.प्र. राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018 की कंडिका 20 के अनुसार सभी विभागों में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को सकृय किये जाने के संबंध में ।

संदर्भः इस विभाग के पत्र क्र. 5006(क-6,7)/21-ब(दो), दिनांक 21.12.2018 एवं १५३४(क-6,7)/21-ब(दो)दिनांक 18.11.2019

उपरोक्त विषय के संबंध में संदर्भित पत्रों द्वारा राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक 23.10.2018 में पारित संकल्प अनुसार अपने-अपने विभागों में राज्य एवं जिला स्तर पर आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की एरियर्स कमेटी-सह केस मैनेजमेंट स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम समिति की वीडियो कॉन्फर्रेंसिंग बैठक 18.07.2020 में राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति के तहत आंतरिक शिकायत निवारण समिति के सुचारु रूप से संचालन के संबंध में हुई चर्चा में माननीय समिति ने असंतोष व्यक्त किया है कि अभी तक माननीय उच्च न्यायालय में एक भी प्रकरण में किसी भी विभाग की आंतरिक शिकायत निवारण समिति के द्वारा पारित आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। जिससे यह प्रकट होता है कि विभागों में गठित आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली कार्य नहीं कर ही है एवं शासकीय सेवक न्यायलय में सीधे प्रकरण दायर कर रहे हैं।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि आप अपने विभाग के समस्त स्तरों पर कार्यरत सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपने विभाग/कार्यालय में राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018 के अधीन गठित आंतरिक शिकायत निवारण समिति के बारे में सूचित करते हुए अवगत करायें कि प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों के लिए मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018 की कंडिका 20.3 के अनुसार अपनी सेवा संबंधी शिकायतों के लिए न्यायालय में जाने के पूर्व शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायतों के निवारण के संबंध में कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है।

3.10.20

59 12/10/20

(संतोष प्रसाद शुक्ल)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

नोटः म.प्र. राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018: http://www.law.mp.gov.in/en/policies-schemes/policies पर उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 5–5/2020/1/8 भोपाल,दिनांक 23/10/2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– न्यायालयीन प्रकरणों के प्रभारी अधिकारियों के आचरण संबंधी दिशा–निर्देश।

राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा रिट अपील क्रमांक 1812/2019 में दिनांक 06/01/2020 को पारित आदेश के अनुक्रम में न्यायिक फोरम के समक्ष लंबित ऐसे समस्त प्रकरणों में, जिनमें राज्य शासन पक्षकार है, नियुक्त किए गए सभी प्रभारी अधिकारियों के लिए माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा उपरोक्त आदेश में उल्लिखित निर्देशों को समाहित करते हुए निम्नानुसार आचरण संहिता (**Code of Conduct**) निर्धारित करता हैः–

PCCF (Prod.)

1. प्रत्येक प्रभारी अधिकारी को प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण जानकारी/ तैयारी के पश्चात् ही राज्य के अधिवक्ता के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना चाहिए तथा रिटर्न/जवाब/अंतरिम आवेदन आदि तैयार कर रहे राज्य के अधिवक्ता को जानकारी देते समय पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए।

प्र.मु.व.सं. (वन बल प्रमुख) म.प्र. भोपाल 03/11/20

2. समस्त प्रभारी अधिकारी, राज्य के अधिवक्ता से संपर्क रखते हुए उन्हें विनिर्दिष्ट किए गए न्यायालय प्रकरणों का मेहनत से और नियमित रूप से अनुसरण करें और प्रकरण की पूर्ण प्रगति के बारे में सतर्क और सचेत रहें।

6798 03-11-20

3. समस्त प्रभारी अधिकारी प्रत्येक प्रकरण की एक पृथक फाईल संधारित करेंगे जिसमें न्यायालय के समक्ष हुई समस्त सुनवाईयों से संबंधित आदेश की प्रतियाँ होंगी।

4. न्यायालय की कार्यवाही में केवल प्रभारी अधिकारी को उपस्थित होने की अनुमति होगी। प्रभारी अधिकारी नियुक्त न होने पर जब भी आवश्यक हो कोई अन्य अधिकारी उपस्थित हो सकेगा जो राजपत्रित श्रेणी से निम्न स्तर का न हो।

निरन्तर..........2

P.C.C.F. (Prod.)
M. P. Bhopal

5. समस्त प्रभारी अधिकारी न्यायालय में सुनवाई के दौरान औपचारिक परिधान पहनेंगें।

6. प्रभारी अधिकारी प्रकरण के संबंध में सुसंगत सूचनाओं एवं दस्तावेजों से अच्छी तरह से सुसज्जित हो यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग के विधिक प्रकोष्ठ अथवा सक्षम अधिकारी के साथ आवश्यक सम्पर्क एवं समन्वय रखेगा।

7. महाधिवक्ता कार्यालय पहुंचने के पूर्व, प्रकरण का प्रभारी अधिकारी, विभाग के नोडल अधिकारी/सक्षम अधिकारी से संपर्क करेगा, प्रकरण के ब्यौरे साझा करेगा तथा महाधिवक्ता कार्यालय से फाइल चिन्हित कराने के पूर्व प्रकरण की अद्यतन स्थिति ज्ञात करेगा।

8. प्रभारी अधिकारी, उस विधि अधिकारी से जिसे फाईल चिन्हित की गई है, उसी दिन संपर्क करेगा और हस्तगत प्रकरण के संबंध में विधि अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करेगा। उसी दिन रिटर्न/ अपील/ संबंधित कार्यवाहियां तैयार/फाइल नहीं कर सकने की दशा में वह विशिष्ट कारणों के साथ संबंधित विधि अधिकारी से अगली तारीख के बारे में पृष्ठांकन प्राप्त करेगा।

9. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय छोड़ने के पश्चात् अपनी अभिरक्षा में अनावश्यक रूप से महाधिवक्ता कार्यालय की फाइल नहीं रखेगा।

10. प्रभारी अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों के बारे में विधिक प्रकोष्ठ/सक्षम विभागीय प्राधिकारी से तत्काल संवाद करने के लिए उत्तरदायी होगा।

11. प्रभारी अधिकारी को विधिक प्रकोष्ठ के प्रमुख/सक्षम अधिकारी से यह सुनिश्चित करने के लिए सीधी पहुँच होगी कि प्रकरणों के तेजी से निपटाने को सुगम बनाने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय को सूचना/दस्तावेजों के प्रसारण में अनावश्यक देरी न हो।

12. प्रभारी अधिकारी मुकदमें के पूरी तरह समाप्त होने तक उसे समनुदेशित प्रत्येक प्रकरण को संभालने के लिए जिम्मेदार होगा। वह नियमित रूप से उसे समनुदेशित प्रकरण के संबंध में न्यायालयीन कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण (मॉनिटरिंग) करेगा और मासिक रूप से संबंधित विभाग के विधिक प्रकोष्ठ अथवा सक्षम अधिकारी को इस संबंध में प्रास्थिति प्रतिवेदन भेजेगा।

13. यह सुनिश्चित करने का प्रभारी अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि प्रकरण में न्यायालय में उचित रूप से प्रतिवाद किया गया है।

निरन्तर........3

14. प्रभारी अधिकारी को पहले पदनाम उल्लेखित करते हुए नियुक्त किया जाएगा और ऐसे अधिकारी के स्थानान्तरण/सेवा निवृत्ति की दशा में वह अपना पद छोड़ने से पूर्व प्रकरण का संपूर्ण अभिलेख अपने उत्तराधिकारी को सौंपेगा जो निरन्तर प्रभारी अधिकारी रहेगा। उत्तराधिकारी अधिकारी नोडल अधिकारी की सम्यक सूचना के अधीन ऐसे परिवर्तन के बारे में विधिक प्रकोष्ठ के प्रमुख/सक्षम अधिकारी को शीघ्र ही प्रतिवेदन देगा।

15. किसी विशिष्ट प्रकरण में विपरीत आदेश पारित किए जाने की दशा में, आदेश की प्रमाणित/प्रमाणिक प्रति के साथ आवश्यक मत लेने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय से शीघ्र ही संपर्क करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारी की होगी और वह उक्त मत के अनुसार परिसीमा के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा।

16. प्रभारी अधिकारी को उसे समनुदेशित प्रकरण के संबंध में किसी चूक को कर्त्तव्य पालन में लापरवाही/कदाचार माना जाएगा और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाएगी।

2/ कृपया उक्त निर्देशों से आपके अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/ कार्यालयों/अधिकारियों को भी अवगत कराएं।

(मनीषा सेंतिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5–5/2020/1/8 भोपाल,दिनांक 23/10/2020

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
3. रजिस्ट्रार,, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय म.प्र.।
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी,मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड,,मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
11. सचिव, लोकायुक्त,मध्यप्रदेश ,भोपाल।
12. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
13. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
15. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
16. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/ इन्दौर।
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
18. संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय, जबलपुर/ इन्दौर/ ग्वालियर।
19. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग,(समस्त कक्ष)मंत्रालय, भोपाल ।

(मनीषा सेंतिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक आर./1759/3611/2018/10-1 भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर, 2020

प्रति,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
   मध्यप्रदेश भोपाल.
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
   सतपुड़ा भवन, भोपाल.
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2)
   सतपुड़ा भवन, भोपाल.

विषयः-नवीन मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा नीति 2018 लागू किये जाने बावत।

----0----

विषयांतर्गत विभाग स्तरीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक 03.02.2020 के संलग्न कार्यवाही विवरण का अवलोकन करें। विभाग स्तरीय सशक्त समिति की आगामी बैठक दिनांक 06.11.2020 को पूर्वान्ह 11.30 बजे सचिव, वन के कक्ष में निर्धारित है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में दिनांक 03.02.2020 को संपन्न बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन एवं आवश्यक जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

APCCF (Prod)
APCCF (Adm-2)

संलग्नः-कार्यवाही विवरण.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
(वन बल प्रमुख) म.प्र. भोपाल

(संजय मोहरीर)
पदेन सचिव
म.प्र.शासन,वन विभाग

2/11/20

पृष्ठां० क्रमांक आर./1760/3611/2018/10-1 भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपिः-

निज सहायक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2.11.20
पदेन सचिव
म.प्र.शासन,वन विभाग

6770
02-11-20

P.C.C.F (Prod.)
M P Bhopal

C:\Users\HP\Desktop\Siddiqui\letter.docx

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 3228-3/21-ब(दो)

भोपाल, दिनांक 03.10.2020

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विषयः म.प्र. राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018 की कंडिका 14 के अनुसार सभी विभागों में विभाग स्तरीय सशक्त समिति का गठन किये जाने हेतु।

संदर्भः इस विभाग के पत्र क्र. 5006(क-13.1)/21-ब(दो), दिनांक 21.12.2018 एवं पत्र दिनांक 18.11.2019

उपरोक्त विषय के संबंध में संदर्भित पत्रों द्वारा राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक 23.10.2018 में पारित संकल्प अनुसार अपने-अपने विभागों में अनिवार्य रूप से विभाग स्तरीय सशक्त समिति का गठन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था।

उक्त निर्देश के पालन में मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जनसम्पर्क विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उर्जा विभाग, परिवहन विभाग, तकनीकी शिक्षा कौशल एवं रोजगार, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, संसदीय कार्य विभाग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, मछुआ कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मत्स्य विकास विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा भी विभाग स्तरीय सशक्त समिति का गठन कर सूचना इस विभाग को भेजी गई है। किन्तु आपके विभाग से विभाग स्तरीय सशक्त समिति के गठन के संबंध में आज दिनांक तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय की एरियर्स कमेटी-सह केस मैनेजमेंट स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम समिति की वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक 18.07.2020 में राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति के क्रियान्वयन के संबंध में पारित संकल्प के अनुक्रम में पुनः अवगत किया जाता है कि विभाग स्तरीय सशक्त समिति का अविलंब गठन कर सूचना इस विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(संतोष प्रसाद शुक्ल)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

नोटः म.प्र. राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018: http://www.law.mp.gov.in/en/policies-schemes/policies पर उपलब्ध है।

-9 OCT 2020

135

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 3228-2/21-ब(दो) भोपाल, दिनांक 03.10.2020

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

वन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विषयः म.प्र. राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018 की कंडिका 20 के अनुसार सभी विभागों में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को सकृय किये जाने के संबंध में ।

संदर्भः इस विभाग के पत्र क्र. 5006(क-6,7)/21-ब(दो), दिनांक 21.12.2018 एवं १५३४(क-6,7)/21-ब(दो)दिनांक 18.11.2019

उपरोक्त विषय के संबंध में संदर्भित पत्रों द्वारा राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक 23.10.2018 में पारित संकल्प अनुसार अपने-अपने विभागों में राज्य एवं जिला स्तर पर आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की एरियर्स कमेटी-सह केस मैनेजमेंट स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम समिति की वीडियो कॉन्फरेंसिंग बैठक 18.07.2020 में राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति के तहत आंतरिक शिकायत निवारण समिति के सुचारू रूप से संचालन के संबंध में हुई चर्चा में माननीय समिति ने असंतोष व्यक्त किया है कि अभी तक माननीय उच्च न्यायालय में एक भी प्रकरण में किसी भी विभाग की आंतरिक शिकायत निवारण समिति के द्वारा पारित आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। जिससे यह प्रकट होता है कि विभागों में गठित आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली कार्य नहीं कर ही है एवं शासकीय सेवक न्यायलय में सीधे प्रकरण दायर कर रहे हैं।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि आप अपने विभाग के समस्त स्तरों पर कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने विभाग/कार्यालय में राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018 के अधीन गठित आंतरिक शिकायत निवारण समिति के बारे में सूचित करते हुए अवगत करायें कि प्रदेश के समस्त शासकीय सेवकों के लिए मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018 की कंडिका 20.3 के अनुसार अपनी सेवा संबंधी शिकायतों के लिए न्यायालय में जाने के पूर्व शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायतों के निवारण के संबंध में कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है।

3.10.20

59 12/10/20

(संतोष प्रसाद शुक्ल)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

नोटः म.प्र. राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018: http://www.law.mp.gov.in/en/policies-schemes/policies पर उपलब्ध है।

स्मरण-पत्र

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 3228-4/21-ब(दो) भोपाल, दिनांक 03.10.2020

प्रति,

समस्त
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
मंत्रालय, भोपाल

विषयः म.प्र. राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018 की कंडिका 5 के अनुसार विधिक प्रकोष्ठ का गठन किये जाने हेतु।

संदर्भः इस विभाग के पत्र क्र. 5006(क-13.1)/21-ब(दो), दिनांक 21.12.2018 एवं स्मरण पत्र दिनांक 18.11.2019

उपरोक्त विषय के संबंध में संदर्भित पत्रों द्वारा राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक 23.10.2018 में पारित संकल्प अनुसार प्रथम चरण में राजस्व विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, तकनीकि शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग कुल 7 विभागों में विधिक प्रकोष्ठ की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। राज्य स्तरीय सशक्त समिति के संकल्प अनुसार द्वितीय चरण में अन्य विभागों के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों का परीक्षण कर उनमें विधिक प्रकोष्ठ की स्थापना के संबंध में कार्यवाही की जानी है।

इस विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा उपरोक्त 7 विभागों को छोड़कर अन्य विभागों से उनके लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी चाही गई थी। मात्र विधि एवं विधायी कार्य विभाग, संसदीय कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग से उनके लंबित प्रकरणों की सूची प्राप्त हुई है शेष विभागों से अब तक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।

अतः अनुरोध है कि यथा शीघ्र अपने विभाग के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन जानकारी से इस विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें।

89 [initials] 12.10.20

[signature] 3.10.20

(संतोष प्रसाद शुक्ल)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

नोटः म.प्र. राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति, 2018: http://www.law.mp.gov.in/en/policies-schemes/policies पर उपलब्ध है।

(1)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / उत्पा. / निर्वर्तन / 20 / 04 / 2019 / पार्ट–2 / 2648 भोपाल, दिनांक 06/ 11 / 2020

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

विषयः– विभागीय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन "कॉन्ट्रेक्टर पंजीयन" में ईमारती काष्ठ के क्रेताओं के स्वीकृत प्रकरणों के सर्टिफिकेट हस्ताक्षर उपरांत अपलोड किये जाने में वनमंडल स्तर से की जा रही देरी के संबंध में।

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(सूचना प्रौद्योगिकी), मध्यप्रदेश भोपाल की अशासकीय टीप क्रमांक 83 दिनांक 04.11.2020

—::00::—

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी शाखा से प्राप्त संदर्भित टीप संलग्न है। सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा लेख किया गया है कि विभागीय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन "कॉन्ट्रेक्टर पंजीयन" में ईमारती काष्ठ के क्रेताओं के स्वीकृत प्रकरणों के सर्टिफिकेट हस्ताक्षर उपरांत अपलोड किये जाने में वनमंडल स्तर से देरी की जा रही है। वनमंडलवार स्वीकृत पंजीयनों की संख्या एवं वनमंडल द्वारा अपलोड किये गये प्रकरणों की संख्या संलग्न हैं। यह खेद का विषय है कि पंजीयन होने के उपरान्त वन मंडलाधिकारियों द्वारा पंजीयन स्वीकृत करने एवं प्रमाण–पत्र अपलोड करने में अनावश्यक समय लिया जा रहा है, जिससे क्रेताओं को असुविधा हो रही है।

कृपया स्वयं के स्तर से पंजीयन के प्रकरणों की समीक्षा करें, एवं समय पर पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(सी. के. पाटिल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक / उत्पा. / निर्वर्तन / 20 / 04 / 2019 / पार्ट–2 / 2649 भोपाल, दिनांक 06/ 11 / 2020

प्रतिलिपि :– समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रस्तुत है। निर्देशित किया जाता है कि क्रेता द्वारा पंजीयन होने के तीन कार्य दिवस के भीतर पंजीयन की स्वीकृति एवं प्रमाण–पत्र अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। समय सीमा में कार्यवाही न होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

05/11/20

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

G/F
D-MR - 2020

(2)

मध्यप्रदेश वन विभाग
कक्ष – सूचना प्रौद्योगिकी

विषय : विभागीय साफ्टवेयर एप्लीकेशन "कॉंट्रेक्टर पंजीयन" में इमारती काष्ठ के क्रेताओं के स्वीकृत प्रकरणों के सर्टिफिकेट हस्ताक्षर उपरांत अपलोड किये जाने में वनमण्डल स्तर से की जा रही देरी के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इमारती काष्ठ के क्रेता विभिन्न क्षेत्रीय वनमण्डलो में विभागीय साफ्टवेयर एप्लीकेशन "कॉंट्रेक्टर पंजीयन" द्वारा आनलाइन आवेदन करते है। क्रेता के संपूर्ण विवरण, आवेदन शुल्क इत्यादि प्राप्त होने पर क्रेता का पंजीयन वनमण्डलाधिकारी के लागिन से स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत पंजीयन के सर्टिफिकेट जनरेट करने के उपरांत वनमण्डल अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ अपलोड किये जाते है, जिसे क्रेता अपने लागिन से डाउनलोड करता है। क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी स्तर पर सभी स्वीकृत पंजीयनो के सर्टिफिकेट अत्यधिक विलम्ब से अपलोड किये जाते है जिस कारण कई क्रेता अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करने से वंचित रह जाते है। वनमण्डलवार स्वीकृत पंजीयनों की संख्या एवं उनके द्वारा अपलोड किये जाने वाले सर्टिफिकेट के अंतर को संलग्न रिपोर्ट के माध्यम से समझा जा सकता है।

महोदय के अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत है।

(signature) 04/11/2020

(अमित चन्द्रवंशी)
वरिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर,(सू.प्रौ.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(सू.प्रौ.)

APCCF (Production)

(signature) 04/11/20

(अपर CCF / Dir. हेतु निर्देश का प्राप्त करें।)

(signature) 04/11/2020

(signature)

U.O. No. 83
04/11/2020

S.no.	Circle	Division	Registered On 04/11/2020 1	Pending For Approval 1271	Approved 6635	Certificate Not Generated 41	Certificate Not Uploaded 3086	Certificate Finalized 3288
1	Balaghat	North Balaghat	0	12	5	0	4	1
2	Balaghat	South Balaghat	0	28	82	2	39	38
3	Betul	Betul(P)	0	0	1	0	0	0
4	Betul	North Betul	0	90	301	0	6	285
5	Betul	South Betul	0	7	65	0	3	62
6	Betul	West Betul	0	11	1	0	1	0
7	Bhopal	Bhopal	0	0	0	0	0	0
8	Bhopal	Obedullahganj	0	8	66	3	63	0
9	Bhopal	Raisen	0	69	117	0	1	110
10	Bhopal	Rajgarh	0	0	2	1	1	0
11	Bhopal	Sehore	0	77	411	1	410	0
12	Bhopal	Vidisha	0	44	80	1	13	66
13	Chhatarpur	Chhatarpur	0	11	199	1	1	197
14	Chhatarpur	North Panna	0	2	9	0	0	9
15	Chhatarpur	South Panna	0	0	40	0	40	0
16	Chhatarpur	Tikamgarh	0	21	75	1	72	2
17	Chhindwara	East Chhindwara	0	56	308	1	302	5
18	Chhindwara	South Chhindwara	0	72	420	2	274	144
19	Chhindwara	West Chhindwara	0	7	306	0	18	288
20	Gwalior	Bhind	0	0	0	0	0	0
21	Gwalior	Datiya	0	0	0	0	0	0
22	Gwalior	Gwalior	0	0	0	0	0	0
23	Gwalior	Morena	0	0	2	0	0	2
24	Gwalior	Sheopur	0	0	0	0	0	0
25	Hoshangabad	Harda	0	9	156	1	128	2
26	Hoshangabad	Harda(P)	0	1	0	0	0	0
27	Hoshangabad	Hoshangabad	0	63	428	3	1	419
28	Indore	Alirajpur	0	0	0	0	0	0
29	Indore	Dhar	0	1	14	0	14	0
30	Indore	Indore	0	22	85	1	25	18
31	Indore	Jhabua	0	2	0	0	0	0
32	Jabalpur	Court Cases	0	0	0	0	0	0
33	Jabalpur	Dindori	0	5	80	0	0	80
34	Jabalpur	East Mandla	0	13	0	0	0	0
35	Jabalpur	Jabalpur	0	38	366	0	40	313
36	Jabalpur	Katni	0	15	43	0	36	6
37	Jabalpur	West Mandla	0	61	129	1	21	107
38	Khandwa	Barwah	0	9	65	1	6	58
39	Khandwa	Barwani	0	12	11	0	11	0
40	Khandwa	Burhanpur	0	17	84	1	82	1
41	Khandwa	Khandwa	0	61	301	1	292	1
42	Khandwa	Khargone	0	9	74	0	1	73
43	Khandwa	Sendhwa	0	6	22	0	22	0
44	Rewa	Rewa	0	9	102	0	102	0
45	Rewa	Satna	0	0	0	0	0	0
46	Rewa	Sidhi	0	26	46	0	5	41
47	Rewa	Singrauli	0	5	166	0	166	0
48	Sagar	Damoh	0	30	117	0	1	116
49	Sagar	North Sagar	0	48	48	3	27	18

50	Sagar	South Sagar	0	100	499	0	482	0
51	Seoni	Narsinghpur	0	69	86	1	84	1
52	Seoni	North Seoni	0	10	55	0	0	55
53	Seoni	South Seoni	0	34	639	3	3	542
54	Shahdol	Anuppur	0	14	44	1	31	12
55	Shahdol	North Shahdol	0	28	150	0	6	144
56	Shahdol	South Shahdol	1	1	73	0	4	69
57	Shahdol	Umaria	0	13	22	0	19	3
58	Shivpuri	Ashok Nagar	0	0	0	0	0	0
59	Shivpuri	Guna	0	12	7	7	0	0
60	Shivpuri	Shivpuri	0	0	0	0	0	0
61	Ujjain	Dewas	0	0	1	0	1	0
62	Ujjain	Mandsaur	0	2	11	2	9	0
63	Ujjain	Neemuch	0	1	71	0	71	0
64	Ujjain	Ratlam	0	4	121	2	119	0
65	Ujjain	Shajapur	0	0	0	0	0	0
66	Ujjain	Ujjain	0	6	29	0	29	0
			1	1271	6635	41	3086	3288

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल –462004

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfproduction@gmail.com

क्रमांक/उत्पा./परि0/38/भाग–3/2729 भोपाल,दिनांक : 18/11/2020

प्रति,

समस्त
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक/
वन मंडलाधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय :– मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के अनुसार मध्यप्रदेश में स्थित केन्द्र/राज्यों के शासकीय विभागों, शासकीय संस्थानों, शासकीय एजेंसियों तथा स्थानीय प्राधिकारियों (Local Authorities) द्वारा स्त्रोत पर की जाने वाली कर की कटौती (TDS) के संबंध में।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 1468/1947/2017/1/पांच दिनांक 22 जून 2017, कार्यालय पत्र क्रमांक/641 दिनांक 01/03/2019, 129 दिनांक 14/01/2019 तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक बैतूल का पत्र क्रमांक 2079 दिनांक 26/10/2020

---::0::---

विषयांतर्गत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(पदेन वन संरक्षक) बैतूल द्वारा वनोपज परिवहन भुगतान के परिपेक्ष्य में जी.एस.टी. की दर के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग के पत्र क्रमांक 1468/1947/2017/1/पांच दिनांक 22 जून 2017 की छायाप्रति तथा संदर्भित कार्यालयीन पत्रों की छायाप्रतियाँ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया परिवहन निविदाओं एवं करारनामों की शर्तों में तदानुसार प्रावधान सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

18-11-20

(सी. के. पाटिल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

E:\E\Production Parivahan.doc

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक- [illegible]/2017/1/पांच भोपाल दिनांक 22 जून 2017

प्रति,

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव (समस्त)
विभागाध्यक्ष / कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश

विषय:- मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के अनुसार मध्यप्रदेश में स्थित केन्द्र / राज्य के शासकीय विभागों, शासकीय संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों तथा स्थानीय प्राधिकारियों (Local Authorities) द्वारा स्रोत पर की जाने वाली कर की कटौती (TDS) के संबंध में।

मध्यप्रदेश में [illegible] से लागू होने [illegible] मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम [illegible]

[illegible]

[illegible]

Haulage conditions [illegible]

04/11/2020

[illegible]

मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 24 [illegible] अधिनियम की धारा 22 के अनुसार [illegible] करने के दायित्वाधीन व्यवसायी [illegible] अनिवार्य है [illegible] 30 दिन के अंदर [illegible] पृथक-पृथक [illegible] अधिनियम के [illegible]

[illegible] www.gst.gov.in [illegible]

पंजीयन प्राप्त करने के लिए [illegible] पंजीयन के लिए [illegible]

जी.एस.टी. के विवरण एवं प्रस्तुति

[illegible]

अनुपालन शास्ति एवं ब्याज

[illegible]

टी.डी.एस. की राशि का शासन को भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं करने पर ... 1.5 प्रतिशत मासिक दर से ब्याज देना होगा।

संक्रमण परिस्थिति

यदि कोई विक्रय जी.एस.टी. एक्ट लागू होने के पूर्व हो चुका है तथा उसकी ... भी जी.एस.टी. एक्ट लागू होने के पूर्व जारी हो चुकी है, तो ऐसे विक्रय पर जी.एस.टी. ... के तहत टी.डी.एस. नहीं किया जायेगा। ऐसी सप्लाई पर म.प्र. वैट अधिनियम के टी.डी.एस. ... प्रावधान लागू होंगे।

किसी भी प्रकार की और जानकारी की आवश्यकता होने पर जीएसटीएन की ... तथा जाईन, अपने क्षेत्रीय अथवा निकटस्थ वाणिज्यिक कर या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ... से सम्पर्क किया जा सकता है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सभी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उक्त परिपत्र एवं ... प्रावधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(मनोज श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल,

Telephone & Fax No.- (0755) 2674354, E-Mail- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/ली.से./उत्पादन/न्या.प्र./2020/ 1312 भोपाल दिनांक 18/11/2020

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक
   क्षेत्रीय/अनुसंधान विस्तार/कार्य आयोजना वृत्त
   मध्यप्रदेश
2. समस्त क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
   मध्यप्रदेश
3. समस्त वन मंडल अधिकारी(क्षेत्रीय/उत्पादन),
   मध्यप्रदेश

विषयः– न्यायालयीन प्रकरणों के प्रभारी अधिकारियों के आचरण संबंधी दिशा निर्देश।

संदर्भः– म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 5–5/2020/1/8 दिनांक 23.10.2020

–:00:–

उपरोक्त विषयांतर्गत म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त संदर्भित पत्र (संलग्न है) का अवलोकन करने काकष्ट करें। जिसके अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरणों के प्रभारी अधिकारियों के आचरण संबंधी दिशा निर्देश जारी करते हुए आचरण संहिता निर्धारित किया गया है। कृपया उपरोक्तानुसार दिशा निर्देशो पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

12.11.20
A.K.MISHRA
मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/ली.से./उत्पादन/न्या.प्र./2020/ 1313 भोपाल दिनांक 18/11/2020

प्रतिलिपिः

1) समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(जनसंपर्क एवं विकर्य) एवं नोडल अधिकारी, न्यायालयीन प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

G/F

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 5–5/2020/1/8 भोपाल,दिनांक 23/10/2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– न्यायालयीन प्रकरणों के प्रभारी अधिकारियों के आचरण संबंधी दिशा–निर्देश।

राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा रिट अपील क्रमांक 1812/2019 में दिनांक 06/01/2020 को पारित आदेश के अनुक्रम में न्यायिक फोरम के समक्ष लंबित ऐसे समस्त प्रकरणों में, जिनमें राज्य शासन पक्षकार है, नियुक्त किए गए सभी प्रभारी अधिकारियों के लिए माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा उपरोक्त आदेश में उल्लिखित निर्देशों को समाहित करते हुए निम्नानुसार आचरण संहिता (Code of Conduct) निर्धारित करता है:–

PCCF (Prod)

1. प्रत्येक प्रभारी अधिकारी को प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण जानकारी/ तैयारी के पश्चात् ही राज्य के अधिवक्ता के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना चाहिए तथा रिटर्न/जवाब/अंतरिम आवेदन आदि तैयार कर रहे राज्य के अधिवक्ता को जानकारी देते समय पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए।

अ.मु.व.सं. (वन बल प्रमुख) म.प्र. भोपाल 03/11/20

2. समस्त प्रभारी अधिकारी, राज्य के अधिवक्ता से संपर्क रखते हुए उन्हें विनिर्दिष्ट किए गए न्यायालय प्रकरणों का मेहनत से और नियमित रूप से अनुसरण करें और प्रकरण की पूर्ण प्रगति के बारे में सतर्क और सचेत रहें।

6798
03-11-20

3. समस्त प्रभारी अधिकारी प्रत्येक प्रकरण की एक पृथक फाईल संधारित करेंगे जिसमें न्यायालय के समक्ष हुई समस्त सुनवाईयों से संबंधित आदेश की प्रतियाँ होंगी।

4. न्यायालय की कार्यवाही में केवल प्रभारी अधिकारी को उपस्थित होने की अनुमति होगी। प्रभारी अधिकारी नियुक्त न होने पर जब भी आवश्यक हो कोई अन्य अधिकारी उपस्थित हो सकेगा जो राजपत्रित श्रेणी से निम्न स्तर का न हो।

निरन्तर.........2

04/11/20

P.C.C.F (Prod.)
M.P Bhopal

293
04/11/20

5. समस्त प्रभारी अधिकारी न्यायालय में सुनवाई के दौरान औपचारिक परिधान पहनेंगें।

6. प्रभारी अधिकारी प्रकरण के संबंध में सुसंगत सूचनाओं एवं दस्तावेजों से अच्छी तरह से सुसज्जित हो यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग के विधिक प्रकोष्ठ अथवा सक्षम अधिकारी के साथ आवश्यक सम्पर्क एवं समन्वय रखेगा।

7. महाधिवक्ता कार्यालय पहुंचने के पूर्व, प्रकरण का प्रभारी अधिकारी, विभाग के नोडल अधिकारी/सक्षम अधिकारी से संपर्क करेगा, प्रकरण के ब्यौरे साझा करेगा तथा महाधिवक्ता कार्यालय से फाइल चिन्हित कराने के पूर्व प्रकरण की अद्यतन स्थिति ज्ञात करेगा।

8. प्रभारी अधिकारी, उस विधि अधिकारी से जिसे फाईल चिन्हित की गई है, उसी दिन संपर्क करेगा और हस्तगत प्रकरण के संबंध में विधि अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करेगा। उसी दिन रिटर्न/ अपील/ संबंधित कार्यवाहियां तैयार/फाइल नहीं कर सकने की दशा में वह विशिष्ट कारणों के साथ संबंधित विधि अधिकारी से अगली तारीख के बारे में पृष्ठांकन प्राप्त करेगा।

9. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय छोड़ने के पश्चात् अपनी अभिरक्षा में अनावश्यक रूप से महाधिवक्ता कार्यालय की फाइल नहीं रखेगा।

10. प्रभारी अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों के बारे में विधिक प्रकोष्ठ/सक्षम विभागीय प्राधिकारी से तत्काल संवाद करने के लिए उत्तरदायी होगा।

11. प्रभारी अधिकारी को विधिक प्रकोष्ठ के प्रमुख/सक्षम अधिकारी से यह सुनिश्चित करने के लिए सीधी पहुँच होगी कि प्रकरणों के तेजी से निपटाने को सुगम बनाने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय को सूचना/दस्तावेजों के प्रसारण में अनावश्यक देरी न हो।

12. प्रभारी अधिकारी मुकदमें के पूरी तरह समाप्त होने तक उसे समनुदेशित प्रत्येक प्रकरण को संभालने के लिए जिम्मेदार होगा। वह नियमित रूप से उसे समनुदेशित प्रकरण के संबंध में न्यायालयीन कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण (मॉनिटरिंग) करेगा और मासिक रूप से संबंधित विभाग के विधिक प्रकोष्ठ अथवा सक्षम अधिकारी को इस संबंध में प्रास्थिति प्रतिवेदन भेजेगा।

13. यह सुनिश्चित करने का प्रभारी अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि प्रकरण में न्यायालय में उचित रूप से प्रतिवाद किया गया है।

निरन्तर.........3

14. प्रभारी अधिकारी को पहले पदनाम उल्लेखित करते हुए नियुक्त किया जाएगा और ऐसे अधिकारी के स्थानान्तरण/सेवा निवृत्ति की दशा में वह अपना पद छोड़ने से पूर्व प्रकरण का संपूर्ण अभिलेख अपने उत्तराधिकारी को सौंपेगा जो निरन्तर प्रभारी अधिकारी रहेगा। उत्तराधिकारी अधिकारी नोडल अधिकारी की सम्यक सूचना के अधीन ऐसे परिवर्तन के बारे में विधिक प्रकोष्ठ के प्रमुख/सक्षम अधिकारी को शीघ्र ही प्रतिवेदन देगा।

15. किसी विशिष्ट प्रकरण में विपरीत आदेश पारित किए जाने की दशा में, आदेश की प्रमाणित/प्रमाणिक प्रति के साथ आवश्यक मत लेने के लिए महाधिवक्ता कार्यालय से शीघ्र ही संपर्क करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारी की होगी और वह उक्त मत के अनुसार परिसीमा के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगा।

16. प्रभारी अधिकारी को उसे समनुदेशित प्रकरण के संबंध में किसी चूक को कर्त्तव्य पालन में लापरवाही/कदाचार माना जाएगा और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार उसके विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जाएगी।

2/ कृपया उक्त निर्देशों से आपके अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/ कार्यालयों/अधिकारियों को भी अवगत कराएं।

(मनीषा सेंतिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

130

क्रमांक एफ 5–5/2020/1/8 भोपाल,दिनांक 23/10/2020

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
3. रजिस्ट्रार,, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय म.प्र.।
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी,मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड,,मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
11. सचिव, लोकायुक्त,मध्यप्रदेश ,भोपाल।
12. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
13. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
15. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
16. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/ इन्दौर।
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
18. संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय, जबलपुर/ इन्दौर/ ग्वालियर।
19. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग,(समस्त कक्ष)मंत्रालय, भोपाल ।

(मनीषा सेतिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल –462004

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfproduction@gmail.com

क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/भाग–4/2743 भोपाल,दिनांक : 19/11/2020

प्रति,

समस्त
मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय)/
वन मंडलाधिकारी(क्षेत्रीय/उत्पादन)
मध्यप्रदेश

विषय :– मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, 2017
संदर्भ :– मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31 मई 2017

---::0::---

इस कार्यालय के संज्ञान में आया है कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों को मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, 2017 के प्रावधानों की जानकारी नहीं है। अतः संबंधित मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 31 मई 2017 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है। कृपया अधिनियम की धाराओं का समुचित पालन सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रकरण में कोई विसंगति पाई जाती है, तो वह तत्काल संबंधित कलेक्टर के संज्ञान में लायें व कलेक्टर द्वारा किये गए निराकरण अनुरूप ही कार्यवाही करें। संशोधन अधिनियम की स्वच्छ प्रति www.govtpressmp.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

19.11.20

(सी. के. पाटिल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

E:\E\Production Parivahan.doc

91/F

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251] भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मई 2017—ज्येष्ठ 10, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मई 2017

क्र. 6922-114-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 मई, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०१७

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, २०१७

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा १ का संशोधन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ४ का संशोधन.
५. धारा ६ का संशोधन.
६. धारा ९ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०१७

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, २०१७

[दिनांक २६ मई, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ३१ मई, २०१७ को प्रथमवार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, १९९९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, २०१७ है.

धारा १ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, १९९९ (क्रमांक १२ सन् १९९९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १ में,—

(एक) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना.";

(दो) उप धारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंतः स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(४) इस अधिनियम के उपबंध मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, २००१ (क्रमांक १० सन् २००१) के उपबंधों के अधीन लगाए गए वृक्षों को लागू नहीं होंगे.".

धारा २ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग क) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, संबंधित राजस्व संभाग का आयुक्त;".

धारा ४ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) तथा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(२) कलक्टर, ऐसे नियमों के अनुसार जो कि विहित किए जाएं, आवेदन की जांच करवाएगा तथा नब्बे दिन की कालावधि के भीतर आवेदन को मंजूर या नामंजूर करेगा :

परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञा उस दशा में, उत्तराधिकार के सिवाय, मंजूर नहीं की जाएगी जहां किसी भी रीति में, भूमि में हक के अर्जन की तारीख के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि व्यतीत न हो गई हो.

स्पष्टीकरण—हक के अर्जन की तारीख वह तारीख होगी जिसको कि हक का अंतरण लिखत द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है.

(३) किसी एक वर्ष में वृक्ष काटने की अनुज्ञा विनिर्दिष्ट वृक्षों की उतनी संख्या तक ही सीमित होगी जिससे भूमि स्वामी धन के रूप में किसी एक वर्ष में दस लाख रुपये से अनधिक उतनी रकम प्राप्त कर सके जो कि कलक्टर द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट किए गए प्रयोजन को पूरा करने के लिये पर्याप्त समझी जाए :

परन्तु विशेष परिस्थितियों में कलक्टर, आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, किसी एक वर्ष में दस लाख रुपये से अधिक मूल्य के लिए अनुज्ञा दे सकेगा.''.

५. मूल अधिनियम की धारा ६ में, उप धारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा ६ का संशोधन.

''(१) भूमिस्वामी को देय प्रतिफल की रकम, भूमिस्वामी के खाते में, किसी अनुसूचित बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की किसी भी शाखा में, निक्षिप्त की जाएगी.''.

६. मूल अधिनियम की धारा ९ में, उप धारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा ९ का संशोधन.

''(२) उपधारा (१) के अधीन कार्रवाई करने का आधार गठित करने वाले किन्हीं विनिर्दिष्ट वृक्षों की लकड़ी का अभिग्रहण कर लिया जाएगा और वह राज्य सरकार को राजसात हो जाएगी :

परन्तु यदि भूमिस्वामी के प्रति कोई षड्यंत्र, कपट या छल किया जाता है तो इस प्रकार राजसात लकड़ी के विक्रय आगम, उस आपराधिक मामले के निपटारे के पश्चात्, कलक्टर के आदेश के अधीन भूमिस्वामी को दिए जाएंगे.''.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2017

क्र. 8955-114-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन अधिनियम, 2017 (क्रमांक 18 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 18 of 2017

THE MADHYA PRADESH ADIM JAN JATIYON KA SANRAKSHAN (VRAKSHON ME HIT) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2017

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Section 1.
3. Amendment of Section 2.
4. Amendment of Section 4.
5. Amendment of Section 6.
6. Amendment of Section 9.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

Tel & Fax No. 0755-2674354, E-Mail add- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पादन/बजट/305/ 2845

प्रति,

भोपाल,दिनांक 01.12.2020

समस्त वन मंडलाधिकारी (उत्पादन/क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश

विषय :- मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी म०प्र०कराधान अधीनियमों की पुरानी बकाया राशि का समाधान अध्यादेश 2020 हेतु बजट आवंटन करने बावत।

—::00::—

उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी म०प्र०कराधान अधीनियमों की पुरानी बकाया राशि के भुगतान हेतु बजट मद 010–2406–01–101–0812 –V–58–000 में राशि उपलब्ध है। यह मद ग्लोबल है। अतः बजट प्रावधान के अन्तर्गत बकाया कर की राशि का भुगतान उक्त मद से किया जा सकता है।

(सी० के० पाटिल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/बजट उत्पादन/2020/305/ 2846 A
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक 01.12.2020

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01.12.20

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

015

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल–462004

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पा./सम./146 भाग–4/3011 भोपाल, दिनांक 15-12-2020

प्रति,

समस्त वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन)

मध्यप्रदेश.

विषय :– माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा के दिये गये निर्देश बावत् ।

संदर्भ:– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) म0प्र0भोपालकी अशासकीय टीप क्रमांक / सम/ व्यवस्था / 1917 दिनांक 05.12.2020 ।

—::0::—

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र का अवलोकन कीजिये । माननीय मुख्यमंत्री जी के दिये गये निर्देशों के तारतम्य मे नियमित मासिक एवं साप्ताहिक विभागीय समीक्षा की जानी हैं । विशेषकर प्रत्येक माह प्रत्येक गुरुवार को वनमण्डल स्तरीय समीक्षा किसी परिक्षेत्र कार्यालय में की जानी हैं । इस हेतु आवश्यक है कि आप क्षेत्रीय स्तर पर समयबध्द रुप से कार्यो का संचालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ कार्यो की प्रगति से संबंधित अभिलेख अद्यतन रखें । विशेषकर विदोहन एव परिवहन की जानकारी तथा प्राप्त राजस्व की जानकारी पूर्व की भांति मुख्यालय प्रेषित करने के साथ ही साप्ताहिक रुप से Google form में प्रविष्टि की जाए । मालिक मकबूजा / लोकवानिकी प्रकरणों की स्थिति भी साप्ताहिक रुप से अद्यतन कर रखी जावे ।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार

15-12-20

(सी0के0पाटिल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

D:\Kalpana\Samanvay letter.doc

कक्ष / समन्वय / व्यवस्था

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा के दिये गये निर्देश बाबत्।

संदर्भः– माननीय वन मंत्री जी की अशा.टीप क्रमांक / 552 दिनांक 04.12.2020

–0–

उपरोक्त संदर्भित टीप अवलोकन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिये गये निर्देशों के तारतम्य विभागीय समीक्षा किया जाना है, जिसके संबंध में संदर्भित टीप में समीक्षा आयोजित किये जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए है कि प्रत्येक सोमवार को पूर्व में प्रेषित किये गये एजेण्डा अनुसार विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में विभागीय एजेण्डा पर चर्चा उपरांत विभाग के अधीनस्थ किन्हीं भी दो निगम / संस्था / कार्यक्रम / योजना / मद की विशिष्ट समीक्षा किया जाना है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(लालसिंह रावत)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समन्वय)
मध्यप्रदेश भोपाल

प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम, भोपाल
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य बांस मिशन, मध्यप्रदेश
प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)
समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)
संचालक, म0प्र0 राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर
सदस्य सचिव, जैव विविधता विकास बोर्ड
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,ईको पर्यटन विकास बोर्ड

विशेष सहायक, मान. मंत्री वन म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
निज सचिव, प्रमुख सचिव वन म.प्र. शासन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की ओर सूचनार्थ

विषयः

-0-

विभागीय समीक्षा के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये अद्यतन निर्देशों के तारतम्य में विभागीय समीक्षा निम्नानुसार की जाये –

1/ प्रत्येक सोमवार को पूर्व में प्रेषित किये गये एजेण्डा अनुसार विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाये। इस बैठक में विभागीय एजेण्डा पर चर्चा उपरांत विभाग के अधीनस्थ किन्हीं भी दो निगम/संस्था/कार्यक्रम/योजना/मद की विशिष्ट समीक्षा।

2/ प्रत्येक माह प्रत्येक गुरुवार को 01 वन मण्डल कार्यालय में समीक्षा बैठक की जावेगी। इस बैठक में रेंज अफसर तक के अधिकारी उपस्थित होंगे। यह बैठक सामान्यतः वन मण्डल के अंतर्गत स्थित किसी भी परिक्षेत्र कार्यालय में आयोजित होगी जिसकी पूर्व सूचना संबंधित वन मण्डल अधिकारी को यथासमय दी जायेगी।

3/ विभाग के फील्ड स्तरीय अधिकारियों की वर्तमान में प्रचलित मासिक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मेरे स्तर से भी समीक्षा की जावेगी।

4/ क्षेत्रीय वन मण्डलों की समीक्षा माह में एक बार वृत्त/संभाग स्तर पर की जावेगी। प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से समस्त वन मण्डलों को तीन भागों में विभाजित किया जाये।

छत्तीस-

का विभा

समग्र
तीन

विषयः

औसतन 5 से 6 वन वृत्तों के अंतर्गत आने वाले वन मण्डल अधिकारी इस समीक्षा में सम्मिलित होंगे। यह समीक्षा बैठक गुरुवार को आयोजित होगी। बैठक के लिये चयनित संभाग की जानकारी पृथक से दी जावेगी।

5/ उपरोक्त समीक्षा बैठकों का कार्यवाही विवरण अधिकतम एक दिवस के भीतर अंतिम कर जारी/अपलोड किया जावेगा।

उपरोक्त के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जावें।

(डॉ. कुँवर विजय शाह)
मंत्री

डॉ. कुँवर विजय शाह
मंत्री, वन विभाग
म. प्र. शासन

मंत्री/प्र/ 552
जावक दिनांक 4-12-2020

प्र.मु.व.सं. एवं
व.ब.प्र.

5/12/2020
P.C.C.F. (HoFF)
M.P., Bhopal

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, वन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

APCCF (CO-ord.)

No./PA/PCCF ... 5/12/20

351
04-12-20

शा.प्र.भो.—116—अतिरिक्त/मुद्रा—15-9-20—2,00,000.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन–शाखा) सतपुड़ा भवन
मध्यप्रदेश, भोपाल–462004

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक : 22/12/2020

क्रमांक/उत्पा./निस्तार/40/भाग–8/3071

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :– वर्ष 2021 के लिये निस्तार/बसोड़ी की आपूर्ति हेतु बांसों का अंतर्वृत्तीय आवंटन।

—::00::—

वर्ष 2021 के निस्तार प्रदाय हेतु समस्त वृत्तों से इस कार्यालय द्वारा गत वर्ष (2020) की विक्रय मात्रा, वृत्त का संभावित उत्पादन, अन्य वृत्तों से आवश्यकता आदि विषयक जानकारी प्राप्त की गई है। कई मुख्य वन संरक्षक/वन मंडलाधिकारियों द्वारा अव्यवहारिक एवं काल्पनिक लक्ष्य प्रस्तावित किये गये है।

यह ध्यान रखा जाना होगा कि वृत्त में जितनी मात्रा उत्पादित हो रही है अथवा उपलब्ध है, उसी के हिसाब से आपके वृत्त का लक्ष्य निर्धारित किया जावे। यह भी प्रयास किया जावे कि वैकल्पिक वृक्षारोपण के क्षेत्रों, विभिन्न कार्य वृत्तों में कार्य आयोजना के अनुसार प्रस्तावित किये गये क्षेत्रों में प्रस्तावित उपचार अनुसार बांस के भिर्रों में नियमानुकूल पूर्ण किया जावे, ताकि वृत्त में बांस की स्वयं की उपलब्धता बढ़ सके। यह आपको विदित ही है कि अत्यंत दूरस्थ स्थल बालाघाट/अन्य वृत्तों से बांस परिवहन परिवहन करने में अत्यधिक खर्च करना होता है। निस्तार नीति के अनुसार भी बांस उपलब्धता के आधार पर प्रदाय किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। इन सभी बिन्दुओं पर आप भलि भांति परिशीलन कर वृत्त के लिये निस्तार आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित करें तथा निस्तार पुस्तिका के प्रकाशन में इन बातों का विशेष ध्यान रखा जावें।

इस कार्यालय द्वारा वर्ष 2021 के निस्तार/बसोड़ों को प्रदाय हेतु समस्त वृत्तों को बांस का आवंटन किया जा रहा है। निस्तार पुस्तिका 01.01.2021 के पूर्व प्रकाशित कर समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था करें तथा वनोपज का परिवहन 01.01.20121 के पूर्व कर प्रदाय करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(सी. के. पाटिल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक : 22/12/2

पृ0 क्रमांक/उत्पा./निस्तार/3072

प्रतिलिपि :– समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

22/12/20

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

G/F

Desktop/nistar/Nistar

बांस का अन्तर्वृत्तीय आवंटन – निस्तार वर्ष 2021

क्र.	आवंटन प्राप्तकर्ता वृत्त का नाम	निस्तार आवंटन हेतु सम्मिलित जिले का नाम	वृत्त का स्वयं का उत्पादन (नग में)	आवंटन		कुल आवंटन (नग में)
				वृत्त का नाम जहां से अतिरिक्त आवंटन किया जावेगा	मात्रा (नग में)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	भोपाल	भोपाल,सीहोर, विदिशा, राजगढ़, रायसेन	10,500	भोपाल वृत्त से बालाघाट वृत्त से	10,500 2,00,000	2,10,500
2.	बालाघाट	बालाघाट	10,00,000	बालाघाट वृत्त से	6,00,000	6,00,000
3.	बैतूल	बैतूल	1,70,000	बैतूल वृत्त से	1,70,000	1,70,000
4.	छतरपुर	छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना	8,000	छतरपुर वृत्त से	1,000	1,000
5.	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	-	बालाघाट वृत्त से	1,50,000	1,50,000
[illegible]	[illegible]	ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, दतिया, भिंड	-	छतरपुर वृत्त से	500	500
7.	होशंगाबाद	होशंगाबाद, हरदा	7,00,000	होशंगाबाद वृत्त से	6,00,000	6,00,000
8.	इन्दौर	इन्दौर, धार, झाबुआ	-	होशंगाबाद वृत्त से	10,000	10,000
9.	जबलपुर	जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, मंडला	-	रीवा वृत्त से	1,00,000	1,00,000
10.	खंडवा	खंडवा, बुरहानपुर, खरगौन,बड़वानी	75,000	खण्डवा वृत्त से	75,000	75,000
11.	रीवा	रीवा, सतना, सीधी	1,30,000	रीवा वृत्त से	15,000	15,000
12.	सागर	सागर, दमोह, नौरादेही	-	होशंगाबाद वृत्त से	20,000	20,000
13.	सिवनी	सिवनी, नरसिंहपुर	2,00,000	सिवनी वृत्त से	2,00,000	2,00,000
[illegible]	[illegible]	शहडोल, उमरिया	15,000	शहडोल वृत्त से	3,000	3,000
15.	शिवपुरी	शिवपुरी, गुना, अशोकनगर	-	-	-	-
16.	उज्जैन	उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास	-	होशंगाबाद वृत्त से	25,000	25,000
		योग–	23,08,500		21,80,000	21,80,000

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

E:\data\Data Backup 14-11-19\Desktop\nistar\Nistar 16-12-2020.doc

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

Tel & Fax No. 0755-2674354, E-Mail add- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / उत्पादन / बजट / 307–3 / 2020 / 3123 भोपाल,दिनांक : 28.12.2020

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश

विषय :– मालिक मकबूजा लकड़ी / लोकवानिकी क्रय के लिये बजट आवंटन बावत्।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 5105 दिनांक 21.11.2017, 549 दिनांक 26.02.2020 एवं 1443 दिनांक 08.07.2020, 2178 दिनांक 15.09.2020, 2285 दिनांक 23.09.2020, 1877 दिनांक 14.08.2020,2419 दिनांक 13.10.2020,2567 दिनांक 29.10.2020

—::00::—

उपरोक्त विषय के संबंध में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करे जिसमें आपको बार–बार लेख किये जाने पर भी आपके द्वारा भेजे गये मालिक मकबूजा के प्रकरणों में विकल्प (1) शासकीय दर पर काष्ठ विक्रय का विकल्प चुने जाने की स्थिति में डिपों में काष्ठ प्राप्त होने का दिनांक एवं विकल्प (2.) पृथक लॉट बनाकर विक्रय का विकल्प चुने जाने की स्थिति में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली होने का दिनांक /विक्रय मूल्य की प्राप्त राशि दिनांक की जानकारी का उल्लेख नहीं किया जाता है। अतः आपके द्वारा भेजे गये प्रकरणों में प्रमाण पत्रों मे काष्ठ डिपो पहुंचने का दिनांक का उल्लेख कर शीघ्र ही इस कार्यालय को प्रेषित करें। अभी तक काष्ठ डिपों में पहुचने के दिनांक 04.05.2019 तक के प्रकरणों का आवंटन किया जा चुका है। अगर आपके अधीनस्थ वन मंडलो में इसके पूर्व के प्रकरण लंबित हो तो लंबित होने का कारण पूर्ण औचित्य सहित इस कार्यालय को प्रेषित करें। भविष्य में प्रमाण पत्र पर डिपो में काष्ठ पहुचने का स्पष्ट उल्लेख करें।

(एस.पी.शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक / बजट उत्पादन / 307–3 / 3124 भोपाल, दिनांक 28.12.2020

प्रतिलिपि:–

1. समस्त वन मंडलाधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। भविष्य में मालिक मकबूजा के प्रकरण भेजें तो प्रमाण–पत्र में यह उल्लेख करें कि उक्त काष्ठ डिपो में कब प्राप्त हुई है एवं नीलाम द्वारा निर्वर्तन कब किया गया का दिनांक।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

D:\Desktop\bught p letter 2019-20 and 2020-21.doc

140 ...

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल,

Telephone & Fax No.- (0755) 2674354, E-Mail- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/ला.स./उत्पादन/न्या.प्र./2020/ 1437 भोपाल दिनांक 26-12-2020

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक
   क्षेत्रीय/अनुसंधान विस्तार/कार्य आयोजना वृत्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश
3. समस्त वन मंडल अधिकारी(क्षेत्रीय/उत्पादन), मध्यप्रदेश

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों के संबंध में।

संदर्भः– 1) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/ली.से./उत्पादन/न्या.प्र./2020/1372 दिनांक 10.12.2020 एवं क्रमांक 1084 दिनांक 05.10.2020, क्रमांक/1167 दिनांक 03.07.2019 एवं क्रमांक/1219 दिनांक 10.07.2019

2) संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) जबलपुर का क्रमांक/सं.आ(लि) एवंस/2020/3955 दिनांक 31.08.2020

--::00::--

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारी से संबंधित जानकारी मा. उच्च न्यायालय की वेबसाईट mphc.gov.in में अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया था। परंतु आज दिनांक तक इस संबंध में कोई पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ है। यह अत्यंत खेद का विषय है।

वन विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों (वर्ष 01.01.2014 से 30.06.2020 तक) की सूची संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) जबलपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उक्त सूची के अनुसार प्रकरणों से संबंधित जानकारी उच्च न्यायालय की वेबसाईट में प्रविष्टि करने का कष्ट करें। इस हेतु लॉगिन आई डी एवं पासवर्ड आपको आवंटित न हो तो संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) जबलपुर को jtcommlitjab@mp.gov.in पर ईमेल कर प्राप्त करें। वर्तमान में इस कार्यालय को आवंटित यूजर आई डी एवं पासवर्ड निम्नानुसार आपके साथ साझा किया जा रहा हैः–

User ID	Password
forest.dept	internet0

इस बात का ध्यान रखें कि उपरोक्त पासवर्ड सभी के लिये यूनिवर्सल है। अतः किसी भी स्थिति में पासवर्ड रीसेट न किया जावे। प्रभारी अधिकारी से संबंधित जानकारी की प्रविष्टि शीघ्र पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(सी.के.पाटिल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/ली.से./उत्पादन/न्या.प्र./2020/ 1438 भोपाल दिनांक 26-12-2020

प्रतिलिपिः–

1) समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(जनसंपर्क एवं विकय) एवं नोडल अधिकारी, न्यायालयीन प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

26.12.20

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

G/F.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन–शाखा) सतपुड़ा भवन
मध्यप्रदेश, भोपाल–462004
दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / उत्पा. / निस्तार / भाग–4 / 55 / 09 — भोपाल, दिनांक 02/01/2021

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :– वर्ष 2021 की निस्तार पत्रिका का प्रकाशन।

संदर्भ:– कार्यालयीन पत्र क्रमांक / उत्पा. / निस्तार / भाग–4 / 55 / 2243 दिनांक 23.09.2020

—::00::—

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र दिनांक 23.09.2020 द्वारा निर्देशित किया गया है, कि वर्ष 2021 की निस्तार पत्रिका का प्रकाशन समय पर कराया जाये। वर्ष 2021 के प्रारम्भ होने के उपरांत भी आपके अधीनस्थ वन संरक्षक / पदेन वन मंडलाधिकारियों द्वारा निस्तार पत्रिका उपलब्ध नहीं कराई गई।

आपके द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। निस्तार वर्ष जनवरी से शुरू होता है। वर्ष 2021 की निस्तार पत्रिकाओं का प्रकाशन तत्काल करवाकर संबंधितों को उपलब्ध करावें एवं इस कार्यालय को एक प्रति प्रेषित करें। कृपया यह सुनिश्चित करें कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2878 दिनांक 05.12.2020 के अनुसार लघुवनोपज के समर्थन मूल्य की जानकारी निस्तार पुस्तिका में अवश्य सम्मिलित की जायें।

(एस. पी. शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ0 क्रमांक / उत्पा. / निस्तार / भाग–4 / 55 / 10 — भोपाल, दिनांक 02/01/2021

प्रतिलिपि :– समस्त वन मंडलाधिकारी(क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

D/Nistar

G/F

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन-शाखा)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ाभवन, भोपाल

दूरभाष एवंफैक्स नं0 0755-2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक / उत्पा. / निर्वर्तन / 55 भोपाल, दिनांक : 05 / 01 / 2021

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश।

विषय :– प्रदेश के कृषकों को खुदरा बिक्री के जरिये औद्योगिक बांस का प्रदाय हेतु दर निर्धारित करने बावत।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रमांक/निर्वर्तन/3053 दिनांक 18.09.2018

—::00::—

दिनांक 02.01.2020 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की अध्यक्षता में छिन्दवाड़ा में हुई बैठक में विदित हुआ है कि खुदरा बिक्री के जरिये औद्योगिक बांस प्रदाय करने की व्यवस्था क्षेत्रीय अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है। अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि खुदरा बिक्री के जरिये कोई भी व्यक्ति बांस के 1 मीटर अथवा 2 मीटर टुकड़े की मांग करता है, तो उन्हें इस प्रकार के टुकड़े खुदरा मूल्य पर प्रदाय किये जा सकते हैं। इस संबंध में पूर्व में उपरोक्त संदर्भित पत्र से निर्देश प्रसारित किये गये है (छायाप्रति संलग्न)। शासन द्वारा पत्र क्रमांक/समिति/457/76 दिनांक 28.12.2020 से उक्त व्यवस्था को वर्ष 2021–22 तक के लिये पूर्ववत रखा गया है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(सी. के. पाटिल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक / निर्वर्तन / 56 भोपाल, दिनांक 05 / 01 / 2021

प्रतिलिपि :– वनोपज अंतर्विभागीय समिति, म.प्र. भोपाल की ओर समिति के पत्र क्रमांक / 457 / 76 दिनांक 28–12–2020 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

05.01.2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
Telephone & Fax No (0755)2674354, E-Mail- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/ली.से./उत्पादन/न्या.प्र./2020/ 1488
प्रति,

भोपाल दिनांक 05-01-2021

समस्त मुख्य वन संरक्षक,
क्षेत्रीय वन वृत्त,
मध्यप्रदेश

विषयः— न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में।
संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/वनिस/2020/2616 दिनांक 04.11.2020 एवं क्रमांक/2748 दिनांक 19.11.20

-:०0०:-

संदर्भित कार्यालयीन पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दिनांक 01.01.2014 से दिनांक 30.06.2020 तक के वन विभाग के 800 प्रकरणों के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त 800 प्रकरणों में से 90 प्रकरण जिनमें, आज दिनांक तक जवाबदावा प्रस्तुत नहीं हुआ है, की सूची संलग्न कर पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने वृत्त से संबंधित प्रकरणों में तत्काल जवाबदावा प्रस्तुत करने की कार्यवाही कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिन वन वृत्तों में आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन अभी तक नहीं किया गया है वहां तत्काल समिति गठित कर बैठक आयोजित की जाए।

जिन प्रकरणों में मुख्यालय या शासन स्तर से निराकरण होना है उनकी जानकारी प्रतिमाह मुख्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात् प्रत्येक माह नियमित रूप से बैठक आयोजित कर कार्यवाही विवरण प्रपत्रों में इस कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/ली.से./उत्पादन/न्या.प्र./2020/ 1489
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 05-01-2021

1— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक—प्रशासन—1/प्रशासन—2/सतर्कता एवं शिकायत/अनुसंधान एवं प्रशिक्षण/संरक्षण/भू—प्रबंधन/वन भू—अभिलेख/वन्यप्राणी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2— मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी न्यायालयीन प्रकरण, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण सुनिश्चित कर अद्यतन स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

विभाग– वन विभाग (दिनांक 01.01.2014 से 30.06.2020 तक)

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण जिन में प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं है।

	Filing No.	Petitioner	Respondent	P/R No.	Party Name	Address	Department	Status	OIC Name	Date	Reply Date	Remark
1	SA/1029/2014- Principal Seat Jabalpur	NADE PRAJAPATI	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	DIVISIONAL FOREST OFFICER FOREST DEPARTMENT	DISTT CHHATARPUR M.P., CHHATARPU	Forest Department	Pending	-	-	-	-
2	SA/1263/2014- Principal Seat Jabalpur	SUHA TEMBE	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 3	CHIEF CONSERVATOR OF FOREST CHHINDWARA	CIRCLE CHHINDWARA, CHHINDWARA	Forest Department	Pending	-	-	-	-
3	WP/6715/2014- Principal Seat Jabalpur	ROOMAL SINGH	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SECRETARY FOREST DEPARTMENT	VALLABH BHAWAN BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 12.9.17
4	WP/6421/2014- Principal Seat Jabalpur	UMASHANKAR RASTOGI	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. PRINCIPAL SECRETARY FOREST	VALLABH BHAWAN BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 7.8.14
5	WP/11449/2014- Principal Seat Jabalpur	PANNA LAL	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	SECRETARY DEPARTMENT OF FOREST	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 31.3.15
6	WP/12086/2014- Principal Seat Jabalpur	P.N. TIWARI	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FOREST	VALLABH BHAWAN BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 25.8.14
7	WP/12905/2014- Principal Seat Jabalpur	JAKIR HUSSAIN	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 5	DIVISIONAL FOREST OFFICER FOREST DIVISION	SINGRAULI, SINGRAULI,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 9.5.14
8	WP/13198/2014- Principal Seat Jabalpur	MAGAN LAL KUSHWAHA	THE NEW INDIA ASSURANCE	Res - 4	DISTRICT EDUCATION OFFICER JABALPUR	JABALPUR, JABALPUR,	State Forest Research Institute, Jabalpur	Pending	-	-	-	Notice Issued 8.9.14
9	WP/13250/2014- Principal Seat Jabalpur	RAJESH KUMAR SHRIVASTAVA	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	COLLECTOR JABALPUR	JABALPUR, JABALPUR,	State Forest Research Institute, Jabalpur	Pending	-	-	-	Notice Issued 25.9.14
10	WP/13349/2014- Principal Seat Jabalpur	MOHAL LAL	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	COMMISSIONER JABALPUR	JABALPUR, JABALPUR,	State Forest Research Institute, Jabalpur	Pending	-	-	-	Notice Issued 12.3.15
11	WP/20302/2014- Principal Seat Jabalpur	DIVISIONAL FOREST OFFICER	RAMDAS SAHU	Pet - 1	DIVISIONAL FOREST OFFICER FOREST DIVISION EAST	MORWA SIDHI, SIDHI,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 27.3.15
12	WP/443/2015- Principal Seat Jabalpur	VEERENDRA DAIYAN	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH SECRETARY	BHOPAL, BHOPAL,	Rajya Van Vikas Nigam Limited	Pending	-	-	-	Notice Issued 13.2.15
13	WP/2053/2015- Principal Seat Jabalpur	RAMESH KUMAR SAHU (DECEASED) LRS SMT. LALITA	REGIONAL FOREST OFFICER	Res - 1	REGIONAL FOREST OFFICER FOREST REGION VARASEONI	BALAGHAT, BALAGHAT,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 3.2.16
14	WP/[illegible]/2015- Principal Seat Jabalpur	DROUPTI BAI	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	FOREST CONSERVATOR FOREST DEPARTMENT	SAGAR, SAGAR,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 1.9.17
15	WP/13007/2015- Principal Seat Jabalpur	TEG BAHADUAR VERMA	CONSERVATOR OF FOREST AND INCHARGE FOREST DIVISIONAL OFFICER	Res - 2	FOREST EXTENSION OFFICER SOCIAL FORESTRY UNIT FOREST DEPARTMENT	UCHEHRA DISTT. SATNA, SATNA,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 10.9.15
16	WP/15293/2015- Principal Seat Jabalpur	S.P. TIWARI	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH ITS PRINCIPAL SECRETARY DEPARTMENT OF FOREST	MANTRALAYA , VALLABH BHAWAN, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 2.2.16
17	WP/16808/2015- Principal Seat Jabalpur	VIDYARTHI PRASAD MISHRA	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH SECRETARY FOREST DEPARTMENT	VALLABH BHAWAN BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 18.12.17

SN No	Filing No	Petitioner	Respondent	Res No	Party Name	Address	Department	Status	OIC Name	Date	Reply Date	Remarks
18	WP/18445/2015-Principal Seat Jabalpur	NARESH CHANDRA PATIDAR	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH SECRETARY TO THE GOVT OF MADHYA PRADESH DEPTT OF FOREST	VALLABH BHAWAN BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 17.2.16
19	WP/21529/2015-Principal Seat Jabalpur	A.K. SHARMA	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THE PRINCIPAL SECRETARY M.P. FOREST DEPARTMENT	VALLABH BHAWAN BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 23.1.16
20	SA/517/2016-Principal Seat Jabalpur	AVANI KUMAR	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	DIVISIONAL FOREST OFFICER FOREST DEPARTMENT	DISTT, SATNA, M.P., SATNA,	Forest Department	Pending	-	-	-	DFO Satna -
21	SA/1370/2016-Principal Seat Jabalpur	RADHELAL AHIRWAR	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	SUB DIVISIONAL FORREST OFFICER NIWADI, DIST. TIKAMGARH	NIWADI, DIST. TIKAMGARH, TIKAMGARH,	Forest Department	Pending	-	-	-	-
22	SA/1376/2016-Principal Seat Jabalpur	BUDDHA	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	SUB DIVISIONAL FOREST OFFICER FOREST DEPARTMENT	NIWADI DISTT, TIKAMGARH, TIKAMGARH,	Forest Department	Pending	-	-	-	-
23	WA/638/2016-Principal Seat Jabalpur	PRAKASH DUBEY	SHRI ROSHAN NAYAK	Res - 2	SECRETARY THE STATE OF MADHYA PRADESH	VALLABH BHAWAN, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 22.3.17
24	WP/1069/2016-Principal Seat Jabalpur	MATGENDRA SINGH	MANDAL/DIVISIONAL MANAGER	Res - 1	MANDAL/DIVISIONAL MANAGER M.P. RAJYA VAN VIKAS NIGAM LTD.	REWA SIDHI PRESENTLY PARIYOJNA MANDAL, SIDHI, SIDHI,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 9.1.17
25	WP/9061/2016-Principal Seat Jabalpur	JAY PRAKASH ASSOCIATES	RAMNIWAS SINGH	Res - 11	FOREST RANGE OFFICER FOREST DEPARTMENT	FOREST DIVISION RANGE, CHURAHAT, DISTT, SIDHI, SIDHI,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 20.7.16
26	WP/12381/2016-Principal Seat Jabalpur	SMT. GAYATRI TIWARI	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SECRETARY FOREST DEPARTMENT	VALLABH BHAWAN , BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 28.11.14
27	WP/21409/2016-Principal Seat Jabalpur	MITHLESH TIWARI	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH ITS SECRETARY FOREST DEPT.	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 10.1.17
28	SA/645/2017-Principal Seat Jabalpur	MAHABALI SINGH CHOUHAN	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	FOREST MANDLADHIKARI VAN MANDAL WEST	DISTT. SIDHI, SIDHI,	Forest Department	Pending	-	-	-	-
29	SA/685/2017-Principal Seat Jabalpur	RAM PRASAD	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	THE STATE OF M.P THROUGH FOREST RANGE OFFICER FOREST DEPARTMENT	SHAHPUR, DIST. DINDORI, DINDORI,	Forest Department	Pending	-	-	-	-
30	SA/732/2017-Principal Seat Jabalpur	BHAGWAN PRASAD DIXIT	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	DIVISIONAL FOREST OFFICER SIDHI	DISTT. SIDHI, SIDHI,	Forest Department	Pending	-	-	-	-
31	WP/3015/2017-Principal Seat Jabalpur	RAMCHARAN SAHU	CHIEF MANAGINGH DIRECTOR	Res - 2	GENERAL MANAGER PENCH AREA, PARASIA	CHHINDWARA, CHHINDWARA,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 3.7.17
32	WP/9467/2017-Principal Seat Jabalpur	SAMANDAR SINGH	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH SECRETARY FOREST DEPARTMENT	VALLABH BHAWAN BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 30.8.17
33	WP/9246/2017-Principal Seat Jabalpur	SMT. KESRI BAI @ RAMWATI	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH PRINCIPAL SECRETARY FOREST DEPARTMENT	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 28.7.17

34	WP/12903/2017- Principal Seat Jabalpur	CHANDRABHAN	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH FOREST RANGE OFFICER HATA	DISTRICT DAMOH (M.P.), DAMOH,	Forest Department	Pending		-	-	Notice Issued 12.7.18
35	WP/16215/2017- Principal Seat Jabalpur	SANGEETLAL BAIGA	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH ITS PRINCIPAL SECRETARY MINISTRY OF FOREST AND ENVIRONMENT OF	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 15.2.18
36	WP/22610/2017- Principal Seat Jabalpur	LALSAJEEVAN SHARMA	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. PRINCIPAL SECRETARY FOREST DEPARTMENT	MINISTRY VALLABH BHAWAN BHOPAL (M.P.), BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 20.11.18
37	WP/23149/2017- Principal Seat Jabalpur	MOHAN LAL MISHRA	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. SECRETARY DEPARTMENT OF FOREST	VALLABH BHAWAN BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 20.4.18
38	WP/20195/2017- Principal Seat Jabalpur	ANAND BHATNAGAR	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH THE SECRETARY FOREST DEPT.	VALLABH BHAWAN BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 27.4.18
39	[illegible]/213- Principal Seat Jabalpur	DARGAH COMMITTEE DARGAH KHWAJA SAHAB PEAER AZMER RAJASTHAN	GOVIND PRASAD	Res - 3	THE DIVISIONAL FOREST OFFICER GENERAL FOREST DIVN.	HARDA, HARDA (M.P.),	Forest Department	Pending	-	-	-	-
40	SA/1003/2018- Principal Seat Jabalpur	BABU KHAN	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	FOREST CIRCLE THROUGH CHIEF FOREST CONSERVATOR RAJDHANI PARIYOJANA VAN MANDAL E 5 ARERA COLONY	BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	-
41	SA/2703/2018- Principal Seat Jabalpur	SAURABH NAMDEV	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	CONSERVATOR OF FOREST AND DIVISIONAL FOREST OFFICER FOREST DEPARTMENT	DISTT. CHHATARPUR, CHHATARPUR,	Forest Department	Pending	-	-	-	-
42	WP/9368/2018- Principal Seat Jabalpur	TEJBHAN SINGH GOUD	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 3	D.F.O. TIGER RESERVE JON BANDHAVGARH	UMARIYA, UMARIYA,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 4.6.19
43	WP/10815/2018- Principal Seat Jabalpur	BHARAT LAL TIWARI	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. ITS SECRETARY DEPARTMENT OF FOREST	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 1.6.18
44	WP/13703/2018- Principal Seat Jabalpur	ASHOK KUMAR SHRIVASTAVA	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH ITS SECRETARY DEPT. OF FOREST	MANTRALAYA VALLABH BHAWAN, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 10.11.18
45	WP/14114/2018- Principal Seat Jabalpur	AYYUB KHAN	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH CHIEF CONSERVATOR FOREST BHOPAL	BHOPAL, BHOPAL M.P.,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 29.9.18
46	WP/14427/2018- Principal Seat Jabalpur	SUDEEP KUMAR TIWARI	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 4	CHIEF CONSERVATOR OF FOREST CIRCLE HOSHANGABAD	DISTT. HOSHANGABAD, HOSHANGABAD	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 13.7.18
47	WP/15015/2018- Principal Seat Jabalpur	BABULAL SINGH	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. THE PRINCIPAL SECRETARY DEPARTMENT OF FOREST	MANTRALAYA, VALLABHA BHAWAN, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 29.12.18

S.No.	Filing No.	Petitioner	Respondent	S.No.	Party Name	Address	Department	Status				
48	WP/20304/2018-Principal Seat Jabalpur	SMT. PUSHPA AHIRWAR	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. PRINCIPAL SECRETARY FOREST DEPARTMENT	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 3.10.18
49	WP/20725/2018-Principal Seat Jabalpur	RAMSWARUP YADAV	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. THE SECRETARY FOREST DEPARTMENT	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 9.12.19
50	WP/24551/2018-Principal Seat Jabalpur	RAMESH KUMAR AWASTHI	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. ITS SECRETARY FOREST DEPT.	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 1.11.18
51	WP/25180/2018-Principal Seat Jabalpur	SANJEEV KUMAR PANDEY	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 3	STATE OF M.P. THROUGH PRINCIPAL SECRETARY ENVIRONMENT AND FOREST AND CLIMATE CHANGE	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 20.11.18
52	WP/26498/2018-Principal Seat Jabalpur	SHRI ROOPNARAYAN SHARMA	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. PRINCIPAL SECRETARY FOREST DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.	VALLABH BHAWAN BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 26.11.19
53	WP/27309/2018-Principal Seat Jabalpur	SMT RAJNI TRIPATHI	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 7	DIVISIONAL FOREST OFFICER FOREST DEPARTMENT	SATNA, SATNA,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 18.3.19
54	WP/28741/2018-Principal Seat Jabalpur	BHAGWAN SINGH CHOUHAN	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH PRINCIPAL SECRETARY FOREST DEPARTMENT	VALLABH BHAWAN BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 20.3.19
55	WP/28788/2018-Principal Seat Jabalpur	SHIVANAND DWIVEDI	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 8	DISTRICT FOREST OFFICER REWA	DISTT-REWA, REWA,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 31.1.19
56	WP/28920/2018-Principal Seat Jabalpur	BHANULAL BAIGA	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH SECRETARY	VALLABH BHAWAN, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 23.2.19
57	WP/29395/2018-Principal Seat Jabalpur	CHANDRABHAN BAGHEL	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	THE PRINCIPAL SECRETARY FOREST DEPARTMENT	MANTRALAYA VALLABH BHAWAN, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 9.1.19
58	WP/6760/2018-Principal Seat Jabalpur	POORANLAL KUSHWAHA	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH	VALLABH BHAWAN, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 13.8.18
59	WP/29373/2018-Principal Seat Jabalpur	PHAGURAM MESHRAM	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	PRINCIPAL SECRETARY FOREST	MANTRALAYA VALLABH BHAWAN,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 9.1.19
60	MP/4238/2019-Principal Seat Jabalpur	MAHENDRA SINGH	DEPUTY FOREST RANGE	Res - 1	DEPUTY FOREST RANGE OFFICER SOUTH SAGAR	TAH. AND DISTT. SAGAR (M.P.)	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 4.1[illegible]
61	MP/4370/2019-Principal Seat Jabalpur	MAHENDRA KUMAR PANDEY	DIVISIONAL FOREST OFFICER	Res - 1	DIVISIONAL FOREST OFFICER FOREST DIVISION SATNA	CIVIL LINES SATNA, SATNA,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 30.8.19
62	WP/5508/2019-Principal Seat Jabalpur	GOVIND AGRAHARI	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. ITS SECRETARY FOREST DEPARTMENT	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 2.12.19
63	RP/934/2019-Principal Seat Jabalpur	GOKUL PRASAD	NORTHERN COAL FIELD LIMITED	Res - 2	DIVISION FOREST OFFICER (EAST)	FOREST DIVISION SIDHI, SIDHI,	Forest Department	Pending	-	-	-	-
64	SA/1257/2019-Principal Seat Jabalpur	KAMTA SINGH	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	DIVISIONAL FOREST OFFICER SATNA,	NEAR MUKHTARGUNJ, SATNA TAHSIL RAGHURAJ NAGAR, SATNA	Forest Department	Pending	-	-	-	-

S.No.	Case No.	Petitioner Name	Respondent	Res No.	Party Name	Address	Department	Status	OIC Name	Date	Reply Date	Remark
65	SA/2043/2019- Principal Seat Jabalpur	VRINDAWAN (DEAD) THR. LRS. DILIP KUMAR GAHOI THR. POWER OF ATTORNEY MAHADEV PRASAD KUSHWAHA S/O LAT	COLLECTOR	Res - 2	DISTRICT FOREST OFFICER SATNA	DISTT-SATNA, SATNA,	Forest Department	Pending	.	.	.	.
66	SA/2986/2019- Principal Seat Jabalpur	DR. RAMESH KUMAR BADHOLIYA	VINOD KUMAR	Res - 6	FOREST DEPARTMENT THR. PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FOREST	SATPURA BHAWAN BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	.	.	.	.
67	SA/3275/2019- Principal Seat Jabalpur	SMT. BHAWNA SINGH	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH SECRETARY	VALLABH BHAWAN BHOPAL (M.P.), BHOPAL	Forest Department	Pending	.	.	.	.
68	SA/3288/2019- Principal Seat Jabalpur	MAMTA BAI	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	CHIEF CONSERVATOR OF FOREST,	SATPURA BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL	Forest Department	Pending	.	.	.	.
69	SA/3418/2019- Principal Seat Jabalpur	SMT. VIMLA TAMRAKAR	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	VAN MANDAL ADHIKARI VAN MANDAL	DISTT. CHHATARPUR, CHHATARPUR,	Forest Department	Pending	.	.	.	.
70	WP/10122/2019- Principal Seat Jabalpur	DEVIRAS PATLE	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FOREST FOREST DEPARTMENT	BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	.	.	.	Notice Issued 21.10.19
71	WP/13973/2019- Principal Seat Jabalpur	SHIVCHARITRA VISHWAKARMA	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH SECRETARY	BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	.	.	.	Notice Issued 18.9.19
72	WP/15145/2019- Principal Seat Jabalpur	SHEETAL SINGH GOND	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 8	DIVISIONAL FOREST OFFICER FOREST DIVISION	DISTT. SATNA, SATNA,	Forest Department	Pending	.	.	.	Notice Issued 17.2.20
73	WP/16087/2019- Principal Seat Jabalpur	SMT BHAGRATA DHARTE	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. PRINCIPAL SECRETARY FOREST DEPARTMENT	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	.	.	.	Notice Issued 7.3.19
74	WP/23730/2019- Principal Seat Jabalpur	MAHENDRA KAPOOR WALKEY	STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	STATE OF MADHYA PRADESH THR. PRINCIPAL SECRETARY FOREST DEPTT.	VALLABH BHAWAN BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	.	.	.	.
75	WP/24863/2019- Principal Seat Jabalpur	SASAN POWER LTD.	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 5	FOREST BOARD OFFICER BAIDHAN	DISTT. SINGRAULI, SINGRAULI	Forest Department	Pending	.	.	.	Notice Issued 19.12.19
76	WP/25221/2019- Principal Seat Jabalpur	VIRENDRA MOHAN CHOUARASIYA	STATE OF M.P.	Res - 1	STATE OF M.P. MINISTRY OF FOREST THR. ITS SECRETARY	VALLABH BHAWAN, BHOPAL,	Forest Department	Pending	.	.	.	Notice Issued 17.12.19
77	WP/25510/2019- Principal Seat Jabalpur	M/S RAGHUNANDAN RAM AND COMPANY	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. THE PRINCIPAL SECRETARY FOREST DEPART.	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	.	.	.	Notice Issued 25.1.20
78	WP/25902/2019- Principal Seat Jabalpur	M/S RAGHUNANDAN RAM AND COMPANY	STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH THE PRINCIPAL SECRETARY FOREST DEPARTMENT	VALLABH BHAWAN BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	.	.	.	Notice Issued 27.12.19
79	WP/26100/2019- Principal Seat Jabalpur	KUNWAR JI	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. PRINCIPAL SECRETARY FOREST DEPAT	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	.	.	.	Notice Issued 24.12.19
80	WP/28319/2019- Principal Seat Jabalpur	O.P. SINGH BAGHEL	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. ITS PRINCIPAL SECRETARY	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	.	.	.	Notice Issued 24.7.20

81	WP/29000/2019-Principal Seat Jabalpur	TILAKRAM KOTHARE	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	PRINCIPAL SECRETARY FOREST DEPARTMENT	MANTRALAYA VALLABH BHAWAN BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-			Notice Issued 27.1.20
82	WP/4210/2019-Principal Seat Jabalpur	ASHOK KUMAR PAIKWAR	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	THE CHIEF CONSERVATOR OF FOREST GENERAL FOREST DIVISION CHHATRAPUR	JAWAHAR ROAD, CHHATARPUR, CHHATRPUR,	Forest Department	Pending	-	-	14.8.20	-
83	WP/17127/2019-Principal Seat Jabalpur	AJAY DUBEY	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. ADDITIONAL CHIEF SECRETARY FOREST DEPARTMENT	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 19.11.19
84	SA/834/2020-Principal Seat Jabalpur	RANVEER SINGH	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	CHIEF SECRETARY FOREST DEPARTMENT	VALLABH BHAWAN BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	-
85	SA/921/2020-Principal Seat Jabalpur	RAMSUNDAR GUPTA	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 2	FOREST OFFICER, WEST FOREST DEPARTMENT	DISTT-SIDHI, SIDHI,	Forest Department	Pending	-	-	-	-
86	SA/992/2020-Principal Seat Jabalpur	RAJARAM	JILA VAN MANDAL ADHIKARI	Res - 1	JILA VAN MANDAL ADHIKARI THR. VAN MANDAL	CHHATARPUR, CHHATARPUR,	Forest Department	Pending	-	-	-	-
87	SA/1007/2020-Principal Seat Jabalpur	KAMLA PRASAD	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 3	FOREST DEPARTMENT M.P. THROUGH D. F. O SINGRAULI	DISTRICT SINGAULI, SINGRAULI,	Forest Department	Pending	-	-	-	-
88	WP/2110/2020-Principal Seat Jabalpur	NARAYAN	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. THE SECRETARY FOREST DEPARTMENT	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 24.2.20
89	WP/2430/2020-Principal Seat Jabalpur	MUKESH KUMAR SHUKLA	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. THE PRINCIPAL SECRETARY DEPARTMENT OF FOREST MANTRALAYA	VALLABH BHAWAN, BHOPAL M.P., BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 26.2.20
90	WP/9672/2020-Principal Seat Jabalpur	SUKHNAND BHURIYA	THE STATE OF MADHYA PRADESH	Res - 1	THE STATE OF MADHYA PRADESH THR. PRINCIPLE SECRETARY FOREST AND WILD LIFE CONSERVATION DEPT.	VALLABH BHAWAN, BHOPAL, BHOPAL,	Forest Department	Pending	-	-	-	Notice Issued 4.8.20

9/12

(पी०के०पाण्डेय)
सहायक वन संरक्षक
न्यायालयीन प्रकोष्ठ जबलपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल–462004

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पा./सम./ते0प0/01/383 भोपाल, दिनांक 06/02/2021

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक
समस्त वन मण्डलाधिकारी उत्पादन/सामान्य
मध्यप्रदेश ।

विषयः– प्रदेश के कृषकों को खुदरा ब्रिकी के जरिये औद्योगिक बांस का प्रदाय हेतु दर निर्धारित करने बाबत् ।

संदर्भ :– पदेन सचिव म0प्र0शासन , वन विभाग का पत्र कमांक/ समिति/457 दिनांक 20.01. 2021 ।

---::0::---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजियें । विषयांकित पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजा जा रहा है।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार ।

05/02/21

(सी. के. पाटिल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

G/F

परि.पत्र 2

म0प्र0 शासन वन विभाग

क्रमांक/समिति/457/ 03

भोपाल, दिनांक 20/ 01 /2021

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
म.प्र. भोपाल

विषय :- प्रदेश के कृषकों को खुदरा विक्री के जरिये औद्योगिक बांस का प्रदाय हेतु दर निर्धारित करने बावत् ।

-00-

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 457 वीं बैठक दिनांक 04 एवं 09-12-2020 में (प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन के विषय क्रमांक-03) में प्रदेश के कृषकों को खुदरा विक्री के जरिए वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिये औद्योगिक बांस के टुकड़े प्रदाय करने हेतु विक्रय मूल्य 1 मीटर टुकड़े का मूल्य पूर्ववत रुपये 3.30 प्रति नग (तीन रुपये तीस पैसे प्रति नग) तथा 2 मीटर टुकड़े का मूल्य रुपये 6.60 प्रति नग (छः रुपये साठ पैसे प्रति नग) निर्धारित करने की राज्य शासन स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.मिश्रा)
पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, वन विभाग

पृ0क0/समिति/457/

भोपाल, दिनांक / 01/2021

प्रतिलिपि:-

1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग ।

2/ महालेखाकार (क्रमांक एक) म.प्र.ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 04 एवं 09.12.2020 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, वन विभाग

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्य प्रदेश
क्रमांक 666
दिनांक 21/01/21

समन्वय

प्रभारी की प्रति
21/01/21

प्र.मु.व.सं.उत्पा.
21/01/2021

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ाभवन, भोपाल
दूरभाष एवंफैक्स नं0 0755–2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/निर्वतन/78/ 461 भोपाल, दिनांक 18/ 02 /2021

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक

मध्यप्रदेश

विषय :– औद्योगिक बांस के टुकड़े अगरबत्ती काड़ी/आईसक्रीम काड़ी उद्योग तथा कामन फेसिलिटी सेन्टर के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं को भी उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/समिति/453/12 दिनांक 10.02.2021

—::00::—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है । उक्त पत्र के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा औद्योगिक बांस के टुकडे /अगरबत्ती काड़ी/ आईसक्रीम काडी उद्योग तथा मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ के अंतर्गत कामन फेसिलिटी सेंटर में कार्यरत बांस हस्तशिल्पियों के अतिरिक्त यदि कोई भी उपभोक्ता बांस के टुकड़ों (1 मीटर तथा 2 मीटर) की न्यूनतम 1 नो.टन मात्रा में मांग करता है तो, उसे भी रूपये 4300/– प्रति नो.टन की दर से प्रदाय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तदानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

(सी0 के0 पाटिल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/निर्वतन/78/ 462 भोपाल, दिनांक 18/02/2021

प्रतिलिपि :–

1. पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य से सूचनार्थ अग्रेषित।
2. समस्त वन मंडलाधिकारी, (क्षेत्रीय/उत्पादन), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

18/2/21

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

म0प्र0 शासन वन विभाग

क्रमांक/समिति/458/ 12 भोपाल, दिनांक -10/02/2021

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन)
म.प्र. भोपाल

विषय :- औद्योगिक बॉस के टुकड़े अगरबत्ती काड़ी/आईसक्रीम काड़ी उद्योग तथा कामन फेसिलिटी सेन्टर के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं को भी उपलब्ध कराने बाबत्

—00—

वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 458 वीं बैठक दिनांक 18-01-2021 (प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन के विषय क्रमांक-01) औद्योगिक बॉस के टुकड़े अगरबत्ती काड़ी/आईसक्रीम काड़ी उद्योग तथा मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के अंतर्गत कामन फेसिलिटी सेन्टर में कार्यरत्त बॉस हस्तशिल्पियों के अतिरिक्त यदि कोई भी उपभोक्ता बांस के टुकड़ों (1 मीटर तथा 2 मीटर) की न्यूनतम 1. नो. टन मात्रा में मांग करता है तों उसे भी रुपये 4300/- प्रति नो. टन की दर से उक्त साइज के बॉस प्रदाय किये जाने की राज्य शासन एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
10-2-21
(ए.के.मिश्रा)
पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, वन विभाग

पृ0क्र0/समिति/458/ भोपाल, दिनांक -10/02/2021

प्रतिलिपिः-

1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग ।

2/ महालेखाकार (क्रमांक एक) म.प्र.ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 18.01.2021 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

3/ प्रबंध संचालक ,मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल ।

4/ प्रबंध संचाल , मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम भोपाल ।

पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, वन विभाग

निर्दिष्ट
प्रभारी को कुप्ताल
व.म.व.सं.उत्पा
1604
15/02/2021

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल,

Telephone & Fax No.- (0755) 2674354, E-Mail- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/ 664   भोपाल, दिनांक 5/3/21

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश

विषय :– अत्यन्त कम उत्पादन वाले/अलाभकारी कूपों में विदोहन कार्य के संबंध में दिशा–निर्देश बावत्।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/वनिस/उत्पादन/2100 दिनांक 17.07.2015 एवं क्रमांक/3665 दिनांक 26.08.2019

—::0::—

उपरोक्त विषयांतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक/वनिस/उत्पा./2100 दिनांक 17.07.2015 तथा पत्र क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/भाग–5/192/3665, दिनांक 26.08.2019 से जारी दिशा निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए विषयांतर्गत निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. विन्हांकन के पश्चात, यदि कूप का अनुमानित काष्ठ उत्पादन 20 घ.मी. से कम या केवल जलाऊ हो तो, ऐसे कूपो का विदोहन क्षेत्रीय वनमंडलों द्वारा ही सम्पादित किया जाएगा। क्षेत्रीय वनमंडल द्वारा नियमानुसार विदोहन योजना बनाकर प्रस्तुत की जाएगी एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) द्वारा बजट आवंटन किया जाएगा।
2. इसी प्रकार बांस के अनुउत्पादक क्षेत्र में कूप में विदोहन नहीं कराया जाएगा। यदि कूप में बिगडे बांस वन का क्षेत्र होगा तो उसका उपचार करने का प्रस्ताव विकास शाखा को प्रस्तुत किया जाएगा।

5/3/21

(राजेश श्रीवास्तव)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/ 665   भोपाल, दिनांक 5/3/21

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास), म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/उत्पादन), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख)
मध्यप्रदेश, भोपाल

G/F

25 प्रति

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

Telephone & Fax No (0755)2674354, E-Mail- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पादन/लीगल सेल/न्या.प्र./2020/ 593 भोपाल, दिनांक 01/04/2021

प्रति,

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-1)
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-2)
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) म.प्र.भोपाल
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र.भोपाल
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म.प्र.भोपाल
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता शिकायत), म.प्र.भोपाल
7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंध) म.प्र.भोपाल
8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भूमि रिकार्ड) म.प्र.भोपाल
9. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल
10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (समन्वय) म.प्र.भोपाल
11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार), म.प्र. भोपाल
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र.भोपाल
13. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना) म.प्र.भोपाल
14. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन) म.प्र.भोपाल
15. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (फारेस्ट मैन्यूअल) म.प्र.भोपाल
16. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (फारेस्ट मैन्यूअल) म.प्र.भोपाल
17. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्/ बजट) म.प्र.भोपाल
18. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) म.प्र.भोपाल
19. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) म.प्र.भोपाल
20. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (निगरानी एवं मूल्यांकन) म.प्र.भोपाल
21. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना)म.प्र.भोपाल

विषय:- नेशनल लोक अदालत दिनांक 10.04.2021 में विभाग से संबंधित शासकीय प्रकरणों को रखे जाने पर विचार बाबत्।

संदर्भ:- संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन समन्वय जबलपुर का पत्र कमांक स./अ./लि./एवं/स./2021/3144 दिनांक 27.03.2021

..........00000..........

उपरोक्त विषयातर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न का अवलोकन करने का कष्ट करे। दिनांक 10.04.2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। जिसमे आपके अधिनिस्त कोई प्रकरण लोक अदालत में रखा जाना हो, की सूची दिनांक 05.04.2021 के पूर्व sectionwp@gmail.com के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करे। एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

31-3-21

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

संलग्न उपरोक्तानुसार

G/F

कार्यालय संयुक्त आयुक्त {लिटिगेशन एवं समन्वय}
(संभागीय आयुक्त,जबलपुर संभाग परिसर),
जबलपुर(मध्यप्रदेश)

☎0761-2629846

✉Email-jtcommlitjab@mp.gov.in

क्रमांकः–संअ / लि0एवं स0 / 2021 / 3144 / जबलपुर,दिनांकः–27-03–2021

प्रति,

समस्त नोडल / समन्वय अधिकारी,
शासन के समस्त विभाग,
राज्य स्तर / संभाग स्तर।

विषयः– नेशनल लोक अदालत दिनांक 10.04.2021 मे विभाग से संबंधित शमनीय प्रकरणों को रखे जाने पर विचार बाबत्।

माननीय उच्च न्यायालय,जबलपुर द्वारा दिनांक 23.03.2021 को जारी नोटशीट संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया गया है कि दिनांक 10.04.2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा जिसमें शमनीय प्रकरणों को रखा जावेगा।

प्रकरणों की सूची दिनांक 05.04.2021 तक प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं महाधिवक्ता कार्यालय की ईमेल आईडी sectionwp@gmail.com के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

संयुक्त आयुक्त
(लिटिगेशन एवं समन्वय)
जबलपुर

क्रमांकः–संअ / लि0एवं स0 / 2021 / 3145 / जबलपुर,दिनांकः–27-03–202

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–
सचिव(विधि),महाधिवक्ता कार्यालय की ओर सादर सूचनार्थ।

संयुक्त आयुक्त
(लिटिगेशन एवं समन्वय)
जबलपुर

3126
दिनांक 30/3/21

Sub:- National Lok Adalat at the High Court on 10.04.2021 (Second Saturday).

As per the communication, vide Endt. No. F.No.20/NLA/SLSA/4070/2021 Jabalpur dated 23-01-2021 (Flag "A"), issued by M.P. State Legal Services authority under reference E-mail Letter F.No.L/34/2018/NALSA dated 21-01-2021 (Flag-"B") of National Legal Services Authority, a direction has been issued by the Hon'ble Executive Chairman, National Legal Services Authority, New Delhi that the next National Lok Adalat of this year is scheduled to be held on 10th **April, 2021 (Second Saturday)** on the subject matters stated as under.

Pursuant to afore-mentioned direction, it is required to take necessary measures to dispose of large number of cases at the National Lok Adalat as taken-up in the previous National Lok Adalat so as to send a strong message about the existence of alternative methods of dispute resolution available to the public, in addition to unclogging of the Judicial system and stimulating speedy disposal of cases in the Courts.

Pursuant to the direction in the afore-mentioned letter from NALSA, the Principal Seat at Jabalpur and the Benches at Indore and Gwalior will take up the following types of cases (pre-litigation and pending in the Courts) in the High Court for settlement at the National Lok Adalat:-

Pre-litigation

(i) NI Act cases under Section 138;
(ii) Money Recovery cases;
(iii) Labour and Employment dispute cases;
(iv) Electricity, Water Bills and other bill payment cases (excluding non-compoundable);
(v) Maintenance Cases;
(vi) Others (Criminal Compoundable and other Civil disputes).

22/01/21

XV-OR-15

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

(Sub:-National Lok Adalat on 10th April, 2021)

23/03/2021

Please find copy of order dated 22/03/2021 passed by Hon'ble the Chief Justice regarding National Lok Adalat to be held on 10/04/2021 (Second Saturday) in the High Court of Madhya Pradesh at Principal Seat Jabalpur and Benches at Indore and Gwalior.

Copy forwarded to:-

1. The Principal Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Bench at Indore/Gwalior.
2. The Member Secretary, State Legal Services Authority, Jabalpur.
3. The Secretary, High Court Legal Services Committee, Jabalpur/ Indore/Gwalior.
4. The Registrar (J-II)/(J-I)/(Admn.)/(V.L.)/D.E.)/ O.S.D.(IT)/ Sr. Principal System Analyst (SA)/ Joint Registrar (Protocol)/ Joint Registrar (M)(J)/DR(M)(J-I)/ DR(M)(J-II)/ DR(M)(J-III), High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
5. O.S.D.-cum-P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for placing before His Lordship.
6. Secretary to Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, Principal Seat Jabalpur for placing the matter before His Lordship.
7. Secretary to Hon'ble Shri Justice Sheel Nagu, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, Bench Gwalior for placing the matter before His Lordship.
8. Secretary to Hon'ble Shri Justice Sujoy Paul, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, Bench Indore for placing the matter before His Lordship.
9. Secretary to Hon'ble Shri/Smt. Justice ...., High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for placing the matter before His / Her Lordship.
10. Assistant Registrar (M)(J-I) / Assistant Registrar (M)(J-II) / Assistant Registrar (M)(Estt.) / Protocol Officer, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur.
11. Secretary to Registrar General/Principal Registrar (ILR/Exam)/Principal Registrar (V), High Court of Madhya Pradesh Jabalpur.
12. P.S. to Advocate General, State of Madhya Pradesh, Jabalpur.
13. O/o President, High Court Bar Association/High Court Advocates Bar Association/Senior Advocates Council, Jabalpur/Indore/ Gwalior.
14. Administrative Officer/In-charge, Writ-I / Writ-II / W.A./ Cr.A./ M.Cr.C./ Cr.R. / F.A. / S.A. / M.A. / M.C.C. / RKD / S.W./ Cause List / Filing /Server Room / Supreme Court Section / Mediation Center.

(MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA)
PRINCIPAL REGISTRAR (JUDICIAL)

XV-OR-15

Sub:- National Lok Adalat at the High Court on 10.04.2021 (Second Saturday).

Meetings may be convened between Govt. functionaries at the highest levels, including Public Undertakings/Corporations, Revenue Officials etc., so that, policy decisions for settlement in terms of the National Litigation Policy may be taken.

Scrutiny of Cases and other steps

The scrutiny will, inter alia, include the following categories of cases in addition to the above-mentioned cases with a view to explore probability of settlement/disposal at the National Lok Adalat:-

Writ Petitions:-

I. Service (General):-

1. Writ Petitions pertaining to transfer/deputation.
2. Writ Petitions pertaining to regularization, compassionate appointment and Voluntary retirement, correction of date of birth and covered matters.
3. Writ Petitions pertaining to pensionary and terminal benefits, including interest and arrears of State Government Employees.
4. Writ Petitions pertaining to increments for the period of ad-hoc officiation of Government and other employees as per circulars of the Government.
5. Writ Petitions pertaining to fixation of special pay of Government Employees for Family Planning Operation as per judgment of the High Court.
6. Writ Petitions relating to Money Recovery cases.
7. Writ Petitions relating to Labour Dispute Cases..

Sub:- National Lok Adalat at the High Court on 10.04.2021 (Second Saturday).

Pending in the Courts / Tribunals :-

(i) Criminal Compoundable offence,
(ii) NI Act cases under Section 138,
(iii) Money Recovery cases,
(iv) MACT cases,
(v) Labour and Employment dispute cases,
(vi) Electricity, Water Bills and other bill payment cases (excluding non-compoundable),
(vii) Matrimonial disputes (except divorce);
(viii) Land Acquisition cases (Pending before civil courts/tribunals);
(ix) Services matters relating to pay and allowances and retiral benefits;
(x) Revenue cases (pending in District Courts and High Courts only)
(xi) Other civil cases (such as rent, easmentary rights, injunction suits, specific performance suits) etc.

From the past experience, it is observed that the task of identifying suitable cases undertaken in all earnestness has resulted in a higher rate of settlement. Further, it would be a purposeless exercise if a large number of cases are referred for the Lok Adalat and only a small number actually get settled. Hence, careful selection of old matters is, therefore, a must. Appropriate new cases should also be referred to and must be taken up in the Lok Adalat. Newer areas may also be explored for reference to and settlement at Lok Adalats. Areas which lagged in the last National Lok Adalat may be reviewed to strengthen the reference and disposal.

Once again, pre-sitting discussions with the parties should be held so that parties have time to reach a settlement. For this, the parties may be issued notices and called for the Pre-Lok Adalat conciliation sittings.

Sub:- National Lok Adalat at the High Court on 10.04.2021 (Second Saturday).

3. Miscellaneous Appeals regarding injunction under Order 39 Rule 1 & 2 of the C.P.C.
4. First Appeals including matrimonial disputes (except Divorce Cases) and Second Appeals which can be disposed of on the basis of compromise.
5. MCC and Contempt Petitions.

While scrutinizing the cases, only those matters will be sorted out, in which there appears likelihood of settlement or which can be disposed of with short direction by the Bench by mutual consent of the parties. Identical cases should be bunched together so that all such cases may be disposed of.

The work of supervision relating to National Lok Adalat with respect to Writ Branch, Criminal Branch and Civil Branch will be performed by Shri Manoj Kumar Shrivastava, Principal Registrar (Judicial), Shri Deepesh Tiwari, Registrar (J-II) and Shri Deepak Bansal, Registrar (J-I) respectively. The entire work of scrutiny of cases will be carried out by the Officers and Staff of the concerned Sections under the guidance of Shri Rajeev Kumar Karmahe, Secretary, High Court Legal Services Committee.

The entire work regarding scrutiny of the cases pertaining to Civil, Criminal and Writ Branch at Principal Seat Jabalpur will be performed by the concerned Dealing Assistants of the respective Sections under supervision and guidance of Shri Anil Pawar- Joint Registrar (M)(J), Shri M.K. Chourasiya- Deputy Registrar (M)(J-II), Smt. Nirupma Shrivastava, Deputy Registrar (M)(J-III), Smt. Beena P. Banerjee, Deputy Registrar (M)(J) and Shri Pushpendra Jain, Assistant Registrar (M)(J).

Shri Anil Verma, Principal Registrar, Bench Indore and Shri Vimal Prakash Shukla, Principal Registrar, Bench Gwalior shall supervise the

Sub:- National Lok Adalat at the High Court on 10.04.2021 (Second Saturday).

II. Service (Education):-

1. Writ Petitions relating to Government Teachers for increment on acquiring qualification of B.Ed. and BTI as per circulars of the Government.
2. Writ petitions pertaining to increment to Lecturers, Readers and Professors of Government Colleges and other Colleges on acquiring qualification of Ph.D.

III. Others:-

1. Other covered cases of Writ Petitions.
2. Writ Appeals.

Criminal Branch:-

1. Criminal Appeals/Revisions where offences are compoundable and Accused/Appellant have been sentenced to undergo imprisonment upto five years.
2. Criminal Appeal relating to offences under Electricity Act, Forest Acts, Mines Acts which are compoundable or covered cases.
3. Criminal Appeals/Revisions in respect of offences under Negotiable Instruments Act.
4. M.Cr.Cs. u/s 125 Cr.P.C.

Civil Branch:-

1. First Appeals against awards made under Section 18 of the Land Acquisition Act, 1894 by the State up to the value of not more than Rs.5,00,000/- (Rupees Five Lakhs).
2. Motor Accidents Claims Appeals in which quantum of compensation only is in dispute.

XV-OR-15

Sub:- National Lok Adalat at the High Court on 10.04.2021 (Second Saturday).

The Registry at the Principal Seat, Jabalpur and Benches at Indore and Gwalior and High Court Legal Services Committee will work in coordination to ensure that all necessary steps are taken in a time bound manner so as to achieve maximum disposal of the cases at the National Lok Adalat on **10-04-2021 (Second Saturday).**

The directions, as stated above and other measures are required to be taken for making the National Lok Adalat a grand success. The directions will be carried out under the overall supervision and guidance of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh and Administrative Judge of the Principal Seat at Jabalpur and Administrative Judges of the Bench at Indore and Gwalior.

It has also been stated by the Member Secretary, NALSA that during the year 2021, any of the modes such as E/Virtual Lok Adalats, physical mode (conventional way) Lok Adalats, keeping in view the local scenario including guidelines issued by Health Authorities from time to time, may be adopted.

Hence, looking to the present circumstances of Covid-19 and in view of Standard Operating Procedure (S.O.P.) dated 11/02/2021, the Cases to be listed before the National Lok Adalat Benches of National Lok Adalats, may be heard through Virtual Mode or Physical Mode at Principal Seat Jabalpur and Benches at Indore and Gwalior.

CHIEF JUSTICE

Sub:- National Lok Adalat at the High Court on 10.04.2021 (Second Saturday).

entire work for organizing National Lok Adalat on 10-04-2021 at Bench Indore and Gwalior.

Shri Jitendra Bhadkare, Senior Principal System Analyst (N&CT) & Shri Rajesh Kumar Sharma, Joint Registrar (M) of Bench Indore and Shri Anil Deshmukh, Chief Librarian / Incharge, Deputy Registrar & Shri Prashant P. Gade, Deputy Registrar (M) of Bench Gwalior shall carry out the work of scrutiny of cases with the help of the other Officers and employees of the concerned Branch.

The Court Managers at Principal Seat Jabalpur and Benches at Indore and Gwalior will monitor the following:-

i) Day to day progress on the scrutiny of cases for identification of the cases.

ii) Issuance of notices to the parties for the purpose of pre-sitting to finalize the list of cases for National Lok Adalat.

Adequate publicity must be given for holding of the Lok Adalat, so that, parties could themselves approach the SLSA/High Court Legal Services Committee for getting their matter referred to the Lok Adalat. Once cases are identified for reference to the Lok Adalats, cause lists shall be prepared and Benches shall be constituted and notified through notice boards and websites.

<u>The list of cases to be referred to National Lok Adalat should be finalized by 05/04/2021 (Monday) positively.</u>

A copy of this order be sent to the Office of the Advocate General at Jabalpur and the Additional Advocate Generals at Indore and Gwalior also.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

Telephone & Fax No (0755)2674354, E-Mail- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पा./कक्ष-निस्तार-13/2021/ 1060 भोपाल दिनांक 15/05/20

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषयः- COVID-19 संक्रमण काल में शमशान घाटों को जलाऊ चट्टों का प्रदाय।

-:000:-

COVID-19 के संक्रमण से निर्मित वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत विभागीय वनों से प्राप्त जलाऊ चट्टों के निर्वर्तन के संबंध में आगामी आदेश तक निम्नानुसार निर्देश तत्काल प्रभाव से प्रसारित किये जाते हैं-

1. जलाऊ चट्टों का नीलाम से निर्वर्तन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।
2. समस्त उत्पादित जलाऊ चट्टों को शमशान घाटों को प्रदाय करने हेतु आरक्षित किया जाता है।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक अपने कार्यक्षेत्र के लिए शमशान घाटों हेतु जलाऊ की आवश्यकता की गणना करेंगे, तथा तदनुसार अपने वन वृत्त से ही जलाऊ की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
4. ऐसे वन वृत्त, जहाँ उत्पादन कार्य नहीं है अथवा जलाऊ चट्टों का उत्पादन अत्यधिक कम है, वहाँ के मुख्य वन संरक्षक स्वयं निकटतम ऐसे मुख्य वन संरक्षक से संपर्क कर जलाऊ चट्टों की आपूर्ति सुनिश्चित करें, जहाँ पर्याप्त उत्पादन है।
5. यदि निकट के वन वृत्त से आपूर्ति संभव नहीं है तो अन्य वन वृत्तों से भी जलाऊ चट्टों की आपूर्ति की जा सकेगी।
6. जलाऊ चट्टे उपलब्ध होने पर भी यदि किसी वन वृत्त द्वारा दूसरे वृत्त को प्रदाय करने में आनाकानी/विलंब किया गया तो कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि "जलाऊ चट्टों" का अर्थ किसी भी प्रजाति के जलाऊ चट्टे से है। इनमें सागौन के जलाऊ चट्टे भी सम्मिलित हैं।
8. जलाऊ चट्टे यथासंभव कूप से ही चट्टे लगाकर प्रदाय किये जाएँ, तथा परिवहन हेतु यथासंभव शासकीय ट्रकों का प्रयोग किया जाए। वर्तमान में शासकीय डिपो में उपलब्ध चट्टों का प्रदाय प्राथमिकता के तौर पर पहले किया जाए।

जलाऊ चट्टों का विश्रामघाटों को प्रदाय म.प्र.शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-7/22/93/10/3 दिनांक 20.08.1996 के अनुसार किया जावें। इस संबंध में वन संरक्षक, भोपाल को जारी पत्र क्रमांक/1766 दिनांक 04.05.2001 की प्रति भी संलग्न प्रस्तुत है।

संलग्न:उपरोक्तानुसार

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/उत्पा./कक्ष-निस्तार-13/2021/ 1061 भोपाल दिनांक 15/05/20

प्रतिलिपि:- 1. समस्त वन मंडल अधिकारी/वन संरक्षक, क्षेत्रीय/उत्पादन, मध्यप्रदेश की ओर तात्कालिक रूप से पालनार्थ प्रेषित।

2. प्रमुख सचिव, वन, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

15.05.21

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

मध्य प्रदेश शासन, वनविभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल, 462004

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त, 1996

-: आदेश :-

क्रमांक/एफ-7/22/93/10/3 राज्य शासन द्वारा प्रदेश में नई निस्तार नीति के अंतर्गत मुर्दों को जलाने के लिए जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूर्ववत रखने के संबंध में निर्णय लिया गया कि :-

(1) नई निस्तार नीति में आंशिक संशोधन करते हुए मुर्दों को जलाने के लिए जलाऊ लकड़ी उपभोक्ता दर पर डिपो से उपलब्ध कराने की पूर्व व्यवस्था यथावत रखी जावे।

उक्त व्यवस्था दिनांक 1.7.96 से लागू मानी जावेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(धर्मेन्द्र शुक्ला)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वनविभाग

पृ0क्र0/एफ-7/22/93/10/3 भोपाल, दिनांक 20 अगस्त, 1996

प्रतिलिपि:-

1/ प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्थानीय शासन विभाग/राजस्व/आदिम जाति कल्याण/वित्त विभाग.
2/ समस्त संभागीय आयुक्त म0प्र0।
3/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0 भोपाल।
4/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन) भोपाल म0प्र0।
5/ समस्त वन संरक्षक, म0प्र0।
6/ संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग भोपाल म0प्र0।
7/ समस्त जिलाध्यक्ष, मध्य प्रदेश।
8/ समस्त वनमंडलाधिकारी मध्य प्रदेश।

(धर्मेन्द्र शुक्ला)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वनविभाग

- - - - -

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

Tel & Fax No. 0755-2674354, E-Mail add- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पादन/बजट/2021/320 /1481 भोपाल,दिनांक 28.06.2021

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रिय)
मध्यप्रदेश

विषय :- कैम्पा निधि के तरह आगामी वर्ष 2022- 23 का ए.पी. ओ. तैयार करने बावत्।

संदर्भ :- विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक कैम्पा का पत्र क्रमांक 1633 दिनांक 11.06.2021 अनुसार विभागीय डिपो के उन्नयन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने बावत्।

—::00::—

उपरोक्त विषय के संबंध में वर्ष 2022-23 के वार्षिक कार्य प्रचलन योजना(ए.पी.ओ.) तैयार करने की कार्यावाही की जा रही है, ताकि ए.पी.ओ. का समय पर अनुमोदन प्राप्त किया जा सके, प्राय ए.पी.ओ. प्रस्तुत करते हुए उत्पादन/एकीकृत वनमंडलो के काष्ठागारों/बॉसागारों की आवश्यकताओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः निर्देशित किया जाता है कि विभागीय काष्ठागारों/बॉसागारों के उन्नयन हेतु संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक (स)VIII, IX,X,XI में दर्शित कार्यो के प्रस्ताव उत्पादन/एकीकृत वन मण्डलों से प्राप्त कर अपने अभिमत तथा तकनीकी स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करे।

28.06.2021

(जसबीर सिंह चौहान)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/बजट उत्पादन/2021/320/1482 भोपाल,दिनांक 28.06.2021

प्रतिलिपिः-

1. समस्त वन मण्डल अधिकारी उत्पादन,मध्यप्रदेश की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

D:\Desktop\Budget 21-22\Budget P Letter 2021-22.doc

G-F

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

Tel.& Fax No. 0755-2674354, E-Mail add- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पादन/बजट/2021/299–2/1476 भोपाल,दिनांक 28 .06.2021

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रिय)(बालाघाट को छोड़कर), मध्यप्रदेश

विषय :– कैम्पा मद में किये जाने वाले कार्यों के मानकीकरण के संबंध में।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 690 दिनांक 09.03.2021

विषयांतर्गत प्रायः सभी उत्पादन वनमंडलों द्वारा कैम्पा मद में डिपो उन्नयन हेतु विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है, जिनमें उपकरण क्रय संबंधी प्रस्ताव भी सम्मिलित है। इन उपकरणों में सोलर लाईट, हाई मास्ट लाइट, CCTV कैमरा, अग्नि रोधक/शामक उपकरण, खरपतवार काटने की मशीन, ब्लोअर मशीन सम्मिलित है।

उपरोक्त वर्णित उपकरणों के क्रय से पूर्व इनका मानकीकरण किये जाने का दायित्व बालाघाट वन वृत्त को सौंपा गया था। बालाघाट वृत्त से प्राप्त उपकरण मानक संलग्न प्रेषित हैं। कृपया कैम्पा शाखा से स्वीकृत एवं बजट मिलने पर क्रय नियमों तथा संलग्न मानकों अनुसार सक्षम स्तर से क्रय की कार्यवाही करें।

कृपया टीप करें कि कोई भी उपकरण इन मानकों से कम मापदंड का क्रय न किया जाए। यदि संलग्न मानकों से बेहतर मानक आपके संज्ञान में हैं, तो कृपया समय पर मुख्यालय को सूचित करे। यदि ऐसे उपकरण की स्वीकृति आपको प्राप्त होती है, जो संलग्न सूची में नही है, तो कृपया संबंधित निर्माताओं/वितरकों से मानक प्राप्त कर सूचित करे।

28.06.2021

(जसबीर सिंह चौहान)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/बजट उत्पादन/2021/289–2/1477 भोपाल,दिनांक 28.06.2021

प्रतिलिपिः–

1. समस्त वन मण्डल अधिकारी उत्पादन/एकीकृत वनमंडल, मध्यप्रदेश की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

D:\Desktop\Budget 21-22\Budget P Letter 2021-22.doc

G/F

मुख्य वनसंरक्षक बालाघाट वृत्त म0प्र0 के आदेश क्रमांक/व्यय आं0/81 दिनांक 17/03/2021 द्वारा गठित समिति का कार्यवाही विवरण :-

वर्ष 2021-22 में कैम्पा मद में किये जाने वाले कार्यो के संबंध में मानक निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा वनमण्डल अधिकारी उत्तर एवं दक्षिण के उत्पादन से प्राप्त प्रस्तावों में डिपो उन्नयन हेतु प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत हाई मास्ट, सोलर स्ट्रीट लाईट सिस्टम एवं अन्य प्रकाश व्यवस्था, अग्निशामक यंत्र, ब्लोवर मशीन, वीड कटर, सी.सी.टी.व्ही. कैमरा आदि के प्रस्तावों का परीक्षण किया गया, तथा समिति द्वारा निम्नानुसार मानक निर्धारण किया जाकर अनुशंसा की जाती है :-

S.N.	Description	Specification
1.	12 w Solar Based LeD Street Lights	1. G.I. Pole 6m With toll Free Number For egistration of complaints 2. PV Module (75 Wpunder Stc) 3. 12 W LED solar street ligtht 4. Li-Fe-Ph Battery (360 Wh.)-. 5. 5- years standard repair and maintenance against technical defects.
2.	High Mast lighthing system A. 30 mt high mast lighthing system	1. 16 nos metel halide flood light fittings of 2x400 watt each. 2. control gear and lamps with integral power tool. 3. weight 1650kg. having 3 section hot dip galvanizied material as per BSEN ISO 1461 thick of 4 mm. & 4mm. dia 6 mm 150 top and 610 bottom respectively. 4. The mast shall be stress fitted at site as per IS everlap dyanamic loading. 5. The mast shall have lighting protection of GI single spike of 1200 mm length at top. 6. The base inside compartment with double interial lock with adequate size of MCB mounted on PVC board complete with base palte of 30 mm thick 840 mm diameter and foundation bots having 12 nos bots of 30 mm 850 MM diameter (TS600) anchor plate.
	B. 16 mt high mast lighthing system	1. 6 nos metel halide flood light fittings of 2x400 watt each. 2. control gear and lamps with integral power too'. 3. weight 550kg. having 2 section hot dip galvanizied material as per BSEN ISO 1461 thick of 3 mm. & 4mm. dia 150 top and 410 bottom respectively. 4. The mast shall be stress fitted at site as per IS everlap dyanamic loading. 5. The mast shall have lighting protection of GI single spike of designaed length at top. 6. The base inside compartment with double interial lock with adequate size of MCB mounted on PVC board complete with base palte of 25 mm thick 570 mm diameter (TS600) anchor plate 445 PCD including accessories Viz. 7. Supply of XLPE insulated power cable (conforming IS7098) 1100 Volt grade/Heavy duty power cable conforming to IS 1554-1100 Volts grade. 02 core/31/2 core/4coreISI MARKED with Alu. Stranded/solid conductor. Note – Designing & casting of Open raft shallow footing foundation with M_20 cement concrete suitable for 16mtrs. High Mast considering the safe soil bearing capacity at site as 10 T/sqm at 2mtrs. Depth including excavation, foundation nut bolts in an approved manner.
3.	C.C TV. Camera	Typs- Dome, Fix, Bullet, & PTZ 1. min. 02 mega Pixcel camera 2. Backup as per requirements 3. including N.V.R. Chip 4. U.P.S (K.Vait) with open battery.

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल –462004

दूरभाष एवं फैक्स नं 0755-2674204 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/भाग–6/192/ 1602 भोपाल,दिनांक 08/07/2021

प्रति,

समस्त,

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

म0प्र0

विषयः– एरियर कूपों में विदोहन की अनुमति बावत।

—:: 0 ::—

विषयांतर्गत,समय–समय पर यह देखा गया है कि एरियर कूपों में विदोहन आरम्भ करने से पूर्व कुछ वन मंडलों द्वारा उच्च अधिकारियों से अनुमति मांगी जाती है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि वानिकी वर्ष 2020–21 अथवा इसके पूर्व के वर्षो में जिन कूपों में विदोहन की अनुमति भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय से प्राप्त हो चुकी थी, किन्तु ऐसे कूपों, अथवा उनके किसी भाग में विदोहन कार्य अभी तक शेष है, उनके लिये पृथक से किसी भी स्तर से अनुमति की आवश्यकता नही है। ऐसे कूपो में वानिकी वर्ष 2021–22 में यथाशीघ्र विदोहन कार्य प्रारंभ किया जाये। इसी प्रकार समस्त वृक्षारोपणो में स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप विरलन/विदोहन कार्य करवाऐं जाऐं।

08.07.2021

(जसवीर सिंह चौहान)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

म0प्र0 भोपाल

पृ0क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/भाग–6/192/ 1603 भोपाल,दिनांक 08/07/202

प्रतिलिपिः–

समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/उत्पादन) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

म0प्र0 भोपाल

E:\E\Production Kasht.doc

O G/F

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

Telephone & Fax No.(0755)2674354, E-Mail- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/[illegible]/2021/ 929 भोपाल दिनांक 8/7/2021

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश

विषय:- उच्च न्यायालय की ई-फाईलिंग 3.0 सॉफ्टवेयर की सुविधा का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने बावत।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का पत्र क्रमांक/२२७७/21-ब(एक)/२०२१ दिनांक 23.06.2021

-::0::-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। कृपया आपके अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कार्यालयों को उच्च न्यायालय की ई-फाईलिंग 3.0 सॉफ्टवेयर की सुविधा का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने बावत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

8-7-21

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

क्रमांक/[illegible]/2021/ 930 भोपाल दिनांक 8/7/2021

प्रतिलिपि: समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित। संदर्भित पत्र के तारतम्य में समस्त अधिकारियों/कार्यालयों को उच्च न्यायालय की ई-फाईलिंग 3.0 सॉफ्टवेयर की सुविधा का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने बावत आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

G/c

LAA T/X/141
18/6/21

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SEAT – JABALPUR

No. Reg(IT)(SA)/2021/834 Jabalpur, Dated:-17/06/2021

:: MEMO ::

To,

The Principal Secretary,
Law & Legislative Affairs Department,
Government of Madhya Pradesh
Vindyachal Bhawan, Bhopal
Bhopal- 462011

Sub: Regarding to take up the matter for providing 3.0 e-filing software facilities.

Ref: E-mail dated: 20.04.2021 of Hon'ble Shri Justice R.C. Chavan, Vice Chairman, e-Committee, Supreme Court of India.

As directed, under the subject cited and with reference to above, it is to inform that Hon'ble the Chief Justice has been pleased to direct you to take up the matter for providing e-filing 3.0 software facilities as litigants to District Collectors/ District Magistrates, Land Acquisition Officers, Commissioners and Superintendents of Police, divisional forest Officers, and others who may be having bulk of litigation in courts.

Therefore, please take up the matter accordingly.

(F.H. QAZI)
CPC

Encl: As Above

18-06-2021

CR 12555

e-mail:-regithcjbp@mp.gov.in Ph:-0761-2623358

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18/06/2021

क्रमांक 2227 / 21-ब(एक) / 2021

प्रति,

1. महाधिवक्ता,
मध्यप्रदेश,
उच्च न्यायालय परिसर, जबलपुर.

2. अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

3. अपर मुख्य/प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

4. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

5. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

विषय :- उच्च न्यायालय की ई-फाईलिंग 3.0 सॉफ्टवेयर की सुविधा का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने बाबत।

संदर्भ :- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का ज्ञापन क्र. Reg(IT)(SA)/2021/834 जबलपुर दिनांक 17.06.2021.

---------00---------

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र में उच्च न्यायालय द्वारा लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय की ई-फाईलिंग 3.0 सॉफ्टवेयर की सुविधा का जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, भूमि अधिग्रहण अधिकारी, आयुक्त (राजस्व), पुलिस अधीक्षक, संभागीय वन अधिकारी एवं समस्त ऐसे व्यक्तियों को उपयोग करने हेतु अनुरोध किया जावे, जो अधिक मात्रा में न्यायालयों में वाद प्रस्तुत करते है अथवा प्रतिवादी होते है।

उच्च न्यायालय के संदर्भित पत्र के अनुक्रम में विभाग की ओर से उपरोक्त समस्त अधिकारियों/कार्यालयों को उच्च न्यायालय की ई-फाईलिंग 3.0 सॉफ्टवेयर की सुविधा का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने बाबत आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध है।

संलग्न :- संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

(संतोष प्रसाद शुक्ल)
अपर सचिव,
म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

29 JUN 2021

To PCCF(HOFF) for NA pl

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

Telephone & Fax No (0755)2674354, E-Mail- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पादन/लीगल सेल/न्या.प्र./2021/ 979 भोपाल दिनांक 13/7/2021

प्रति,

1) प्रबंध संचालक,
 मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज(व्यापार एवं विकास)
 सहकारी संघ मर्यादित, मध्य प्रदेश, भोपाल

2) प्रबंध संचालक,
 मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित,
 मध्य प्रदेश, भोपाल

3) समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)
 मध्य प्रदेश भोपाल

4) समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
 मध्य प्रदेश

विषय:- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल, भोपाल खण्डपीठ में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति बावत।

संदर्भ:- सचिव,मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/1393/515/2020/10-3 दिनांक 06.07.2021 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का आदेश क्रमांक/2166/21-ब(दो) दिनांक 23.06.2021

-::0::-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के संदर्भित आदेश द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल, भोपाल खण्डपीठ में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया है। अतः उपरोक्त आदेश के परिपालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

13.07.2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

GF

G.F.

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 23/06/2021

फा0कमांक 2166/21–ब(दो), 2021 राज्य शासन, एतद्द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल खण्डपीठ में मध्यप्रदेश शासन का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त निम्नलिखित अधिवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करता है :–

1. श्री यादवेन्द्र माईकल यादव,
2. श्री वरूण तन्खा,
3. श्री पुलकित गोधा,
4. श्री पवन लिखिराम कांवरे,
5. श्रीमती कीर्ति शुक्ला,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 23/06/2020

पृष्ठांकन फा0 क0 2166/21–ब(दो)2021,
प्रतिलिपि:–

(1) सचिव, म.प्र. शासन, समस्त विभाग,
(2) महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर,
(3) अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
(4) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, की ओर उनकी टीप क्र. 876/ए.सी.एस./पर्या., दिनांक 10.06.2021 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु,
(5) श्री यादवेन्द्र माईकल यादव, ई–3C/45, बंगलोंस, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल–462003, म.प्र.,
(6) श्री वरूण तन्खा, 842, 32, ग्राउंड फ्लोर, उदय पार्क, साउथ एक्सटेंशन–2, नई दिल्ली–110049,
(7) श्री पुलकित गोधा, ई–3/18,19, अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462016,
(8) श्री पवन लिखिराम कांवरे, एफ–3, फरर्ट फ्लोर, सी–ब्लॉक, सत्यमेव जयते काम्पलेक्स, हाई कोर्ट के पास, तहसील चौक, जबलपुर–482001,
(9) श्रीमती कीर्ति शुक्ला, 169, बाईस रॉय कॉलोनी, बावड़िया कलां, भोपाल,
(10) महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
(11) निज सचिव, माननीय विधि मंत्री जी, विधि और विधायी कार्य विभाग, म.प्र. भोपाल,
(12) स्थापना शाखा, बजट शाखा, अपराधिक शाखा, याचिका शाखा, सिविल शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
(13) आई.टी.सेल, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

23/6/2021

(प्रशांत कुमार)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

25/06/2021

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/1393/515/2020/10-3 भोपाल, दिनांक 06 .07.2021

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
सतपुड़ा भवन, भोपाल ।

विषय:- माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल खण्डपीठ में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति बाबत् ।

--0--

उपरोक्त विषय में अतिरिक्त सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल खण्डपीठ में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं को उनके आदेश दिनांक 23.06.2021 से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया है की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

6/7/21
(संजय मोहरीर)
पदेन सचिव,
म.प्र. शासन, वन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

PCCF (Prod.)

Please circulate

PCCF (Staff)

4430
6-7-21

03.07.2021

प्र. मु. व. सं. (उ.)
म.प्र. भोपाल

237
6/7/2021

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन–शाखा)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 07558.2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/निर्वर्तन//1709 भोपाल, दिनांक 23/07 /2021

प्रति,

1. समस्त वन मंडलाधिकारी (उत्पादन),
   (रायसेन एवं हरदा को छोड़कर)
   मध्यप्रदेश
2. वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय),
   होशंगाबाद, इन्दौर, सीहोर, विदिशा, दक्षिण सागर, छतरपुर,
   टीकमगढ़, दक्षिण पन्ना, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया,
   उत्तर शहडोल, दक्षिण शहडोल, सीधी एवं सिंगरौली
   मध्यप्रदेश

विषय :– ई–नीलामी हेतु तैयारी बावत्।

––::00::––

विभाग के काष्ठागारों में ई–नीलामी द्वारा निर्वर्तन हेतु वेब पोर्टल विकसित करने का कार्य मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। इसी क्रम में दिनांक 12.08.2021 को गैरतगंज डिपो में Pilot E-Auction आरम्भ कर ई–नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। आशा है कि सितम्बर माह से धीरे–धीरे अन्य काष्ठागारों की वनोपज भी ई–नीलाम से निर्वर्तन की कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

उपरोक्त के प्रकाश में निर्देशित किया जाता है कि कृपया अपने काष्ठागारों में सितम्बर माह से ई–नीलाम सुगम बनाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही अग्रिम रूप से प्रारम्भ करें :–

1. ई–नीलाम हेतु प्रत्येक थप्पी की तीन फोटो (front, back and side) ली जानी अनिवार्य है, अतः इस हेतु उपयुक्त डिजिटल कैमरा क्रय करें। कृपया नोट करें कि बहुत अधिक Resolution की आवश्यकता नहीं है, अतः इस कार्य हेतु मंहगे high resolution कैमरा की आवश्यकता नहीं है। यह कार्य मोबाईल (smart phone) अथवा सस्ते डिजिटल कैमरा से सुगमता से किया जा सकता है। कैमरा क्रय सक्षम अधिकारी की अनुमति से अन्य प्रभार मद से किया जा सकता है।
2. प्रारम्भ के माहों में भौतिक नीलाम तथा ई–नीलाम दोनों ही किये जाना प्रस्तावित है। अतः आरम्भ में प्रत्येक ई–नीलाम हेतु कुल लगभग 300 घ.मी. के बड़े लॉट्स पृथक से चिन्हित कर उनकी लॉट लिस्ट Excel Format में पृथक से बनायें। शेष उपलब्ध वनोपज को भौतिक नीलाम द्वारा निर्वर्तित किया जाये।

3. मुख्यालय द्वारा अगस्त माह में समस्त संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को वेब लिंक के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसकी तिथियाँ पृथक से संसूचित की जायेगी। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, ताकि ई–नीलाम की प्रक्रिया में कोई असुविधा न हो। इस संबंध में user manual भी जारी किया जा रहा है।

4. Excel Format में लॉट लिस्ट बनाने हेतु प्रारूप संलग्न है। कृपया इसी प्रारूप में लॉट बनायें, तथा इसमें कोई परिवर्तन न करें, जिससे लॉट लिस्ट वेब पोर्टल पर अपलोड करने में असुविधा न हो।

5. प्रत्येक थप्पी की प्रत्येक फोटो का साईज 500 KB से कम हो, यह सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

23.07.2021

(जसबीर सिंह चौहान)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/निर्वर्तन/कोर्ट केस/158/1710 भोपाल, दिनांक 23/07/2021

प्रतिलिपि :–

1. वन मंडलाधिकारी, रायसेन उत्पादन को प्रेषित कर उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 12.08.2021 को गैरतगंज डिपो में Pilot E-Auction आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु दिनांक 30.07.2021, 05.08.2021 तथा 10.08.2021 को संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों तथा क्रेताओं का गहन प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। दिनांक 30.07.2021 का प्रशिक्षण गैरतगंज डिपो में ही आयोजित होगा। कृपया समस्त संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। कृपया अधिक से अधिक संख्या में इच्छुक क्रेताओं को भी आमंत्रित करें। दिनांक 05.08.2021 तथा 10.08.2021 के प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से होंगे। इन प्रशिक्षणों में भी अधिकारी/कर्मचारियों के अतिरिक्त अधिक से अधिक संख्या में क्रेताओं को भाग लेने हेतु आमंत्रित करें।

2. वन मंडलाधिकारी, हरदा उत्पादन को उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त निर्देशित किया जाता है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित ई–नीलाम में कार्य किया गया था, उन समस्त को दिनांक 28.07.2021 से 30.07.2021 तक गैरतगंज डिपो में आवश्यक सहयोग एवं प्रशिक्षण हेतु उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।

3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Lot Number (लाट क्र.)	Stack Number (थप्पी क्र.)	Species	प्रजाति	Type	लगुण का प्रकार	Girth (गोलाई कक्षा)	Length (लंबाई कक्षा)	Nos (नग)	Volume In Cu.M. (घ.मी.)	Grade (श्रेणी)	Upset Price (अवरोध मूल्य)	Depot Code (डिपो का कोड)	Depot Name (डिपो का नाम)
01F4LTC-088	95	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	121-135	5-6	02	1.112	IIIA	100000	11	Dewas
01F4LTC-089	96	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	91-105	ov-6	04	1.507	IIIA	500000	11	Dewas
01F4LTC-089	97	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	106-120	ov-6	03	1.452	IIIA	550000	11	Dewas
01F4LTC-089	98	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	121-135	ov-6	01	0.567	IIIA	100000	11	Dewas
01F4LTC-091	100	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	106-120	3-4	11	2.946	IIIA	500000	11	Dewas
01F4LTC-092	101	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	106-120	3-4	13	3.459	IIIA	550000	11	Dewas
01F4LTC-093	102	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	151-180	3-4	05	2.575	IIIA	100000	11	Dewas
01F4LTC-094	103	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	136-150	3-4	09	3.776	IIIA	500000	11	Dewas
01F4LTC-095	104	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	91-105	3-4	26	5.410	IIIA	550000	11	Dewas
01F4LTC-096	105	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	91-105	3-4	25	5.029	IIIA	100000	11	Dewas
01F4LTC-097	106	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	121-135	3-4	10	3.497	IIIA	500000	11	Dewas
01F4LTC-098	107	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	106-120	3-4	16	4.166	IIIA	550000	11	Dewas
01F4LTC-099	108	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	91-105	3-4	24	5.012	IIIA	100000	11	Dewas
01F4LTC-100	109	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	76-90	3-4	39	5.835	IIIA	500000	11	Dewas
01F4LTC-119	138	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	91-105	2-3	35	5.228	IIIA	550000	11	Dewas
01F4LTC-121	140	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	136-150	2-3	10	2.901	IIIA	100000	11	Dewas
01F4LTC-122	141	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	76-90	2-3	36	4.074	IIIA	500000	11	Dewas
01F4LTC-123	142	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	106-120	2-3	24	4.659	IIIA	550000	11	Dewas
01F4LTC-124	143	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	121-135	2-3	16	3.919	IIIA	100000	11	Dewas
01F4LTC-125	144	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	91-105	2-3	28	4.111	IIIA	500000	11	Dewas
01F4LTC-127	146	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	136-150	2-3	09	2.746	IIIA	550000	11	Dewas
01F4LTC-128	147	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	76-90	2-3	49	5.224	IIIA	100000	11	Dewas
01F4LTC-129	148	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	76-90	4-5	28	5.628	IIIA	500000	11	Dewas
01F4LTC-130	149	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	91-105	4-5	16	4.386	IIIA	550000	11	Dewas
01F4LTC-131	150	Teak	सागौन	Lattha	लट्ठा	91-105	4-5	16	4.371	IIIA	550000	11	Dewas

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

Tel.& Fax No. 0755-2674354, E-Mail add- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पादन/बजट/2021/320 /1817 भोपाल,दिनांक 29.07.2021

प्रति,

समस्त वनमंडाधिकारी उत्पादन

मध्यप्रदेश

विषय :- कैम्पा निधि के तरह आगामी वर्ष 2022– 23 का ए.पी. ओ. तैयार करने बावत्।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1482 दिनांक 28.06.2021 एवं पत्र क्रमांक 1597 दिनांक 08.07.2021

—::00::—

उपरोक्त विषय के संबंध में वर्ष 2022–23 के वार्षिक कार्य प्रचलन योजना (ए.पी.ओ.) तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है, इस संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा बिन्दु क्रमांक (रा)VIII, IX,X,XI में दर्शित कार्यो के प्रस्ताव चाहे थे जिसमें अधिकांश प्रस्ताव निर्माण कार्य से संबंधित प्राप्त हुए है। कृपया आपके द्वारा प्रेषित प्रस्तावों का पुनः परीक्षण कर निम्न कार्यों को प्राथमिकता देवे:–

1. डिपों मे अग्नि सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था
2. डिपों मे अग्नि सुरक्षा हेतु पानी की व्यवस्था बावत् बोरिंग/कुआँ आदि की व्यवस्था
3. महिला प्रसाधन की व्यवस्था

यह देखा जा रहा है कि अधिकतर प्रस्ताव डिपों में सी.सी. रोड निर्माण के प्रस्तुत किये जा रहे है। कृपया सी.सी. रोड के स्थान पर W.B.M. रोड के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। केवल अतिआवश्यक होने पर कुछ सीमित दूरी हेतु सी.सी. रोड निर्माण प्रस्तावित किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्तानुसार परीक्षण कर पुनरीक्षित/अतिरिक्त प्रस्ताव प्रेषित करें।

(एस.पी.शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/बजट उत्पादन/2021/320 /1818 भोपाल,दिनांक 29.07.2021

प्रतिलिपि:–

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय ,मध्यप्रदेश की ओर कार्यालयीन पत्र क्र. 1596 दिनांक 08.7.2021 के संदर्भित में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश, सतपुड़ाभवन, भोपाल
दूरभाष एवंफैक्स नं0 0755–2674354 **E-mail: pccfprod@mp.gov.in**

क्रमांक / निर्वतन / 1846 भोपाल, दिनांक 02/08/2021

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :– स्थापित डिपो से वनोपज (ईमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/बांस) की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में विक्रय की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ 25–33–2017–दस–3, दिनांक 23.07.2021

—::00::—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिये। ई–नीलामी हेतु वनोपज नीलाम के नियमों में आवश्यक संशोधन किये गये है। भविष्य में ई–नीलामी हेतु मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक/F–33–2017–दस–3, दिनांक 23/07/2021 द्वारा जारी नियमों के अनुसार नीलाम की कार्यवाही की जावेगी (छायाप्रति संलग्न है)। तदानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधित नियम केवल ई–नीलामी हेतु ही लागू होंगे। भौतिक नीलानी हेतु वर्तमान में प्रचलित नियम के अनुसार ही कार्यवाही जारी रहेगी।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

02.08.2021

(जसबीर सिंह चौहान)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठा.क्रमांक/निर्वतन/ 1847 भोपाल, दिनांक 02/08/2021

प्रतिलिपि:–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(सूचना प्रौद्योगिकी), मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं विभाग की वैब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
2. समस्त वनमंडलाधिकारी(उत्पादन/क्षेत्रीय) वनमंडल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई, 2021

क्रमांक एफ 25-33-2017-दस-3 :: राज्य सरकार, एतद्द्वारा स्थापित डिपो से वनोपज (इमारती लकड़ी/ जलाऊ लकड़ी/बांस) की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी हेतु विक्रय की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम निम्नानुसार जारी करता है :-

स्थापित डिपो से वनोपज (इमारती लकड़ी/ जलाऊ लकड़ी/बांस) की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में विक्रय की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम:

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश वन विभाग के पोर्टल में दर्शाये गये डिपो में प्रस्तावित की गई वनोपज के विभिन्न लॉटों का विक्रय संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा दर्शाई गई दिनांक को इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के माध्यम से किया जायेगा। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन में भाग लेने के लिये वन विभाग द्वारा पंजीकृत क्रेता इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के निर्धारित पोर्टल पर लॉग-इन कर सकता है।

नीलाम के पूर्व प्रस्तावित वनोपज के मापों, मात्राओं और श्रेणी के ब्यौरे वनमंडलाधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही हैं, किन्तु उनकी किसी भी सीमा तक गारन्टी नहीं है। इसलिये बोलीदार को यह सलाह दी जाती है कि वे इस विषय में अपना समाधान कर लें। यदि बाद में मात्राओं आदि के ब्यौरे गलत पाए जाते है तो राज्य शासन के विरूद्ध मुआवजे या किसी अन्य राहत के लिए कोई भी दावा नहीं होगा।

अ. परिभाषाएं :-

1. इलेक्ट्रॉनिक नीलामी - विभाग द्वारा निर्धारित पोर्टल जिसका वेबएड्रेस (URL) विभाग की वेबसाईट पर दर्शाया जायेगा, के माध्यम से ऑनलाईन किया गया नीलाम।
2. वनोपज - नीलाम में प्रस्तावित ईमारती, जलाऊ, बांस अथवा भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत परिभाषित अन्य वस्तुएं।
3. क्रेता - सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति, जिस की बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई हो, क्रेता होगा।
4. अवरोध मूल्य - संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य।
5. ऑनलाईन संसूचना - बोलीदार / क्रेता को उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये ई.मेल, मोबाइल नंबर, अथवा पोर्टल पर भेजे गये संदेशों को इन नियमों के अनुसार संसूचित माना जायेगा।

7732
23/7/21

6. वृत्त का भारसाधक अधिकारी – वन वृत्त, जिसके भौगोलिक क्षेत्र में वह डिपो स्थित है जिसमें उपज का नीलाम प्रस्तावित है, में पदस्थ भारतीय वन सेवा अधिकारी।

7. आवेदन – से अभिप्रेत है ऑनलाइन आवेदन।

ब. नीलाम की शर्तें:

1. किसी भी व्यक्ति को नीलाम में किसी भी लाट के लिए बोली लगाने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि वह उसकी शर्तों का पालन करने के करार के प्रतीक स्वरूप विक्रय सूचना पर अपने इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर न करे और प्रत्येक लाट के संबंध में बोली लगाने के पूर्व उसके अपसेट मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर राशि बयाने की राशि के रूप में जमा न कर दे।

2. असफल बोली लगाने वालों के मामले में बयाने की जमा राशि नीलामी समाप्त होने के अगले कार्य दिवस में इलेक्ट्रानिक रूप से वापिस की जाएगी। सफल बोली लगाने वाले के मामले में यह राशि लाट के लिये बोली गई राशि के 25 प्रतिशत के भुगतान में, जैसा कि निम्नलिखित शर्त 3 के अधीन अपेक्षित है, समायोजित कर ली जाएगी।

3. बोली स्वीकृत होने के बाद नीलामी की तारीख से सात दिवस के भीतर (नीलाम की तारीख को छोड़कर), सफल बोली लगाने वालों को ऐसी और रकम का, जिससे बोली की राशि की 25 प्रतिशत राशि पूरी हो जाए, इलेक्ट्रानिक रूप से पोर्टल पर भुगतान करना होगा और ऐसा न करने पर विक्रय रद्द कर दिया जाएगा और उपर्युक्त शर्त 1. के अधीन बयाने के रूप में जमा की गई राशि शासन के पक्ष में समपहृत हो जावेगी और चूककर्ता बोली लगाने वाले की जोखिम पर लाट की पुनः नीलामी की जावेगी।

4. उपर्युक्त शर्त 3. के अधीन विक्रय रद्द हो जाने की स्थिति में यदि चूककर्ता बोली लगाने वाला अनुवर्ती नीलामी में लाट के विक्रय के पूर्व विक्रय के पुनः प्रवर्तन का निवेदन करे तो वृत्त का भारसाधक अधिकारी, यदि उसका इस बात से समाधान हो जाय कि बोली लगाने वाला उपर्युक्त शर्त 3. के अधीन अपेक्षित अगली राशि का किसी समुचित तथा पर्याप्त रूप से विश्वसनीय कारण से विहित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं कर सका था, तो वह सम्पूर्ण विक्रय मूल्य और साथ ही विक्रय में हुए विलंब की कालावधि के लिए उस पर ब्याज, तथा विक्रय मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर पुनः प्रवर्तन शुल्क का भुगतान करने पर, विक्रय का पुनः प्रवर्तन कर सकेगा। इसी प्रकार इन शर्तों के विभिन्न खंडों में दी गई विहित अवधियों तथा समय सीमाओं, जो दिवस में विनिर्दिष्ट करती हो, की गणना नीलामी की तारीख से की जावेगी। समस्त देय ब्याज की गणना तथा ऐसी गणना की पद्धति नीचे दी गई शर्त 6. में दिए अनुसार होगी।

राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि, क्रेता द्वारा बोली की मंजूरी की [illegible] (पोर्टल पर) जो संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा उसे संसूचित की जायेगी, 44 दिन के भीतर भुगतान की जायेगी। तथापि अपवादित मामले में संबंधित वनमंडलाधिकारी, क्रेता द्वारा [illegible] पर, बोली की शेष राशि के भुगतान की 44 दिन की अवधि को, नीचे दी गई शर्त 6. [illegible] शर्तों के अनुसार ब्याज का भुगतान करने पर, 75 दिनों तक बढ़ा सकेगा। कोई आवेदन पत्र समय वृद्धि हेतु 44वें दिन के अंदर प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित वनमंडलाधिकारी, को उक्त दिवस के अगले दिनांक को, विक्रय निरस्त करना बंधनकारी होगा। बोली की शेष राशि का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल पर किया जायेगा।

6. यदि बोली की शेष राशि का भुगतान मंजूरी की संसूचना की तारीख से 44 दिन के भीतर न किया जाए तो भुगतान न की गई शेष राशि पर 45वें दिन से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से, या समय समय पर पुनरीक्षित दर से, ब्याज वसूल किया जावेगा। ब्याज की गणना के लिए 15 दिन या उससे कम दिन की अवधि की गणना आधे महीने के रूप में तथा 15 दिन से अधिक किन्तु एक माह से कम की अवधि की गणना एक माह के रूप में की जावेगी।

7. उपर्युक्त शर्त 3., 4., 5., तथा 6. के अधीन भुगतान योग्य रकम के अलावा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के उपबंधों के अनुसार वन विभाग द्वारा भुगतान योग्य वस्तु एवं सेवा कर, तथा अन्य समस्त करों की वसूली विक्रय मूल्य सहित खरीददार से की जायेगी।

8. खरीददारों से विक्रय मूल्य पर स्त्रोत पर तत्समय प्रचलित आयकर भी वसूल किया जायेगा।

9. उपर्युक्त शर्त 3., 4., 5., तथा 6. के अधीन विक्रय मूल्य की रकम का तब तक पूर्णतः भुगतान होना नहीं माना जायेगा, जब तक उक्त शर्त 7. एवं 8. के अधीन उस तारीख को भुगतान योग्य वस्तु एवं सेवा कर, आयकर, तथा अन्य समस्त कर का भी पूर्णतः भुगतान न कर दिया गया हो।

10. क्रेता पश्चात्वर्ती दायित्वों के लिए भी, यदि कोई हो, जिनमें इन शर्तों के अधीन उसे बेचे गए माल पर वन विभाग द्वारा भुगतान योग्य वस्तु एवं सेवा कर एवं आयकर के अतिरिक्त राशियों का भुगतान भी शामिल है, उत्तरदायी होगा। ऐसा भुगतान संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा मांग की जाने के 15 दिन के भीतर करना होगा।

11. कोई भी व्यक्ति जिसे वन ठेकों में बोली लगाने से निषेध प्रतिबंधित किया गया हो, या वर्जित किया गया हो, ऐसा प्रतिबंध लागू होने तक नीलामी में बोली नहीं लगायेगा।

12. संबंधित वनमण्डलाधिकारी की लिखित अनुमति को छोड़ ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस पर वन ठेके के कारण या उसके अधीन शासन का धन बाकी हो, नीलामी में बोली नहीं लगा सकेगा।

13. वनमंडलाधिकारी प्रत्येक लाट के लिये ऐसे आरक्षित मूल्य (अपसेट मूल्य) आरक्षित कर सकेगा और किसी भी लाट को नीलामी की प्रक्रिया आरम्भ होने के बाद भी नीलामी से हटा सकेगा, परन्तु तब, जबकि बोली ऐसे आरक्षित मूल्य से कम हो।

14. पूर्ववर्ती बोली पर [illegible] रकम निश्चित की जायेगी। वनमंडलाधिकारी इसे परिवर्तित कर सकेगा।

15. संबंधित वनमंडलाधिकारी को कोई कारण बताये बिना निम्नलिखित अधिकार होगा :-

a) सबसे ऊंची या किसी भी बोली को अस्वीकार करने का।

b) सबसे ऊंची या किसी भी अवस्था में किसी भी लाट को नीलाम से वापस लेने का, भले ही बोली में लगाने वाले उसे खरीदने के लिये तैयार हों।

c) पर्याप्त कारण दर्शाते हुऐ वृत्त के भारसाधक अधिकारी की अनुमति से नीलाम किसी भी समय रोकने का।

16. सफल बोलीदार बोली पर अपने पंजीकृत डिजिटल हस्ताक्षर अथवा आधार कार्ड आधारित प्रमाणिकरण से हस्ताक्षर करेगा।। यदि सफल बोलीदार बोली पर अपने पंजीकृत डिजिटल हस्ताक्षर नहीं करता है तो विक्रय रद्द कर दिया जावेगा तथा स्वीकृत बोली मूल्य का 10 % शासन को समपहृत हो जायेगा। क्रेता को तीन वर्षों की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज भी किया जा सकेगा। लाट का नीलाम क्रेता की जोखिम पर पुनः किया जावेगा। यदि क्रेता के आवेदन पर वनमंडलाधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जावे कि समुचित और पर्याप्त रूप से विश्वास योग्य कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, क्रेता निहित समय सीमा के भीतर डिजिटल हस्ताक्षर करने में असमर्थ था, तो ऐसा अधिकारी विक्रय को पुनः प्रवर्तित कर सकेगा। इस हेतु क्रेता को नीलामी की तिथि से एक कार्य दिवस बाद तक लिखित में आवेदन करना होगा।

17. संबंधित वनमंडलाधिकारी की मंजूरी की क्षमता से परे के ठेकों के विक्रय सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन होंगे तथा सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति अपनी बोली पर तब तक आबद्ध रहेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित न किए जाएं।

18. यदि विक्रय मूल्य की शेष 75% राशि तथा साथ ही उपर्युक्त शर्त 5., 6., 7. तथा 8. के अनुसार वन विभाग द्वारा भुगतान योग्य वस्तु एवं सेवा कर तथा आयकर तथा अन्य कोई कर की राशि के बदले में भुगतान योग्य राशि का भुगतान न किया जावे तो विक्रय रद्द कर दिया जावेगा तथा स्वीकृत बोली मूल्य का 25% शासन को समपहृत हो जायेगा। क्रेता को तीन वर्षों की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज भी किया जा सकेगा। लाट का नीलाम क्रेता की जोखिम पर पुनः किया जावेगा।

19. यदि बोली की रकम की शेष 75% राशि का भुगतान न करने के कारण विक्रय रद्द कर दिया गया हो और वृत्त के भारसाधक अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जावे कि समुचित और पर्याप्त रूप से

[illegible] योग्य कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, क्रेता विहित समय सीमा के भीतर [illegible] भुगतान करने में असमर्थ था, तो ऐसा अधिकारी समस्त देय रकमों के पूर्ण भुगतान [illegible] मूल्य के 5% के बराबर पुनः प्रवर्तन शुल्क का भुगतान करने पर विक्रय को पुनः [illegible] सकेगा।

20. बेची गई वनोपज को हटाने की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी, जब तक कि उपर्युक्त शर्त क्र. 3. से 10. में दिये अनुसार पूर्ण भुगतान और जहां आवश्यक हो वहां नीचे की शर्त 25. एवं 26. के अधीन स्थान भाड़ा तथा शासन का पूर्ण भुगतान न कर दिया गया हो। लाट/ लाटों को हटाने की अनुमति सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व नहीं दी जावेगी। डिपो में इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से बनाये गये द्वार से वनोपज ले जाने की अनुमति दी जावेगी, जहां वनोपज निरीक्षण के लिये, तथा लकड़ी उस पर निकासी हैमर चिन्ह लगाने के लिये प्रस्तुत की जावेगी।

21. बेची गई वनोपज का परिदान लेते समय क्रेता उसके लिये रसीद देगा।

22. डिपो से हटाई जाने वाली समस्त वनोपज संबंधित डिपो अधिकारी/परिक्षेत्राधिकारी से इस प्रयोजन के लिये प्राप्त किए जाने वाले सम्यक रूप से विहित परिवहन अनुज्ञापत्र (परमिट) के अन्तर्गत होगी।

23. क्रेता डिपो से वनोपज को हटाने के दौरान डिपो परिसर के भवन, फिक्स्चर्स तथा फिटिंग्स, वनोपज अथवा वहां खड़े किसी वृक्ष या पौधों को होने वाली हानि या क्षति, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी हानि या क्षति का मूल्यांकन, जो कि वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जावेगा, अंतिम होगा और क्रेता पर बंधनकारी होगा।

24. यदि बेची गई वनोपज उपर्युक्त शर्त क्र. 5. के अनुसार मंजूरी की सूचना की तारीख से 2 माह के भीतर डिपो से नहीं हटाया जाता तो वनमंडलअधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान भाड़ा वसूल किया जावेगा:-

(a) इमारती लकड़ी	-	रूपये 10/- (दस) प्रति घनमीटर प्रतिदिन
(b) जलाऊ लकड़ी	-	रूपये 50/- (पचास) प्रति स्टेंडर्ड माप का चट्टा प्रतिमाह
(c) बांस	-	रूपये 50/- (पचास) प्रति नोशनल टन प्रतिमाह

25. मंजूरी की सूचना की तारीख से दो महीने की अवधि समाप्ति के पश्चात् स्थान भाड़ा की गणना [illegible] जावेगी। भूमि भाड़ा की गणना करने के लिए 15 दिन या उससे कम की अवधि की गणना आधे महीने के रूप में एवं 15 दिन से अधिक किन्तु एक माह से कम की अवधि की गणना एक माह के रूप में की जावेगी।

[illegible] वनोपज मंजूरी की सूचना तारीख से दो माह की

26. किसी भी दशा में [illegible] समस्त [illegible] परिस्थितियों में यदि कोई क्रेता, जिसने अवधि के भीतर हटाई जावेगी। यदि कतिपय अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि कोई क्रेता, जिसने पहले ही पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया हो, उपर्युक्त अवधि के भीतर वनोपज हटाये जाने की स्थिति में न हो, तो [illegible] भाड़ा का भुगतान करने पर, मंजूरी की सूचना मिलने की तारीख से चार माह की अवधि के भीतर माल हटाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

a) चार माह की अवधि समाप्त हो जाने पर क्रेता को, केवल आपवादिक मामलों में वृत्त के भारसाधक अधिकारी की विशेष अनुज्ञा से, जो स्थान भाड़ा के अतिरिक्त न हटाई गई वनोपज के विक्रय मूल्य के 10 प्रतिशत से अनधिक शास्ति उद्ग्रहित कर सकेगा, वनोपज हटाने की अनुमति दी जा सकेगी।

b) चार माह की अवधि या ऐसी अवधि, जो वृत्त के भारसाधक अधिकारी द्वारा बढ़ाई हो, के समाप्त हो जाने के पश्चात् विक्रय मूल्य सहित शासन को समपहृत हो जावेगा तथा उसे नीलाम के द्वारा बेच दिया जावेगा और मूल क्रेता को उसके संबंध में दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

27. वन विभाग, विक्रय की गई वनोपज एवं अन्य की किसी प्रकार की क्षति और हानि के लिए, और आग, चोरी, दुर्विनियोग या अन्य दुर्घटना, जिस भी किसी कारण से हुई हानि के लिए किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा। विक्रय के बाद डिपो में रखी गई वनोपज पूर्णतः क्रेता की जोखिम पर रहेगा।

28. वन मार्गों पर ट्रक या अन्य भारी वाहनों के चलाने के लिए वनमंडलाधिकारी से निम्नलिखित दरों पर मार्ग अनुज्ञापत्र (परमिट) प्राप्त करना होगा:-

a) 800 रुपये तिमाही प्रति वाहन, अथवा
b) 40 रुपये प्रति वाहन प्रति ट्रिप, एक तरफ की एक खेप के लिए

29. तिमाही की अवधि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

a) प्रथम तिमाही एक अप्रैल से 30 जून
b) द्वितीय तिमाही एक जुलाई से 30 सितम्बर
c) तृतीय तिमाही एक अक्टूबर से 31 दिसम्बर
d) चतुर्थ तिमाही एक जनवरी से 31 मार्च

30. बोली लगाने की कार्यवाही को इन शर्तों की पूर्ण और बिना शर्त स्वीकृत समझा जावेगा।

[illegible] विनियमन) अधिनियम 1969, भारतीय वन अधिनियम, 1927 [illegible] वन नियम, जिनमें वन संविदा (कांट्रेक्ट) नियम शामिल हैं, [illegible] क्रेता पर विक्रय की शर्तों के रूप में लागू होंगे।

[illegible] बोली लगाने वालों से किसी भी कारण से वसूली योग्य राशि भू-राजस्व के [illegible] से वसूली योग्य होगी।

33. किसी नीलाम में निर्वर्तित किसी लॉट की बोली स्वीकार किये जाने के उपरान्त एवं क्रेता द्वारा परिदान आदेश प्राप्त कर, क्रय की गई वनोपज का परिवहन कर लिये जाने के पूर्व उस लॉट के विषय में युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुये उक्त लॉट के विक्रय को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संबंधित वृत्त के भार साधक अधिकारी को होगा। वृत्त के भार साधक अधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि नीलाम दिनांक से 7 दिवस के भीतर किसी लॉट विशेष के विषय में पूर्ण नाम एवं पते सहित शिकायत होने पर वह उसका निराकरण (जिसमें लॉट निरस्तीकरण, भी सम्मिलित है) शिकायत प्राप्ति के दिनांक से 7 दिवस के भीतर करें

34. वृत्त के भार साधक अधिकारी द्वारा शर्त 33 में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप पारित निर्णय के विरुद्ध आदेश दिनांक से 7 दिवस के भीतर अपील प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में उत्पादन-शाखा के भार साधक अधिकारी को की जा सकेगी, जिसका निराकरण आवेदन प्राप्ति के 7 दिवस में किया जावेगा।

35. इन शर्तों से उत्पन्न समस्त विवाद मध्यप्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अध्यधीन होंगे।

36. बोली लगाने वाले व्यक्तियों / क्रेताओं की सुविधा हेतु पोर्टल पर आवश्यक प्रबंध / परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार विभाग का होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय मोहरीर)
पदेन सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक23 जुलाई, 2021

पृ0 क्रमांक एफ 25–33/2017/10–3
प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी), मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
5. समस्त वनमंडलाधिकारी क्षेत्रीय/उत्पादन, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

22/7/21
पदेन सचिव
म0प्र0 शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

Tel & Fax No. 0755-2674354, E-Mail add- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पादन/बजट/2021/318 / [illegible] भोपाल,दिनांक [illegible].08.2021

प्रति,

समस्त वन मंडलाधिकारी, [illegible],उत्पादन

मध्यप्रदेश

विषय :– 7781 मालिक मकबूजा लकड़ी क्रय मद में बजट आवंटन करने बावत्।

संदर्भ:– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक उत्पादन बजट/2021/307–4/839 दिनांक 23.03.2021 एवं कार्यालयिन पत्र क्रमांक 1158 दिनांक 28.04.2021

—::00::—

उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा मालिक मकबूजा लकड़ी क्रय हेतु लंबित प्रकरणों के भुगतान हेतु राशि का आवंटन किया था। आशा है कि आपके द्वारा समस्त लंबित प्रकरणों का पूर्ण भुगतान किया जा चुका होगा। निकट भविष्य में ऐसे प्रकरणों के भुगतान हेतु पी.डी. खाते से सीधे भुगतान की नवीन व्यवस्था शासन स्तर से लागू हो जायेगी, जिसके कारण आपको लंबित प्रकरणों में भुगतान करने में असुविधा होगी। अतः निर्देशित किया जाता है कि अगर आपके वनमंडल मे लंबित प्रकरणों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है तो तत्काल भुगतान करे। यदि इस हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो, तो तत्काल मॉंग प्रस्तुत करें।

कृपया यह ध्यान करे कि पी.डी. खाते से सीधे भुगतान की व्यवस्था लागू होने से पूर्व समस्त लंबित भुगतान पूर्ण कर लिये जायें।

02.08.2021

(जसवीर सिंह चौहान)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/बजट उत्पादन/2021/318 / [illegible] भोपाल,दिनांक [illegible].08.2021

प्रतिलिपि:–

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक मध्यप्रदेश की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

Tel & Fax No. 0755-2674354, E-Mail add- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/उत्पादन/बजट/2021/320/1911 भोपाल,दिनांक 09/ .08.2021

प्रति,

समस्त वनमंडाधिकारी उत्पादन

मध्यप्रदेश

विषय :- कैम्पा निधि के तरह आगामी वर्ष 2022– 23 का ए.पी. ओ. तैयार करने बावत्।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1482 दिनांक 28.06.2021 ,1597 दिनांक 08.07. 2021 एवं क्रमांक 1817 दिनांक 29.07.2021

---::00::---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें वर्ष 2022–23 के वार्षिक कार्य प्रचलन योजना (ए.पी.ओ.) तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है, इस संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा बिन्दु क्रमांक (स)VIII, IX,X,XI में दर्शित कार्यों के प्रस्ताव चाहे गये थे। जिसमें अधिकांश प्रस्ताव निर्माण कार्य से संबंधित प्राप्त हुए है। कृपया आपके द्वारा प्रेषित प्रस्तावों का पुनः परीक्षण कर निम्न कार्यों को प्राथमिकता देवे:–

1. *डिपों मे अग्नि सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था*
2. *डिपों मे अग्नि सुरक्षा हेतु पानी की व्यवस्था बावत् बोरिंग/कुआँ आदि की व्यवस्था*
3. महिला प्रसाधन की व्यवस्था

यह देखा जा रहा है कि अधिकतर प्रस्ताव डिपों में सी.सी. रोड निर्माण के प्रस्तुत किये जा रहे है। कृपया सी.सी. रोड के स्थान पर W.B.M. रोड के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। केवल अतिआवश्यक होने पर कुछ सीमित दूरी हेतु सी.सी. रोड निर्माण प्रस्तावित किया जा सकता है। जिसमें परीक्षण कर पुनरीक्षित/अतिरिक्त प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु लेख किया गया था। परन्तु आज दिनांक तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुये है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव तत्काल भेजने की कृपा करे।

(एस.पी.शर्मा)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/बजट उत्पादन/2021/320/1912 भोपाल,दिनांक 09/.08.2021

प्रतिलिपि:–

समस्त मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय ,मध्यप्रदेश की ओर कार्यालयीन पत्र क्र.1817 दिनांक 29.7.2021 के संदर्भित में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

मुख्य वनसंरक्षक बालाघाट वृत्त म0प्र0 के आदेश कमांक/व्यय आं0/81 दिनांक 17/03/2021 द्वारा गठित समिति का कार्यवाही विवरण :–

वर्ष 2021-22 में कैम्पा मद में किये जाने वाले कार्यों के संबंध में मानक निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा वनमण्डल अधिकारी उत्तर एवं दक्षिण के उत्पादन से प्राप्त प्रस्तावों में डिपो उन्नयन हेतु प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत हाई मास्ट, सोलर स्ट्रीट लाईट सिस्टम एवं अन्य प्रकाश व्यवस्था, अग्निशामक यंत्र, ब्लोवर मशीन, वीड कटर, सी.सी.टी.व्ही. कैमरा आदि के प्रस्तावों का परीक्षण किया गया, तथा समिति द्वारा निम्नानुसार मानक निर्धारण किया जाकर अनुशंसा की जाती है :–

S.N.	Description	Specification
1.	12 w Solar Based LeD Street Lights	1. G.I. Pole 6m With toll Free Number For egistration of complaints 2. PV Module (75 Wpunder Stc) 3. 12 WLED solar street ligtht 4. Li-Fe-Ph Battery (360 Wh.)-. 5. 5- years standard repair and maintenance against technical defects.
2.	High Mast lighthing system A. 30 mt high mast lighthing system	1. 16 nos metel halide flood light fittings of 2x400 watt each. 2. control gear and lamps with integral power tool. 3. weight 1650kg. having 3 section hot dip galvanizied material as per BSEN ISO 1461 thick of 4 mm. & 4mm. dia 6 mm 150 top and 610 bottom respectively. 4. The mast shall be stress fitted at site as per IS everlap dyanamic loading. 5. The mast shall have lighting protection of GI single spike of 1200 mm length at top. 6. The base inside compartment with double interial lock with adequate size of MCB mounted on PVC board complete with base palte of 30 mm thick, 840 mm diameter and foundation bots having 12 nos bots of 30 mm 850 MM diameter (TS600) anchor plate.
	B. 16 mt high mast lighthing system	1. 6 nos metel halide flood light fittings of 2x400 watt each. 2. control gear and lamps with integral power too'. 3. weight 550kg. having 2 section hot dip galvanizied material as per BSEN ISO 1461 thick of 3 mm. & 4mm. dia 150 top and 410 bottom respectively. 4. The mast shall be stress fitted at site as per IS everlap dyanamic loading. 5. The mast shall have lighting protection of GI single spike of designaed length at top. 6. The base inside compartment with double interial lock with adequate size of MCB mounted on PVC board complete with base palte of 25 mm thick 570 mm diameter (TS600) anchor plate 445 PCD including accessories Viz. 7. Supply of XLPE insulated power cable (conforming IS7098) 1100 Volt grade/Heavy duty power cable conforming to IS 1554-1100 Volts grade, 02 core/31/2 core/4coreISI MARKED with Alu. Stranded/solid conductor. Note – Designing & casting of Open raft shallow footing foundation with M_20 cement concrete suitable for 16mtrs. High Mast considering the safe soil bearing capacity at site as 10 T/sqm at 2mtrs. Depth including excavation, foundation nut bolts in an approved manner.
3.	C.C TV. Camera	Typs- Dome, Fix, Bullet, & PTZ 1. min. 02 mega Pixcel camera 2. Backup as per requirements 3. including N.V.R. Chip 4. U.P.S (K.Vait) with open battery.

S.N.	Description	Specification
4	Fire Extinguisher (Machanical Foam Type)	1. Machanical Foam Type Sutitable For Class A,B Type Fire
		2. 45-50 litter capicity with wheel trolly
		3. Co2 Dry powder
		4. ISI marked
		5. IS: 13386:1992
		6. Test certificate no & date
		7. 85 kg wight
		8. Name and address of the lab where type test conducted
		9. Product Warranty
		10. Survice Warranty for parts from data insatalation
		11. Department of fire safe product issued licence no & date
5.	Weed/Grass/Brush Cutter	1. Engine Displacement 51.7 cc
		2. 1.6 kw/6500 rpm power capicity speed
		3. 1.2 Litter Tank Capacity
		4. Feul petroll
		5. 9 kg weight
		6. 1.95 hp
		7. Test Certificate No. and Date
		8. Product Warranty
		9. Survice Warranty for parts from data insatalation
		10. Name and address of the lab where type test conducted
6.	Leaf Blower Machine	1. Air cooler Petrol Engine
		2. 2000-10000 rpm Max Speed
		3. 490 x 390 x 520 Dimension (mm x mm x mm)
		4. Feul Pertol
		5. 10.21 kg weight
		6. 1.25 Litter Tank Capacity (2 Hours)
		7. 3.06 Blowing Force
		8. Test Certificate No. & Date
		9. Name and address of the lab where type test conducted
		10. Product Warranty
		11. Survice Warranty for parts from data insatalation
		12. Name and address of the lab where type test conducted

सदस्य,
वनमण्डल अधिकारी,
उत्तर उत्पादन वनमण्डल बालाघाट

सदस्य,
वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सा0 / उत्पादन वनमण्डल बालाघाट

अध्यक्ष,
वनमण्डल अधिकारी,
उत्तर सामान्य वनमण्डल बालाघाट